गुरुवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(28 फरवरी, 2013 ई0)

खण्ड-483
अंक-09

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गईं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में स्थाई निर्माण कार्यों हेतु ही व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री धर्मपाल सिंह	आंवला विधान सभा क्षेत्र में रामनगर स्थित अहिक्षेत्र पांचाल प्रदेश में द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	डा0 अरूण कुमार	बरेली नगर निगम में पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु 200 नये डीप बोर इंडिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 28सी के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5	ठा0 दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में अन्तरजनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

6	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़े जाने एवं उनका विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री राकेश बाबू	जल निगम फिरोजाबाद द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग को न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं रामपाल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री ममतेश शाक्य	जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री यासर शाह	बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर अवैध तरीके से की जा रही पुलाही वसूली के सम्बन्ध में।
12	श्री राधेश्याम जायसवाल	जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैती खैड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मील में किये गये खाद्यान्न घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में जलाशयों के सूख जाने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
14	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा कराये गये सीवर कार्य के कारण सड़कों में हुये गड्ढों को बन्द करने हेतु मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के चोला चौकी को थाना बनाने एवं चोला चौकी व थाना ककोड़ के बीच लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन करने के सम्बन्ध में।
16	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद गाजियाबाद की वसुन्धरा कालोनी सेक्टर-7 एवं 8 में प्रस्तावित योजना वर्ष 1989 के अनुरूप आम जन सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुयीं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा ने प्रश्न प्रहर में अल्पसूचित तारांकित एवं तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नों हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि प्रश्नों की पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागों के साथ उनके अनुपूरक पूछे जाने हेतु समय निर्धारित होना चाहिये। उन्होंने सभी प्रश्नों हेतु समान समय दिये जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न के महत्व एवं रुचि पर अनुपूरक पूछे जाते हैं। उन्होंने प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक पूछे जाने में समय निर्धारण हेतु दलीय नेताओं के साथ वार्ता करने की बात कहते हुये सूचना अग्राह्य की।

श्री राम चन्द्र यादव ने जनपद फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि उसका वक्तव्य आये आठ माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियमावली के नियमों के अन्तर्गत सूचना दें। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा कि क्या आज मुख्य मंत्री आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर उत्तर भाषण देंगे ? इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे दिनांक 04 फरवरी, 2013 को उत्तर भाषण देंगे।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुई :-

प्रदेश के अधिकांश शहरों में जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री प्रमोद तिवारी की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को उनके अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने स्थगित किया।

जनपद पीलीभीत में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत खरीद फरोख्त में किये गये घोटालों से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अगयश राम सरन वर्मा के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में लगभग 10 वर्षों से भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि ये सभी सैनिक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, लखनऊ के हैं और संविदा पर कार्यरत हैं।

पूर्व सैनिक कल्याण निगम प्रत्येक सैनिक से प्रतिमाह 3 हजार कटौती करता है। इन्हें 6 माह से वेतन भी नहीं मिल रहा है। जिसके कारण इन्हें भरण-पोषण में कठिनाई हो रही है। यह 2003 से पावर कार्पोरेशन में नौकरी कर रहे हैं। अब इनकी सेवा समाप्त की जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में 10 वर्षों से संविदा पर नियुक्त इन भूतपूर्व सैनिकों को विनियमित करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुये प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद चन्दौली के ब्लाक नियामताबाद मुगलसराय के ब्लाक प्रमुख द्वारा वहां के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में घुसकर उनसे मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री बब्बन के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम सभा सोनाई में चकरोड एवं तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री केशव प्रसाद मौर्या के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ऐरा चीनी मिल में दिनांक 26 फरवरी, 2013 को गन्ना तौल में घटतौली साबित होने के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में बन्द पड़ी मोदी कपड़ा मिल के हजारों मजदूरों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर राष्ट्रीय लोकदल विधान मण्डल के नेता श्री दलवीर सिंह ने यह प्रकरण श्री सुदेश शर्मा के क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण श्री अध्यक्ष से उन्हें विचार रखे जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। तदुपरान्त श्री सुदेश शर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित बन्द पड़ी मोदी कपड़ा मिल के हजारों मजदूरों को उनके बकाया का भुगतान ब्याज सहित करवाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

दिनांक 27 फरवरी, 2013 को जनपद फैजाबाद थाना पूराकलंदर अन्तर्गत ग्राम सनेथू पूरे नथ्थन में आबकारी टीम के छापे के दौरान चोटिल संतोष कुमारी की मौत हो जाने एवं अन्य घटनाओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री रामचन्द्र यादव के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

प्रदेश में सरकारी सहकारी व निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्यों का सम्पूर्ण भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की

ग्राह्यता पर श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विचार व्यक्त करते हुए किसानों को उनके गन्ने मूल्यों का सम्पूर्ण भुगतान को 14 दिन की देरी होने पर उसे ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश की बेसिक शिक्षा की बदहाल स्थिति को देखते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0/ बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री प्रदीप माथुर ने विचार व्यक्त करते हुए विशिष्ट बी0टी0सी0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शेष बचे हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग की जिनकी आयु 40 या इससे अधिक हो गई है और अंक तालिकाएं तथा मूल प्रमाण-पत्र डायट के द्वारा जमा किये जा चुके हैं किन्तु उन्हें मौका नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री हुकुम सिंह ने श्री अध्यक्ष से सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की नियम-56 की सूचना को लिये जाने का अनुरोध किया।

तदुपरान्त दिनांक 22 फरवरी, 2013 को हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत तारा गांव में की गई हत्या एवं पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद कुशीनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुदही में चिकित्सा के अभाव में असामयिक मौतों से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अजय कुमार 'लल्लू' ने विचार व्यक्त किये। श्री अध्यक्ष ने प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन देते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की जर्जर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बरेली शहर के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले विद्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश अग्रवाल ने विचार व्यक्त करते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को प्राथमिकता पर ठीक करवाने की मांग की। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

कानपुर नगर के थाना चकेरी के कृष्णापुरम स्थित मकान नं0-एच0एच0-14 निवासी श्री देवकृष्ण अवस्थी के घर में दिनांक 24 जून, 2012 को हुई कीमती आभूषण एवं नगद धनराशि की चोरी की घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्रीमती कृष्णा पासवान ने विचार व्यक्त करते हुए कानपुर नगर के थाना चकेरी से

उक्त प्रकरण में तत्काल जांच करवाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए प्रकरण को दिखलवाने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

दिनांक 25 फरवरी, 2013 को जनपद इटावा के यशवन्तनगर के गांव पुरसैन्य में एक दरोगा की बेटी के साथ अराजक तत्वों द्वारा दुष्कर्म करने का असफल प्रयास किये जाने के फलस्वरूप लड़की द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये। श्री श्याम देव राम चौधरी (दादा) ने भी विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रकरण को गम्भीरता से लिया जा रहा है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री पंकज कुमार मलिक के भाषण से आरम्भ हुई।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय) ने भी चर्चा में भाग लिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की 34000 मतों से विजय होने की सूचना दी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) ने भी चर्चा में भाग लिया।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा अपने भाषण में श्री अम्बेडकर के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर बहुजन समाज पार्टी के श्री रामवीर उपाध्याय अपनी पार्टी के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए वेल में बैठ गये। इसी बीच नेता विरोधी दल भी सदन के वेल में सदस्यों के साथ धरने पर बैठ गये। श्री अध्यक्ष ने आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने का निदेश देते हुए नेता विरोधी दल से अपने दल के सदस्यों के साथ अपने-अपने स्थानों पर बैठने का अनुरोध किया।

बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी सीटों पर वापस न जाने पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 22 मिनट पर 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

01 बजकर 27 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

01 बजकर 32 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 37 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

01 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि जब तक ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अपने शब्द वापस नहीं लेते और सदन में माफी नहीं मांगते तब तक बसपा के सदस्य विरोध स्वरूप सदन के फ्लोर में ही रहेंगे।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने नेता विरोधी दल से अनुरोध किया कि वे अपनी सीट से आकर बोलें, फिर पुनः फ्लोर पर आ जायं, इस पर नेता विरोधी दल अपनी सीट पर आकर बोलने लगे।

ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) द्वारा डा0 अम्बेडकर को देश की धरोहर बताते हुए अपनी बात को वापस लेने से इन्कार किये जाने पर बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर पुनः नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य आज दिनांक 28-2-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्रीमती अनुप्रिया पटेल	कानपुर नगर के जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री राकेश बाबू	जनपद-फिरोजबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री अमर पाल शर्मा	जनपद-गाजियाबाद की कतिपय कालोनियों के मुख्य मार्गों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली अन्तर्गत धनावल शाखा पर पकड़ी माइनर को जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	प्रदेश में छावनी परिषदों को चुंगी क्षतिपूर्ति को वर्तमान स्थिति पर दिए जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद-मेरठ में मेडिकल कालेज के पीछे गढ़रोड एवं काली नदी के बीच मुख्य मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री अजय कुमार ''लल्लू''	उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रोन्नति पाये शिक्षकों को रीडर/प्रवक्ता का वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत वर्ष 2012 में आये भयंकर तूफान के कारण टूटे हुए ट्रांसफार्मर, बिजली की तारों एवं खम्भों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद बाराबंकी के ग्राम कुर्सी के ब्लाक निन्दूरा में मीट कम्पनी एमरून फूड प्रोड्क्टस द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रीय निवासियों के संक्रमित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

(बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा की मुख्य सड़क, मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगा जी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही के किसानों को गन्ना बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्ची अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 03 मिनट पर सोमवार, दिनांक 04 मार्च, 2013 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–483, अंक–9
गुरुवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(28 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-41
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	41-42
कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में स्थाई निर्माण कार्यों हेतु ही व्यय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
आंवला विधान सभा क्षेत्र में राम नगर स्थित अहिक्षेत्र पांचाल प्रदेश में द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	43
बरेली नगर निगम में पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु 200 नये डीप बोर इण्डिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28 सी के क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में अन्तर्जनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	45
जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़े जाने एवं उनका विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जल निगम फिरोजाबाद द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग को न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं रामपाल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	46
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	46-47
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर अवैध तरीके से की जा रही पुलाही वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैती खैड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मील में किये गये खाद्यान्न घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	47-48
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में जलाशयों के सूख जाने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा कराये गये सीवर कार्य के कारण सड़कों में हुये गड्ढों को बन्द करने हेतु मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद बुलन्दशहर के चोला चौकी को थाना बनाने एवं चोला चौकी व थाना कंकोड़ के बीच लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	49
जनपद गाजियाबाद की वसुन्धरा कालोनी सेक्टर-7 एवं 8 में प्रस्तावित योजना वर्ष 1989 के अनुरूप आम जन सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	49
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	50
अल्पसूचित तारांकित एवं तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नों हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50
जनपद फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50-51
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	51-64
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	64-69
भाटपाररानी विधान सभा क्षेत्र से उप चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय के सम्बन्ध में सदन को सूचना	69
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	69-79
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	79-82
नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	83-84
प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	84-85
जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	85-86
जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	86-87
जनपद बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	87-88
जनपद मथुरा की मुख्य सड़क, मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	88-89
जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	89-90
माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	90-92
जनपद मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	92-93

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगा जी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	93
जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	94-95
जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही के किसानों को गन्ना बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्ची अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	95-97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-333

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
26. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
27. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
31. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
32. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
36. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
38. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
39. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
43. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
44. आशीष यादव, श्री — बदायूं
45. इकबाल, श्री — बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
47. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

54. उदयराज, श्री उन्नाव
55. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाशंकर, श्री बलिया
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
61. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
62. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
63. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
64. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
71. कैलाश, श्री गाजीपुर
72. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
74. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
75. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
79. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
82. गोमती यादव, श्री लखनऊ
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
90. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
91. जगपाल, श्री सहारनपुर
92. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
93. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
94. जफर आलम, श्री अलीगढ़
95. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
97. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
98. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
99. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
107. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
108. दलजीत सिंह, श्री बांदा
109. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
110. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
111. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
112. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
113. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा

119. धर्मराज, श्री बाराबंकी
120. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
121. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
122. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
123. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
124. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
125. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
126. नारद राय, श्री बलिया
127. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
129. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
133. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
134. पीतमराम, श्री पीलीभीत
135. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
136. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
143. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
144. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
145. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
146. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
147. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
148. फेरन लाल, श्री ललितपुर
149. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
150. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
151. बदलू खां, श्री उन्नाव
152. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
153. बाबू खां, श्री हरदोई
154. बाबूलाल, श्री गोण्डा
155. बावन सिंह, श्री गोण्डा
156. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
157. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
158. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
159. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
160. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
161. बैजनाथ, श्री मऊ
162. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
163. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
164. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
165. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
166. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
167. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
168. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
169. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
170. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
171. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
172. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
173. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
174. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
175. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
176. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
177. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
178. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
179. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
180. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
181. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
182. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
183. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
184. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
185. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
186. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
187. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर

188. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
189. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
190. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
191. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
192. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
193. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
194. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
199. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
200. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
201. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
202. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
203. रणजीत सुमन, श्री एटा
204. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
205. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
206. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
207. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
208. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
209. रवि शर्मा, श्री झांसी
210. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
211. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
212. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
213. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
214. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
215. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
216. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
217. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
218. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
219. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
220. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
223. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
224. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
225. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
226. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
227. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
228. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
229. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
230. राम करन आर्य, श्री बस्ती
231. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
232. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
233. राम गोविन्द, श्री बलिया
234. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
235. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
236. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
237. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
238. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
239. राम मगन, श्री बाराबंकी
240. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
241. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
243. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
244. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
245. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
246. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
247. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
248. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
249. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
250. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
251. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर

254. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
255. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
256. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
257. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
258. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
259. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
260. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
261. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
262. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
263. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
264. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
265. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
266. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
267. विजय सिंह, श्री रामपुर
268. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
269. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
270. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
271. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
272. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
273. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
274. वीरपाल राठी, श्री बागपत
275. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
276. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
277. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
278. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
279. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
280. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
281. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
282. शाकिर अली, श्री देवरिया
283. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
284. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
285. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
286. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
287. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
288. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
289. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
290. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
291. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
292. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
297. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
298. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
299. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
300. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
301. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
302. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
303. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
304. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
305. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
306. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
307. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
308. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
311. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
312. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
313. सियाराम सागर, डा0 बरेली
314. सीमा, श्रीमती जौनपुर
315. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
316. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
317. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
318. सुधाकर, श्री मऊ

319.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	
320.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
321.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	
322.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
323.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
324.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर	
325.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
326.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
327.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	
328.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
329.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
330.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
331.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
332.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
333.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव), कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00 बजे] तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी हेतु संतान का उत्तरदायित्व का निर्धारण सम्बन्धी कानून

*01-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा के लिए सन्तान को उत्तरदायी मानने तथा अनिवार्य रूप से उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा अंगीकृत माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 जो राज्य सरकार द्वारा 25 सितम्बर, 2012 से उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त किया गया है। अधिनियम के अध्याय-2 के अन्तर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता-पिता हैं एवं जो स्वयं के अर्जन से या स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं अथवा निःसंतान वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में उसके नातेदार जो विधिक वारिस हैं एवं उसकी सम्पत्ति पर काबिज हैं अथवा मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति विरासत में प्राप्त करेगा, को वरिष्ठ नागरिक (माता-पिता) के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न जब मैंने किया था तो मेरे मन के अन्दर यह भाव था कि ऐसे बहुत से दुर्भाग्यशाली माता पिता हैं जो वृद्धावस्था में सन्तान की उपेक्षा के कारण दर-दर भटकने को और अपनी जीविका जीने के लिए वंचित रहते हैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली ऐसे माता-पिता हैं तो उनके लिए क्या अनिवार्य रूप से उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें तो बताया गया है कि जिनके पास सम्पत्ति है तो अध्यक्ष जी जिनके पास सम्पत्ति है सब कुछ है तो उनकी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। वह तो अपनी सम्पत्ति से या अपनी फिक्स डिपाजिट से या जो भी उनके पास है उससे उनका इतना अर्जन हो जाता है कि कोई भी उनकी जिम्मेदारी ले लेगा कि आखिर में हमको सब कुछ मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम में क्या ऐसा भी कोई प्राविधान है कि ऐसे वरिष्ठ माता पिता अक्षम माता पिता जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है और उनके संतान को अनिवार्य रूप से माता पिता की जिम्मेदारी लेने की कोई बाध्यता है एक तो यह सवाल मैं जानना चाहता हूं। दूसरा यदि आपका उत्तर न में है कि इसमें नहीं है ऐसा कोई प्राविधान और जो प्राविधान है वह सम्पत्ति होल्डर लोगों के लिए है आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों के लिए है तो मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या सरकार फिर ऐसे अभागे लोगों के लिए कानून बनाने पर विचार करेगी ? ताकि जिनके पास कुछ नहीं है उनके संतान हैं योग्य हैं वह जिम्मेदारी लें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ हैं और इनका अनुभव भी है श्रीमन् हमारे देश की यह परम्परा रही है और हमारे समाज और देश की यह संस्कृति रही है कि हम बुजुर्गों का और वरिष्ठों का आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन इधर ज्वाइंट फैमिली के चलते श्रीमन् इसमें कुछ कमी आई है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नेता सदन को कि उन्होंने यह जो अधिनियम है यह यूं तो 2007 से भारत सरकार की तरफ से अंगीकृत किया गया है और देश के तमाम राज्यों से श्रीमन् अपेक्षा की गई है कि अधिनियम को एडाप्ट करते हुए इसमें जो भी अपेक्षाएं हैं और जो भी उम्मीदे हैं उसका पालन करके उनको लाभ दिलायें। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी को, नेता सदन को कि जो अधिनियम 2007 में लम्बित पड़ा था, किसी ने उसको देखने का काम नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने जो माननीय अखिलेश जी की अगुवाई में जो बनी है, इसको एडाप्ट किया है 25 सितम्बर 2012 को। इससे यह साफ जाहिर है कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों को सम्मान और आदर देना चाहती है और बुजुर्गों के लिये यह है। श्रीमन् इसमें हमने जो उत्तर दिया है माननीय सदस्य ने उसको पूरा नहीं पढ़ा है, अगर पूरा पढ़ लेते तो इनकी जिज्ञासा, इनकी शंका अपने आप समाप्त हो जाती। इसमें लिखा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत वे माता पिता हैं जो स्वंय के अर्जन से या स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। असमर्थ हैं, मतलब तमाम प्रापर्टी होते हुए श्रीमन मान लीजिये किसी को लकवा पड़ गया, बीमार हो गया, चलने फिरने में लाचार हो गया, चल फिर नहीं सकता है, चारपाई पर पड़ा है तो लाख प्रापर्टी होते हुए भी उसका भरण-पोषण नहीं हो सकता है तो हम चाहेंगे माननीय सदस्य इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं तो इसको विधिवत् पढ़ लें। इस अधिनियम के क्लासेज को एडाप्ट ही नहीं किया गया है बल्कि पूरी तरह से निरन्तर पालन...

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब का सवाल इतना ही है कि ऐसे लोग जो अभागे या दुर्भाग्यशाली हैं, उनके लिये कानून बनायेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर आ रहे हैं। यह जो अधिनियम 2007 है, भारत सरकार का है तो इसके सब प्रोविजेन्स में एक-एक डिफाइन है कि मान लीजिये उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, निःसन्तान है तो उसके लिये राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि अपने यहां वह वृद्ध लोगों के लिये आश्रम खोले और उनके खाने-पीने के लिये, कपड़ों के लिये, मनोरंजन के लिये, दवा के लिये सारी फैसिलिटीज क्लाज-5 में है और मैं पूरी तरह से इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह अधिनियम, 2007 में प्राविजन्स है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और इसमें निरन्तर हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी, मैंने पढ़ा है। मैंने जो भावना अपनी रखी थी।

श्री अध्यक्ष-

आपके हर सवाल का जवाब जैसे आपने सवाल किया माननीय मंत्री जी ने उसी के आधार पर उसका व्यापक जवाब दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय मंत्री जी ने सुना नहीं। यह तो सब लिखा हुआ है कि स्वामित्व में है और विरासत में मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा कि जिनके पास सब कुछ है उनके लिये अगर संतान नहीं भी है देख-रेख करने वाला तो कोई भी खड़ा हो जायेगा और वह उसको विल कर देंगे। मेरा प्रश्न यह था अध्यक्ष महोदय कि ऐसे माता-पिता जिनके सन्तान तो योग्य हैं, वह पढ़े-लिखे हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं अर्जित कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं लेकिन माता पिता के पास कोई सम्पत्ति न होने के कारण कोई अर्थ न होने के कारण वह उपेक्षित हैं और हर समाज में तो मैंने उनके लिये प्रश्न किया कि अगर इस अधिनियम में नहीं है तो ऐसा कोई प्राविधान ऐसे परिस्थितियों वालों के लिये क्या राज्य सरकार करेगी ? क्या ऐसा कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आपका यह एक वाक्य का सवाल है। माननीय मंत्री जी एक वाक्य में जवाब दे दें। यह कह रहे हैं जिसका इस ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं है उसके लिये अलग से कोई प्राविधान करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमन् ऐक्ट की कापी मेरे पास है। इसमें व्यवस्था है अगर उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है तो इस ऐक्ट के अधीन यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार वृद्धाआश्रम खोलकर उसमें उनको भर्ती करके वृद्धजनों को, वरिष्ठजनों को, जो डेली खाना, कपड़ा, मनोरंजन, दवाई यह सारी चीजें राज्य सरकार मुहैया करायेगी।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। ऐक्ट में प्राविधान है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

इनके बाद मैं प्रश्न करूंगा।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल जो जोड़ा गया है, आदरणीय दादा के साथ, मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न जो था वह यह था कि क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बुजुर्गों, मैंने माता पिता के साथ बुजुर्ग शब्द पर ध्यान दिया है, के साथ उनके परिजनों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही, जो मानसिक, आर्थिक या शारीरिक किसी प्रकार की हो सकती है, ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है....

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न इसमें लिखा है उसी का उत्तर मा0 मंत्री जी देंगे। आपके प्रश्न को उसमें जोड़ दिया गया है। आप उसी से संबंधित प्रश्न पूछें आप क्या भेजे थे, उससे मतलब नहीं है उससे संबंधित अनुपूरक आप क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैंने इसमें कानून या नियम की बात न करके ठोस कार्य योजना के बारे में जानना चाहा था। मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण कानून को बने हुए 6 साल हो गए हैं प्रदेश में लागू हुए करीब 6 महीने होने जा रहे हैं तो प्रदेश में इस कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, जिला स्तर पर लागू करने के लिए, जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, माता-पिता हैं, जो उपेक्षित हैं उनकी मदद करने के लिए इस कानून के अनुपालन के संबंध में क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो बता दिए हैं सब।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने कहा कि लगभग 6 साल हो गया, तो 6 साल नहीं, 2007 में भारत सरकार ने इसको एडाप्ट किया था और देश के सभी राज्यों से इस बात की उम्मीदें की गईं थीं कि राज्य सरकारें अपने यहां इसको लागू करें। पिछली सरकार ने तो इसको लागू नहीं किया। उनसे और प्रदेशों से क्या मतलब है। लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार की नीति है वह समाज के सभी वर्गों को सम्मान भी देना चाहती है, सहायता भी करना चाहती है, उपचार भी करना चाहती है। सैद्धान्तिक रूप से 25 सितम्बर को हमने एडाप्ट कर दिया है। मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी ने अपनी दो बैठकें की हैं और उसके बाद यह तय किया गया है कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में उसकी नियमावली बन जाए। ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ड्राफ्ट को एडाप्ट कर लिया गया है वह अब विधायी में गया है अब सारी चीजों को देखकर पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। लागू करने में कोई कमजोर व्यवस्था नहीं है। बहुत साफ-साफ व्यवस्था है, कठोर से कठोर, अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। कामचलाऊ व्यवस्था नहीं है उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, बीमार हो जाएं तो उनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए सारी व्यवस्था है। चूंकि नियमावली 1-2 महीने के अन्दर आ जायेगी तो सारी बात सामने आ जायेगी।

(श्री मनीष असीजा पुनः प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

असीजा जी, पूरे प्रश्न का उत्तर एक तरह से आ गया है। अभी नियमावली बन रही है। जब नियमावली बन जायेगी तो सारे तथ्य आ जायेंगे।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस नियम में स्पष्ट उल्लिखित है कि भरण-पोषण, प्राधिकरण की स्थापना होगी, समाज कल्याण अधिकारी स्तर का कोई भी अधिकारी भरण-पोषण अधिकारी के रूप में नियुक्त होगा। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, कानून में जब स्पष्ट व्यवस्था है कि आपका जो जिला स्तरीय ढांचा है, उसमें जो आपके समाज कल्याण अधिकारी हैं, वही भरण-पोषण अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे या उसी के समकक्ष कोई अधिकारी होगा ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया है कि नियमावली अभी हमारी तैयार हो रही है, उसमें सब चीजें होंगी। अब आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है और इस प्रश्न की जो आत्मा है, जो भाव है, उस भाव के अनुरूप वह अधिनियम नहीं है। केन्द्र सरकार के अधिनियम को आपने सन्दर्भित किया है, सवाल की भावना यह नहीं है। उसमें कहा गया है कि उसकी जो सम्पत्ति होगी, उस परिसम्पत्ति से उसका भरण-पोषण किया जायेगा, आगे उसमें हैं कि यदि उसकी परिसम्पत्ति नहीं है तो वृद्धाश्रम खोले जायेंगे। आशय यह है कि जिम्मेदारी बुजुर्गों के प्रति वारिशों की हो। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाती है, आपने सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट रूप से है कि जिम्मेदारी वारिशों की भी होगी। जो वारिश इस लायक हैं कि वह अपने माता-पिता का भरण-पोषण कर सकते हैं, लेकिन उनके माता-पिता के पास कोई सम्पत्ति नहीं है। मान लीजिए किसी का पुत्र एमएलए हो जाए, मंत्री हो जाए या फौज में नौकरी कर ले, उसकी आमदनी बढ़ जाए लेकिन अगर उसका क्रूर स्वभाव है, माता-पिता को सपोर्ट नहीं करना चाहता, ऐसा कानून में प्राविधान इंगित नहीं है। क्या प्रदेश सरकार इस प्रकार के कानून को बनाने पर विचार करेगी कि जो बुजुर्ग माता-पिता सुविधाओं से वंचित हैं, उनको भी सुविधाएं मिल सकें और इसके लिए उनके जो वारिश हैं, उनको विवश किया जा सके।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्रीमन्, विद्वान नेता, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया है तो यह सरकार पूरी तरह से दृढ़-संकल्प है कि जो सन्तानें अपने मां-बाप का भरण-पोषण नहीं करती हैं, उनके लिए एस0डी0एम0 स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप करके और उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। यहां तक कि उसको 10 हजार रुपये तक देने के लिए उसे बाध्य किया जायेगा। श्रीमन्, यह सारी व्यवस्थाएं हैं कि वह किस तरह से दरख्वास्त देगा, इसके लिए उसे किसी वकील के पास जाना नहीं होगा, वह सिर्फ एक दरख्वास्त दे देगा या कोई भी दे देगा, उसको विवश किया जायेगा कि वह बुजुर्गों का सम्मान करे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । यहां तक कि श्रीमन्, तीन महीने की सजा का भी प्राविजन है। चूंकि नियमावली अभी बन ही रही है तो हर चीज पहले से बताना ज्यादा उचित नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब प्रश्न संख्या-3 लेते हैं।

(श्री श्यामदेवराय चौधरी 'दादा' बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, इस प्रश्न पर 15 मिनट से ज्यादा समय हो गया है, 20 मिनट हो गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मान्यवर, मंत्री जी भी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, सदस्य हैं और माननीय नेता जी की जब-जब सरकार बनती है यह परमानेन्ट समाज कल्याण विभाग के मंत्री होते हैं तो यह तो एकदम परमानेन्ट

हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने यह बताया, उल्लेख किया कि ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम हैं, वृद्धावस्था आश्रम हैं और पेन्शन है। पेंशन के नाम पर आप 300 रुपये देते हैं। मैं इस बारे में कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि इसको बढ़ाईये आप बढ़ाते ही नहीं हैं। तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में आपने कैसे इतने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं जहां ऐसे लोग प्रवेश पा सके। अगर आपके पास रिकार्ड है तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं, अब मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

*02-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद अलीगढ़ से आगरा के मध्य कर्बन नदी में प्रदूषण रोकने हेतु कार्य योजना

*03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़, हाथरस तथा जनपद आगरा की एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कर्बन नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्रा)-

कर्बन नदी में निस्तारित होने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह के प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है।

जनपद अलीगढ़ के 08 उद्योगों का शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह अलीगढ़ ड्रेन के माध्यम से कर्बन नदी में निस्तारित होता है। बोर्ड द्वारा इन उद्योगों की समय-समय पर जांच की जाती है। इन उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्रण स्थापित हैं एवं मानकों के अनुरूप संचालित हैं। जनपद हाथरस के 09 उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह कर्बन नदी में निस्तारित होता है। बोर्ड द्वारा इन उद्योगों की समय-समय पर जांच की जाती है। इन उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं एवं मानकों के अनुरूप संचालित हैं।

जनपद आगरा के किसी उद्योग का उत्प्रवाह कर्बन नदी में निस्तारित नहीं होता है।

वर्तमान समय में अलीगढ़ नगर में आंशिक रूप से सीवर व्यवस्था लागू है। नगर में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तथा सीवर योजना लागू करने हेतु भारत सरकार के मानक के अनुसार पहले नगर में कम से कम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, जो वर्तमान समय में मानक के अनुसार नहीं है। नगर की पेयजल योजना को वर्ष 2015 के आधार वर्ष पर वर्तमान दरों पर तैयार किया जा रहा है। इस योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त सीवरेज एवं एस0टी0पी0 की योजना यू0डी0एस0एम0टी0 के फेज-II में प्रस्तावित की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कर्बन नदी में बुलन्दशहर का नाला, अलीगढ़ का नाला और हाथरस का नाला तीनों सीधे गिर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी इस नदी में पहले कभी बहुत साफ पानी आता था। गंगा जल आता था। क्योंकि उसके ऊपर से हाथरस ब्रांच निकलती है तो कभी-कभी उसका भी पानी रिसकर आता था तो बहुत साफ पानी आता था। माननीय अध्यक्ष जी, इस नदी के किनारे सैकड़ों गांव बसे हैं। आगरा शहर में इस नदी का जो हिस्सा है वह पूरा मेरी विधान सभा क्षेत्र में आता है। मैंने खुद सैकड़ों बार देखा है कि उस नदी के अधिक प्रदूषण के कारण उस नदी में झाग के पहाड़ जैसे बनते हैं। वह पहाड़ तभी बनते हैं जब जल बहुत अधिक प्रदूषित होता है। माननीय अध्यक्ष जी, अब गांव वालों का यही कहना है कि नदी के प्रदूषण के कारण भूजल भी प्रदूषित होने लगा है। उस पानी से इतनी बदबू आती है कि उस नदी के किनारे कोई खड़ा नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी एक उच्चस्तरीय अधिकारियों की टीम भेजकर कर्बन नदी के जल की जांच करायेंगे और दूसरी बात यह है कि आपने जो बताया है कि अलीगढ़ और हाथरस के उद्योगों में शुद्धिकरण संयंत्र लगे हैं। क्या उनके मानकों की जांच एक-आध महीने के अंदर हुयी है ?

श्री अभिषेक मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो संयंत्र लगे हुए हैं उनकी निरन्तर जांच होती रही है। अभी 25 तारीख को ही कुछ संयंत्रों की जांच हुयी है। निरंतर जांच हो रही है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, इसमें सीधे नाले गिर रहे हैं। बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस के नाले सीधे गिर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय टीम भेजकर कर्बन नदी के जल प्रदूषण की जांच करायेंगे और उनमें गिरने वाले नालों को तुरन्त रोकने का कष्ट करेंगे।

श्री अभिषेक मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में चूंकि बुलन्दशहर नहीं पूछा गया था उसकी सूचना मैं लेकर दे सकता हूं लेकिन जहां तक नदी का सवाल है नदी इस समय सूखी हुयी है, 13 तारीख के फोटोग्राफ्स में लेकर आया हूं। दो जगह के फोटोग्राफ्स हैं, नदी इस समय सूखी हुयी है। नदी में इस समय किसी तरह का उत्प्रवाह नहीं है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नदी में अभी भी पानी है और लोग उस नदी के पानी से गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं। सरकार का जवाब पता नहीं किन तथ्यों पर आधारित है। आज अगर आप यहां से किसी को भेज दें। कर्बन नदी में अभी भी पानी है और नदी के किनारे के गांव के सैकड़ों किसान उससे सिंचाई का काम कर रहे हैं।

श्री अभिषेक मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास ग्राम तलसेरा, इगलाश तहसील अलीगढ़ की दिनांक 13-02-2013 के फोटोग्राफ हैं और दूसरा, ग्राम जेसीनगला खैर अलीगढ़ के फोटोग्राफ हैं। जिसमें नदी

सूखी दिख रही है, लेकिन अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो जरूर उसमें सच्चाई होगी, उसकी जांच करा ली जायेगी।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी अलीगढ़ और इगलाश की बात कर रहे हैं और मैं आगरा की बात कर रहा हूं। आगरा में अभी भी कर्बन नदी में भरपूर पानी है और प्रदूषण भी है। आगरा में मान्यवर, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऊपर के नाले ऊपर मिलते हैं, हाथरस के नाले के बाद हमारा आगरा शहर का हिस्सा शुरू होता है, आगरा जिले का, उसमें अत्यधिक प्रदूषण है। मान्यवर, आपके द्वारा फिर मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय टीम भेज कर, कर्बन नदी के प्रदूषण की जांच जरूर करा लें।

श्री अभिषेक मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य लिखित शिकायत दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*4-श्री मनीष असीजा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु कार्य योजना

*05-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अभिषेक मिश्रा-

प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। जल, वायु, ध्वनि एवं अन्य अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थापित उद्योगों में जल शुद्धीकरण संयंत्र एवं वायु शुद्धीकरण संयंत्र लगाये गये हैं तथा इन संयंत्रों की समय-समय पर मानीटरिंग की जाती है। जो उद्योग दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें उद्योगों को विशिष्ट निर्देश/कारण बताओ नोटिस व बन्दी की कार्यवाही के अलावा उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्राविधान है।

इसके साथ ही जहां विभिन्न अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के सुरक्षित निपटान हेतु कार्यवाही की जा रही है, वहीं प्रदेश की विभिन्न नदियों की जल गुणता का अनुश्रवण, विभिन्न स्थानों की परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण तथा ध्वनि प्रदूषण का माप भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से किया जाता है ताकि प्रदूषण के स्तर का ज्ञान होता रहे तथा समुचित कार्यवाही होती रहे।

प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं उसके अन्तर्गत अधिसूचित विभिन्न नियम जैसे-परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008 यथा संशोधित, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम-1998 यथा संशोधित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम-2000 आदि प्रभावी हैं एवं इन अधिनियमों तथा नियमों के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

इसी क्रम में नदियों को स्वच्छ रखने हेतु प्रदेश के विभिन्न शहरों से निकलने वाले घरेलू जल-मल के शुद्धीकरण हेतु भी 44 शुद्धीकरण संयंत्र लगाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनील कुमार यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जल शुद्धीकरण और वायु शुद्धीकरण के मानक क्या हैं ?

श्री अभिषेक मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, वायु शुद्धीकरण के मानक, अलग-अलग कैटेगरीज में हैं, आवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शान्त। दिन और रात में इनका अलग-अलग कैलकुलेशन होता है। आवासीय के लिए मैं रो और कालम वाइज पढ़ूंगा, आवासीय-दिन में 55 रात में 45, वाणिज्यिक-दिन में 65 रात में 55 और औद्योगिक-दिन में 75 रात में 70 और शान्त-दिन में 50 और रात में 40 इसी तरीके से वायु गुणता के लिए पादचलित मानक पीएम-टेन माइक्रोन से कम के आकार का होना चाहिए। सल्फर डाई आक्साईड और नाईट्रोजन डाई आक्साईड की भी लगातार काउण्टिंग की जाती है और इनके मानक भी औद्योगिक, रिहायसी, ग्रामीण एवं अन्य इलाकों में पीएम-टेन 60 होना चाहिए एसओ-टू 50 से कम होना चाहिए, एनओ-टू 40 से कम होना चाहिए, संवेदनशील इलाकों में 60 से कम, एसओ-टू 20 से कम और एनओ-टू 30 से कम और यह सारी मात्राएं माइक्रो ग्राम प्रति घनमीटर में दी गई हैं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, पर्यावरण की दृष्टि से पीपल का वृक्ष जो सबसे ज्यादा आक्सीजन देता है, क्या उसको लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न में यह पीपल का वृक्ष कहां से आ गया ? आप बैठ जायं। आप उसकी पूजा करें, उसकी पूजा की जाती है।

श्री अभिषेक मिश्रा-

मान्यवर, जो वृक्ष जितनी आक्सीजन देता है, उतनी ही कार्बन डाई आक्साइड भी देता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न ही नहीं स्वीकृत हुआ, मा0 मंत्री जी आप बैठ जायं।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न है, यह प्रदेश की जनता के जनजीवन ने जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो मानक अभी मा0 मंत्री जी ने बताये तो मैं बहुत सूक्ष्म से दो सवाल कर रहा हूं। नम्बर एक, क्या उन मानकों के अनुरूप किसी नदी का जल है। उत्तर प्रदेश की किसी भी एक नदी का जल उन मानकों के अनुरूप है। मान्यवर, दूसरा, अधिनियम तो केन्द्र सरकार का है। अधिनियम को लागू करने का दायित्व प्रदेश सरकार का है। अभी आप इसका पैरा-2 देखें कि जल शुद्धिकरण संयंत्र और वायु शुद्धिकरण संयंत्र लगाये गये हैं। अगर लगाये गये हैं और आप इस बारे में निश्चित हैं कि लगाये गये हैं तो फिर उनका परिणाम क्यों नहीं आ रहा ? यह देखना भी तो प्रदेश सरकार का ही काम है। आपने कह दिया कि यंत्र लगाये गये हैं। परिणाम क्यों नहीं आ रहा, मान्यवर, दूसरा प्रश्न मेरा यह है क्योंकि दिक्कत यह है कि इसके बारे में मैंने भी कई बार प्रश्न करने का प्रयास किया और मंत्री जी केवल वहीं तक सीमित हैं जितना इनको लिखकर दे दिया जाता है। नौजवान हैं, अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ते, जहां यंत्र लगाये हैं, वहॉं पर एक बार जाकर देख भी लेते तो इनको ज्ञान हो जाता। टेक्निकल एजूकेशन में आप अच्छे हैं, मुझको पता है लेकिन उस टेक्निकल एजूकेशन को कार्य रूप भी तो दो, जाओ भी तो कहीं। अरे, गंगा नदी प्रदूषित, यमुना नदी प्रदूषित, गोमती नदी प्रदूषित, कोई नदी बची है यहां पर और सब उद्योगों के कारण से। जब संयंत्र लगे हैं तो पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, गन्दा पानी क्यों आ रहा है। हालांकि कि हिण्डन नदी, वह तो नदी है ही नहीं, उसका तो नदी का रूप ही नहीं रहा लेकिन मान्यवर, इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुछ काम अच्छे किये हैं। प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन को हटाया और अगले दिन उससे महत्वपूर्ण पद दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सवाल इससे जुड़ा हुआ है। यह सवाल प्रदूषण से ही सम्बन्धित है और उनको प्रदूषण को रोकने में असफल और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से हटाया। ये उसी प्रश्न का तो हिस्सा हो गया। मान्यवर, हालांकि मेरे जो पहले दो प्रश्न थे कि जब संयंत्र लगे हुये हैं तो संयंत्रों के लगने के बाद भी प्रदूषित पानी नदियों में क्यों आ रहा है और इन मानकों को जिनको आपने इस सदन के सामने रखा है कि क्या उत्तर प्रदेश की किसी भी नदी में इन मानकों के अनुरूप जल है ? यही दो सवाल मेरे हैं।

श्री अभिषेक मिश्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, मानक अलग-अलग हैं। अगर आप मानक में बी0ओ0डी0 की बात करते हैं तो कुछ नदियों में मानक के अनुरूप हैं। मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी शास्त्री ब्रिज संगम से कलर के हिसाब से पी0एच0 के हिसाब से और बी0ओ0डी0 के हिसाब से 01 फरवरी, 2013 को सही पायी गयी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पूरा सदन साक्षी है, पूरा प्रदेश साक्षी है कि नहाने लायक भी पानी नहीं था, पीने की बात तो छोड़ दीजिये। मान्यवर, उसमें दुर्गंध आ रही थी और जो उसमें नहाया, उसको जाकर अपना इलाज कराना पड़ा। मान्यवर, पूरा सदन आपकी तरफ देख रहा है, आप संरक्षण दीजिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप बहुत ही सम्मानित और संजीदा सदस्यों में से हैं। आपकी जानकारी के लिये कुम्भ में पानी के तमाम प्रवाह को, उसकी शुद्धता को, उसमें कितनी गन्दगी है, इसे हाईकोर्ट को खुद मॉनीटर करता है, उनकी मॉनीटरिंग एक कमेटी है, वे मॉनीटर करते हैं और रोज वहां पर पी0आई0एल0 होती रहती हैं, हमें जवाब देना होता है। एक दिन पानी में लाल रंग सा था और वह लाल रंग इसलिये था क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हुयी थी। बहुत तेज बारिश हुयी थी और उससे जो मिट्टी बहकर आयी थी, वह उस मिट्टी का रंग था। इससे शुद्ध पानी किसी भी स्नान में नहीं रहा, इसकी साक्षी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। खुद आपके नेतागण हैं, जो गंगा में प्रदूषण के लिये एक बड़ी तहरीक चला रही हैं, उमा भारती जी, उनका कहना है, उनके बयानात हैं अखबार के और उनका यह मानना भी है कि हमारी सरकारों में भी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कानपुर की टेनरीज़ का पानी नहीं रुका लेकिन इस सरकार में कानपुर की टेनरीज़ का पानी शत-प्रतिशत रुक गया। मेरे ख्याल से आपकी सूचना सही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। आप बैठ जाइये रूबी प्रसाद जी, हां राणा साहब आप पूछिए। रूबी प्रसाद आप बैठ जाएं, पहले इनको पूछ लेने दें।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनका विभाग उन्हें लगातार गुमराह कर रहा है। मैं तीन बार इस प्रश्न को पूछ चुका हूं आज भी अतारांकित प्रश्न संख्या-7 मेरा लगा हुआ है। मैंने कहा था कि शामली जनपद में कृष्णा नदी पूरी तरह से प्रदूषित है, जवाब मुझे आया था पिछले सत्र में कि किसी भी कारखाने का गंदा पानी उस नदी में नहीं डाला जा रहा है। मैंने लिखकर के बताया कि गन्ना फैक्टरी मलौता, गत्ता फैक्टरी मलौता, शुगर फैक्टरी थानाभवन, सिरका की एक फैक्टरी है, जिनका गंदा पानी खुले आम कृष्णा नदी में डाला जा रहा है और जवाब मुझे मिला था कि सब में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगे हुए हैं और कोई गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गंदा पानी बाहर जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह मौके पर जाकर, मैंने नाम से बताया, कहें तो दोबारा बता दूं, गत्ता फैक्टरी मलौता, गन्ना फैक्टरी मलौता, बजाज हिन्दुस्तान गन्ना फैक्टरी थानाभवन और सिरका की एक फैक्टरी का गंदा पानी उसमें डाला जा रहा है, क्या आप उसकी जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य लिखकर दे दें। यह प्रश्न कहां है।

श्री सुरेश राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह मेरे क्षेत्र का मामला है, वहां पर हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। कैंसर, पीलिया इत्यादि तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। मान्यवर, हम आपका इसमें संरक्षण चाहते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राणा साहब आप इस पर अलग से सवाल लगाएं।

(श्रीमती रूबी प्रसाद, दीपक कुमार एवं अन्य मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

दीपक कुमार जी बैठ जाइये, रूबी प्रसाद जी आप भी बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। मंत्री जी का जवाब भी सुनिये, क्या अपनी ही बात कहते रहेंगे। वह जवाब दे रहे हैं तो, सुनिये।

श्री अभिषेक मिश्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर कोई स्पेशिफिक शिकायत हो मा0 सदस्य की तो लिखकर दे दें, उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वह बता रहे हैं कि जांच करा ली जायेगी, आप लिखकर दे दीजिएगा।

प्रदेश में खाद पर अनुदान की जानकारी

*6-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद पर अनुदान समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद पर पुनः अनुदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 कृषि मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम खाद पर अनुदान दे रहे हैं, तो हम जानकारी चाहते हैं कि यूरिया पर, डी0ए0पी0 पर, पोटाश, एन0पी0के0-12,32 और 16 इनपर कितना खाद पर अनुदान दे रहे हैं।

कुंवर आनन्द सिंह-

इस पर अनुदान भारत सरकार देती है और उसका देने का तरीका यह है कि आज डी0ए0पी0 पर 14350/- रुपया क्विंटल टन....

श्री धर्मपाल सिंह-

बोरी के हिसाब से बताएं।

कुंवर आनन्द सिंह-

अब बोरी के हिसाब से तो नहीं कलकुलेट कर दीजिए।

(भाजपा के कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष-

अब बोरी के हिसाब से कैसे होगा, जो बना रहे हैं, यह कौन सा तरीका है, जो उत्तर दे रहे हैं, वह सुनिये। अब मौर्या जी आप बैठ जाइये। मंत्री जी आप बताइये, जो आपके पास आया है, वही बताइये।

कुंवर आनन्द सिंह-

एन0पी0के0 पर 13,697/- एम0ओ0पी0 14,400/- और एस0एस0पी0 3,673/- रुपया टन भारत सरकार सब्सिडी देती है, उत्तर प्रदेश सरकार से इसे कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

बस, बात खत्म हुई।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2002 में थी, तो हमें डी0ए0पी0 202 का कट्टा मिलता था, तो उसमें 350 रुपये छूट थी, पोटाश 150 रुपये का कट्टा मिलता था, तो उसमें 500 रुपये की छूट थी और एन0पी0के0 200 रुपये का कट्टा मिलता था, उसमें 1000/- रुपये छूट थी। एन0पी0के0-12, 32, 16, का 250/- रुपये का कट्टा मिलता था, उस पर 1100 रुपये की छूट थी और डी0ए0पी0 410 का मिलता था, उस पर 570 रुपये छूट थी। आज डी0ए0पी0 1260/- का मिल रहा है। मान्यवर, मा0 कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि खाद पर आपने कहा कि हम अनुदान दे रहे हैं। मान्यवर, आपकी बात ठीक है आप अनुदान नहीं दे रहे हैं, आपने कहा था कि अनुदान दिया जा रहा है, पर कट्टा आप कितना अनुदान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुदान देती है तो क्या यह सरकार भी अनुदान देगी ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, 12 वर्ष बाद यह सवाल उठा है। मान्यवर डी0पी0ए0 में देख लें, कट्टा 570 रुपये का है उसमें यूरिया में 350 रुपये की छूट है और पोटाश में 500 रुपये की छूट है तो पर कट्टा छूट इतनी हुई और अनुदान इतना हुआ है। मान्यवर, मंहगाई कितनी बढ़ गयी है। डीजल पहले 17 रुपये में मिलता था और अब 52 रुपये में मिल रहा है। तो क्या सरकार इस बढ़ती हुई मंहगाई के दृष्टिगत इस छूट अनुदान को बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही करायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप खुद कह रहे हैं, कि अनुदान, छूट भारत सरकार देती है तो वह जबाब कैसे दे पायेंगे कि इसे बढ़ायेंगे कि नहीं ?

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, हमारी सरकार कट्टे पर छूट नहीं देती है। हमारी सरकार उस पर प्रतिबन्ध लगाती है।

श्री अध्यक्ष-

आप दूसरी तरफ ले गये। इनके कट्टे का मतलब बोरी से है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि उनकी सरकार कट्टे पर अनुदान नहीं देती है। अगर यह अनुदान देने लगेंगे तो खुद मुसीबत में फंस जायेंगे। हंसी।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, इस मंहगाई को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं का मूल्य 1350 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया है और उस पर राज्य सरकार 100 रुपये बोनस के रूप में देती रही है। तो क्या सरकार गेहूं का जो समर्थन मूल्य 1350 रुपये घोषित किया गया है उस पर 100 रुपये बोनस देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। अब और प्रश्न नहीं है इसलिए प्रश्नों का प्रहर समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मऊ के ग्राम सभा लउवासाथ में प्राइमरी स्कूल हेतु आरक्षित भूमि पर कब्जा किये जाने की जानकारी

01-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव अन्तर्गत ग्राम सभा लउवासाथ में प्राइमरी स्कूल के लिए आरक्षित भूमि पर उक्त गांव के वर्तमान प्रधान द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल उक्त स्कूल की भूमि खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां। ग्राम लउवासाथ तहसील मधुबन, जनपद मऊ के भूखण्ड सं0-446 क्षेत्रफल 0.090 हे0 पाठशाला हेतु आरक्षित है, जिस पर कोई विद्यालय भवन नहीं है। खाली होने की दशा में श्री द्वारिका पुत्र श्री रामवृक्ष के द्वारा कन्डा व गोबर रखा गया था।

जी हां। तत्काल हटवा दिया गया है। अब किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।

जनपद गोरखपुर में चौरी-चौरा स्थित तरकुलही देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

02-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में स्थित तरकुलही देवी का ऐतिहासिक मंदिर अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार तरकुलही देवी के ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में विधायक निवास ओ0सी0आर0 में मा0 सदस्य के निवास का फर्नीचर बदलवाये जाने का प्रकरण

03-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15-6-2012 को पत्र संख्या-ग-3 नं0-823871 राज्य सम्पत्ति अधिकारी, लखनऊ को प्रश्नकर्ता को आवंटित विधायक निवास

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या- *6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जी-3, ओ0सी0आर0, बी ब्लाक, लखनऊ में जर्जर फर्नीचर आदि बदलवाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

मा0 सदस्य का फर्नीचर बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज के ग्राम समेसी की चकबन्दी पूर्ण कराये जाने का प्रकरण

04-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के अनुसार प्रदेश के किसी भी गांव की चकबन्दी का कार्य 60 माह में पूर्ण किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समेसी की चकबन्दी दिनांक 13-6-2008 से चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव का चकबन्दी कार्य पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

ग्राम समेसी में चकबन्दी प्रक्रिया दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण कराने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

05-श्री संगीत सिंह सोम-

[3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में राजस्व वसूली हेतु सेवारत अंशकालिक अमीनों के नियमितीकरण का प्रकरण

06-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व वसूली हेतु तहसीलों में 20 वर्षों से भी अधिक समय से सेवारत अंशकालिक अमीनों को नियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण से बचाये जाने हेतु कार्य योजना

07-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्योगों द्वारा डाले जा रहे विषैले रसायनिक पदार्थों के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने की सरकार की कोई

कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या जनपद शामली के थानाभवन स्थित कृष्णा नदी को प्रदूषण से बचाने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

औद्योगिक इकाइयों से जनित जल प्रदूषण से नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू है जिनके प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में मशरूम उत्पादन तथा कम्पोस्ट व स्पान इकाई व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित की स्थापना किये जाने की मांग

08-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर में मशरूम उत्पादन तथा कम्पोस्ट व स्पान इकाई एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी नहीं।

राजकीय क्षेत्र में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रीय कृषकों के हितार्थ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती पर राजकीय मशरूम स्पान लैब, कम्पोस्ट उत्पादन इकाई तथा प्रशिक्षण केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है।

जनपद पीलीभीत के कतिपय शुगर मिलों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की जानकारी

09-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की बजाज शुगर मिल एवं नोवल शुगर इकाई बरखेड़ाकलां द्वारा प्रदूषण फैलाने के आरोप में कितनी बार कार्यवाही की गयी है तथा कब-कब प्राथमिकी पंजीकृत हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों मिलों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, बरखेड़ा, जिला पीलीभीत चीनी उद्योग हैं जो सीजनल उद्योग हैं। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित एवं मानकों अनुरूप संचालित है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 25-6-2012 द्वारा सहमति जल वर्ष 2012 प्रदान की गयी है तथा सहमति आवेदन वर्ष 2013 विचाराधीन है। उद्योग में स्थापित ब्वायलर्स के वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा मानकों के अनुरूप

संचालित है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 02-04-2012 द्वारा सहमति वायु वर्ष 2012 प्रदान की गयी है। सहमति वायु वर्ष 2013 विचाराधीन है।

मै0 नोवेल शुगर लि0, बीसलपुर, पीलीभीत खाण्डसारी उद्योग है जो सीजनल उद्योग है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित एवं मानकों अनुरूप संचालित है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 31-12-2012 द्वारा सहमति जल वर्ष 2013 प्रदान की गयी है। उद्योग में स्थापित ब्वायलर्स के वायु उत्सर्जन नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा मानकों के अनुरूप संचालित है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 31-12-2012 द्वारा सहमति वर्ष 2013 प्रदान की गयी है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का प्राविधान नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा रामपुर में उप मण्डी स्थल बनाये जाने की मांग

10-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर देहात की तहसील सिकन्दरा के कस्बा राजपुर में उपमंडी स्थल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यापारी की संख्या व आय कम होने के कारण।

जनपद कानपुर देहात के कतिपय कस्बों में सरकारी महाविद्यालय बनवाये जाने की मांग

11-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में कितने सरकारी महाविद्यालय हैं ? क्या सरकार छात्र-छात्राओं को शिक्षा की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कस्बा डेरापुर, कस्बा राजपुर अथवा कस्बा सिकन्दरा में एक सरकारी महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद कानपुर देहात में 01 राजकीय महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यालय, अकबरपुर, कानपुर देहात) संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा डेरापुर के आसपास 03, कस्बा राजपुर के आसपास 03 एवं कस्बा सिकन्दरा के आसपास 04 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है जिससे उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

जनपद बलिया के ग्राम सभा भदौरा तरछापर के अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता सम्बन्धी गत तीन वर्षों से लम्बित प्रार्थना-पत्रों का प्रकरण

12-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड-विल्थरा रोड अन्तर्गत ग्राम सभा भदौरा तरछापर के कितने अनुसूचित जाति के लड़कियों की शादी में दी जाने वाली आर्थिक सहायता विषयक प्रार्थना-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया के कार्यालय में वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 में स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं ? क्या सरकार स्वीकृति देकर उक्त धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

निदेशक समाज कल्याण से प्राप्त सूचनानुसार अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु प्रश्नगत अवधि में उल्लिखित ग्राम से सम्बन्धित कोई भी आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, बलिया में स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन अनुदान बढ़ाये जाने की मांग

13-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बढ़ती हुयी महंगाई को मद्देनजर रखते हुये वृद्धावस्था पेंशन अनुदान की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं। राज्य सरकार के समिति वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कतिपय पदों पर भर्ती में अनियिमतता की जांच का प्रकरण

14-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में कतिपय पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 2/2012, दिनांक 10-04-2012 का साक्षात्कार माह सितम्बर/अक्टूबर, 2012 में सम्पन्न हुआ है ? क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि कतिपय शिकायतों के आधार पर उक्त प्रकरण की जांच करायी जा रही थी ? यदि हां, तो क्या

उक्त जांच पूर्ण हो गयी है तथा जांच का परिणाम क्या है ? क्या सरकार उक्त पदों के चयन की सूची प्रकाशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

विज्ञापन संख्या-2/2012 में विज्ञापित पदों में से कार्यक्रम सहयक (कृषि), कार्यक्रम सहायक (फार्म मैनेजर), कार्यक्रम सहायक (कम्प्यूटर), कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार (सहायक) पदों का साक्षात्कार माह सितम्बर/अक्टूबर, 2012 में हुआ है।

जी हां।

जांच पूर्ण हो गयी है, प्राप्त जांच आख्या पर कार्यवाही विचाराधीन है।

जांच में लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र कांठ में मण्डी परिषद् द्वारा कतिपय मार्गों के निर्माण का प्रकरण

15-श्री अनीसुरर्हमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् द्वारा विधान सभा क्षेत्र कांठ में एक मार्ग शिवमंदिर को जाता है सहित तीन मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-10-12 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र की प्रति मण्डी समिति के प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं तकनीकी सूचनाओं सहित आगणन हेतु उप निदेशक (निर्माण) मुरादाबाद को प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी प्रयोजनों हेतु ग्राम पंचायत की भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर उसका मुआवजा ग्राम पंचायत को दिये जाने की मांग

16-श्री सूरज पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिये ग्राम पंचायत की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में उसका मुआवजा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

गांव सभाओं में निहित भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया जाता बल्कि उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-117 (6) के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण किया जाता है। पुनर्ग्रहण की दशा में भूमि की कीमत एवं पूंजीकृत मूल्य ग्राम पंचायतों को दिये जाने का प्राविधान नहीं है बल्कि सम्बन्धित गांव सभा या स्थानिक अधिकारी उस वस्तु में अथवा उस पर किये गये केवल विकास कार्य ही के कारण, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने की अधिकारी होता है।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-4 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित भूमि राजकीय भूमि है जो गांव सभा के प्रबन्धाधीन है। अतः उक्त भूमि की कीमत एवं पूंजीकृत मूल्य राजकोष में लेखा शीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जाता है।

जनपद सन्तकबीर नगर के मगहर कस्बे की बन्द कताई मिल चालू कराये जाने की मांग

17-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-संतकबीर नगर के मगहर कस्बे में स्थित बन्द कताई मिल को पुनः चलाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसकी समय सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित सहकारी कताई मिल संघ की कताई मिलों के परिसमापन का निर्णय वर्ष 2006 में लिया गया तथा वर्तमान में कताई मिलें कोर्ट रिसीवर बाम्बे के कब्जे में है।

जनपद सन्तकबीर नगर में कतिपय विकास खण्डों में महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग

18-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड-सेमरियावाँ एवं बघौली में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में महिला महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड सेमरियावां के अन्तर्गत कडजहां में अवध सेण्टर ऑफ एजूकेशन फार वूमेन्स स्ववित्त पोषित महाविद्यालय सत्र, 2005-06 से संचालित है। बघौली विकास खण्ड के अन्तर्गत बरईपार में गौतमबुद्ध कन्या महाविद्यालय के संचालन हेतु असेवित योजनान्तर्गत कला संकाय के भवन निर्माण हेतु सत्र, 2011-12 में प्रथम किश्त के रूप में रु0 10.00 लाख स्वीकृत किया गया है। बघौली विकास खण्ड के अन्तर्गत बरगदवां में सहशिक्षा का सरदार पटेल डिग्री कालेज स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। उक्त के अतिरिक्त बघौली विकास खण्ड से 15 कि0मी0 की दूरी में सहशिक्षा का हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संतकबीर नगर (सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय) संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सन्तकबीर नगर के विकास खण्ड समरियावां एवं बघौली में महिला शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण महिला महाविद्यालय खोलने का औचित्य नहीं है।

19-श्री सतीश महाना-

[दिनांक 27-02-2013 को अता0प्र0सं0-182 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की अनुदान राशि बढ़ाये जाने की मांग

20-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बढ़ती हुयी महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की अनुदान धनराशि को बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं। राज्य सरकार के समिति वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में परिवार के मुखिया के आश्रितों की आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने का प्रकरण

21-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, के आश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में मात्र 20,000 रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है ? क्या सरकार उस धनराशि को एक लाख रुपये तक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

उक्त सहायता राशि रु0 30,000/-किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम धनौली तप्पा के चकमार्ग का अवरोध को खुलवाये जाने का कथित प्रकरण

22-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, परगना चिल्लूपुर, तहसील-गोला अन्तर्गत ग्राम धनौली तप्पा के चकमार्ग संख्या-8, रकबा 0.036 पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

23-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 03-12-2012 को जिलाधिकारी फैजाबाद की अध्यक्षता में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत आई0आर0डी0एफ0-18, विकास खण्ड-मवई व रूदौली की ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित कार्यों में से किन-किन कार्यों को कराये जाने हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्वीकृत कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जनपद फैजाबाद में दिनांक 3-12-2012 को जिलाधिकारी, फैजाबाद की अध्यक्षता में जिला एवं भूमि संरक्षण की बैठक में विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0-18, योजना में विकास खण्ड-मवई की 21 परियोजनाओं/ग्राम पंचायतों समोच्च रेखीय बांध मार्जिनल बांध अवरोध बांध, समतलीकरण, वनीकरण, वृक्षारोपड़, फसलोत्पादन आदि कार्यों के लिए रु0 953.962 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। विकास खण्ड-रूदौली में योजना संचालित नहीं है।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को वर्ष 2013-14 से 2015-16 (तीन वर्षों) में पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[दिनांक 27-02-2013 को अता प्र0 सं0-181 द्वारा उत्तरित]

जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्डवार बी0पी0एल0 पात्र कार्डधारकों के पेंशन न मिलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

25-डा0 मो0 अयूब-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड वार ग्राम पंचायतों में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक ऐसे वृद्ध हैं जिन्हें पात्र होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है ? क्या सरकार इन सभी का ग्राम पंचायत वार/विकास खण्डवार प्रस्ताव तैयार करवा कर भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रश्नगत सूचना एकत्र की जा रही है।

भारत सरकार को वृद्धावस्था पेंशन के पृथक से प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जाते। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स तथा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार के स्तर से जनपदवार और विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए यह पेंशन दी जाती है। अतः भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर की मण्डी समिति में प्रतिवर्ष प्राप्त राजस्व एवं उससे क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

26-डा0 मो0 अयूब-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति संत कबीर नगर से प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है ? क्या सरकार उक्त मण्डी समिति से प्राप्त राजस्व से मण्डी समिति द्वारा बनी सड़कों को जो वर्तमान समय में पूर्णतः क्षति ग्रस्त हो चुकी हैं, की मरम्मत कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मण्डी समिति, खलीलाबाद (सन्तकबीर नगर) से विगत वर्ष 2011-12 में प्राप्त राजस्व रु0 315.00 लाख है।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य आवश्यक प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मार्गों के मरम्मत पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद से लोनी नाम की एक नई तहसील बनाये जाने की मांग

27-श्री जाकिर अली-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में लोनी नाम से एक नई तहसील बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख 074843, दिनांक 02-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त नई तहसील का गठन किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी विधान सभा क्षेत्र में लोनी नाम से नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रस्तावित तहसील लोनी नई तहसील के रूप में सृजन हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में ट्रोनिका सिटी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

28-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लोनी में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित ट्रोनिका सिटी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5-नं0-74836, दिनांक 02-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, मा0 विधायक का उक्त पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के सांसद/विधायक प्रकोष्ठ से प्रश्न प्राप्त होने पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर प्राप्त किया गया है, जो मूलरूप में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को प्रेषित है।

औद्योगिक क्षेत्र ट्रोनिका सिटी में औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण करा दिया गया है। पानी एक स्थान पर एकत्र कर अन्यत्र स्थान पर प्रवाहित करने हेतु सेक्टर-सी-9 में पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं की मान्यता सम्बन्धी कथित प्रकरण

29-श्री सन्त प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व संचालित महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं की मान्यता जून, 2012 को समाप्त हो गई है एवं स्थाई मान्यता हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों के छात्रों को वर्ष 2012-13 की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर ट्रस्ट द्वारा अवरुद्ध विस्तारीकरण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग

30-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा किये जा रहे परिसर के विस्तारीकरण का कार्य अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर श्री आनन्द सिंह-

जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वाथ मन्दिर ट्रस्ट द्वारा किये जा रहे परिसर के विस्तारीकरण का कोई कार्य अवरुद्ध नहीं है।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम तिवारीपुर, कृपालपुर में ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने विषयक मुकदमा वापस किए जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

31-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम तिवारीपुर, कृपालपुर में ग्राम सभा की भूमि पर किये गये अवैध कब्जा को हटाने विषयक मुकदमा

संख्या-572/2009 में मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा उक्त भूमि वापस लेने सम्बन्धी दिनांक 10-08-2012 के दिये गये आदेश के क्रम दिनांक 11-08-12 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को जो अभी भी अवैध कब्जे में है, को खाली कराकर गरीबों को आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, दिनांक 11-08-2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

ग्राम कृपालपुर की गाटा संख्या 28क रकबा 0.340 हे0, जो नवीन परती के खाते की भूमि थी, पर पट्टेदार का कब्जा है। ग्राम कृपालपुर में स्थित गाटा संख्या 70क मि0 रकबा 10.200 हे0 से अभिलिखित खातेदारों का इन्द्राज निरस्त कर नदी खाता में दर्ज किया गया है, जो निरस्त होने के बाद खाली था तथा बाढ़ से जलमग्न हो गया था। वर्तमान में इसके 1.500 हे0 पर मौके पर गेहूं बोया गया है, जिसके लिए बेदखली के रिपोर्ट के आधार पर धारा-122बी ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। सहायक अभिलेख अधिकारी ने वाद सं0-166 में दिनांक 25-06-2012 को आदेश पारित करते हुए ग्राम तिवारीपुर स्थित गाटा सं0-63 रकबा 1.410,87 रकबा 0.300, 88 रकबा 0.530, 92 रकबा 0.270, 186क रकबा 1.680,187क रकबा 1.440,66क रकबा 0.410 व 86क रकबा 4.870,90 रकबा 1.340,91 रकबा 0.940 हे0 से अभिलिखित खातेदारों का नाम निरस्त कर ग्राम समाज का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया है। इसमें से मात्र गाटा सं0-86क मि0 रकबा 1.200 हे0 पर श्री प्रकाश व विजय प्रकाश व पुत्रगण रामऔतार निवासी ग्राम गोपलाभार में अतिक्रमण कर बाढ़ समाप्त होने के पश्चात् गेहूं बो लिया है, इनके विरुध बेदखली का वाद अन्तर्गत धारा-122 बी0 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम दायर कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के कृषकों के कल्याणार्थ जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

32-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषकों के कल्याणार्थ ''जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना'' अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपके आदेश संख्या 186898/2012, दिनांक 20-12-2012 के क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0प्र0, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का आदेश पत्रांक मु0अभि0/(ज0मि0ग्रा0यो0-7067)/2012-3493, दिनांक 28-12-2012 जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

परिषद् पत्रांक-3493 दिनांक 28-12-2012 द्वारा मण्डी समिति से प्रस्ताव मांगा गया है, जो अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके एरियर का भुगतान कराये जाने के आदेश

33-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठे वेतन आयोग की संस्तुति पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निर्देश दि0 24 मार्च, 2009 पत्रांक-डी0एच0-1765-73 के अनुपालन में न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों को दि0 01-01-2006 से बकाया एरियर एवं अवशेष देयकों का भुगतान अधीक्षक, राजभवन लखनऊ, जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मियों के अवशेष देयकों/एरियर का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

अधीक्षक, राजभवन, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 29-6-1991 से पूर्व कार्यरत 07 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्हें 01-वेतन मद से न्यूनतम वेतन रु0 2550/- का भुगतान किया जा रहा था, उनको छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार एरियर का भुगतान किया गया है तथा 19 दैनिक श्रमिक, जिन्हें 02-मजदूरी मद से भुगतान किया जा रहा है, उनको एरियर भुगतान नहीं किया गया है। जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ ने अवगत कराया है कि उनके द्वारा न्यूनतम वेतनभोगी दैनिक श्रमिकों का माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2009 तक के एरियर का भुगतान किया गया है तथा माह जनवरी, 2006 से नवम्बर, 2008 तक के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि दैनिक वेतन श्रमिकों से सम्बन्धित एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

शेष के सम्बन्ध में न्याय विभाग/वित्त विभाग के परामर्शानुसार ही शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। किन्तु कोई निश्चित समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा समूह 'घ' के रिक्त पदों पर कर्मियों को विनियमित किये जाने की मांग

34-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के अनुपालन में 29 जून, 1991 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियों को जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा जारी दिनांक 10 जनवरी, 2013 पत्रांक डी0एच0-1401-11/स्था0-3/च0श्रे0-58 बी के द्वारा समूह 'घ' के रिक्त पदों पर विनियमित किये जाने का निर्देश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मियों को विनियमित किया गया और कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष कर्मियों को भी विनियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

दैनिक वेतन कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जी हां, पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों का वितियमितीकरण नियमानुसार किया जायेगा।

पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मियों का विभाग में पदों की उपलब्धता के आधार पर विनियमितीकरण नियमानुसार किया जाता है।

विनियमितीकरण किये जाने हेतु कोई निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लेखपालों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

35-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत लेखपालों की संख्या पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम नेतवार पट्टी ग्राम की चकबन्दी कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम नेतवार पट्टी ग्राम की चकबन्दी कराने के पत्र संख्या सी0एम0 292/01.08.11/41/18,2011-561-22-09-2011 के क्रम में चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा पत्रांक 4553/जी-02/11, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश मिला था ? यदि हां, तो उक्त चकबन्दी कब तक आरम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, गोरखपुर द्वारा उक्त ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापित कराने हेतु प्रस्ताव दिनांक 21-02-2013 को प्राप्त हुआ है। परीक्षणोपरान्त चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम टड़वा श्री राम की चकबन्दी कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

37-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम टड़वा श्री राम की चकबन्दी कराने का शासन के पत्र संख्या सी0एम0 3285/01-08-11-41/6/2011-61 रा0अ0 8, दिनांक 13-12-2011 के जरिये चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा चकबन्दी कराने की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम की चकबन्दी कब तक आरम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिया गया था। जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर परीक्षणोपरान्त उक्त ग्राम को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 25-10-2007 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के राजकीय भिक्षुक गृह संचालित कराये जाने की मांग

38-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत राजकीय भिक्षुक गृह संचालित कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी नहीं, प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में राजकीय भिक्षुक गृह संचालित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में पूर्व से ही 07 जनपदों यथा-आगरा, मथुरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा फैजाबाद में राजकीय भिक्षुक गृह संचालित हैं।

39-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के उधान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के किसानों को बीज उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

40-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश के किसानों को खरीफ, रबी तथा जायद के प्रमाणित बीज, पेस्टी साइड

आदि का लाभ न मिलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

राज्य औद्यानिक मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/यू0पी0 डास्प के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में प्लान्टिंग मैटीरियल, बीज, बायोएजेन्ट्स, बायोफर्टिलाइजर व बायोपेस्टीसाइड्स आदि की आपूर्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को पृष्ठांकित शासनादेश संख्या 3077/58-2012-440/2013 दिनांक 01-11-2012 निर्गत किया गया है। इसकी सूचना मा0 विधायक जी के पत्र दिनांक 30-10-2012 के संदर्भ में उद्यान अनुभाग के अ0शा0प0सं0 सी0एम0 137/58-2012-440/2012 दिनांक 17-12-2012 द्वारा उन्हें भेजी जा चुकी है। उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 1-11-2012 को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पृष्ठांकन पत्र संख्या 5144/मिशन/निवेश व्यवस्था/2012-13 दिनांक 02-11-2012 द्वारा भी सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय को उच्चीकृत कर पी0जी0 कालेज बनाये जाने की मांग

41-श्री फतेह बहादुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की तहसील-कैम्पियरगंज में वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय को उच्चीकृत कर पी0जी0 कालेज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में पी0जी0 कालेज की शिक्षा कब से प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कैम्पियरगंज से 15 कि0मी0 की परिधि में लाल बहादुर शास्त्री पी0जी0 कालेज, आनन्दनगर, जनपद महाराजगंज में स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र एवं जन्तु विज्ञान में तथा बापू पी0जी0 कालेज पीपीगंज, गोरखपुर में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, भूगोल एवं समाजशास्त्र में कक्षायें संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त गोरापुर नगर में अवस्थित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था है। साथ ही गोरखपुर में अवस्थित 11 महाविद्यालयों में भी स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

42-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसान की मौत पर दिये जाने वाले पांच लाख की सहायता को भूमिहीन किसान के परिवार को भी दिलाये जाने की मांग

43-श्री वीरपाल राठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर कृषि कार्य करते हुए किसान की मौत पर रुपया पांच लाख की सहायता परिवार के उस सदस्य को दी जाती है जिसके नाम जमीन होती है ? क्या सरकार उक्त सहायता किसान के परिवार के उस सदस्य को भी दिये जाने पर विचार करेगी जिसके नाम जमीन नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तहसीलदार, कानूनगो आदि के रिक्त पदों के भरे जाने की मांग

44-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा कानूनगो के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रदेश में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पद रिक्त है। राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के 30 जून, 2012 तक के रिक्त पदों पर चयन के उपरान्त राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 28-1-2013 द्वारा तैनाती कर दी गई है।

जी हां।

तहसीलदार का पद शत प्रतिशत प्रोन्नति का पद है। पात्र कार्मिकों के अभाव में तहसीलदार के कुछ पद रिक्त हैं।

नायब तहसीलदार के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्यवाही की जा रही हैं तथा प्रोन्नति कोटे के रिक्त पद पोषक संवर्ग रजिस्ट्रार कानूनगो के संघ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं के कारण नहीं भरे जा सके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील वीसलपुर के राजस्व गांव कस्बा पट्टी की भूमि कांशीराम शहरी आवास योजना को विधि के अनुकूल हस्तान्तरित करने का प्रकरण

45-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव कस्बा पट्टी की भूमि संख्या 129 एवं 130 अंकित नार्मल स्कूल (खेल का मैदान) के नाम की भूमि कांशीराम शहरी आवास योजना को हस्तान्तरित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को

जानकारी है कि उक्त हस्तान्तरण विधि अनुकूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम कस्बा पट्टी की भूमि संख्या 129 का हस्तातरण कांशीराम शहरी आवास योजना हेतु नहीं किया गया है। गाटा संख्या-130 क्षेत्रफल 8.401 हे0 में से 3.25 एकड़ भूमि कांशीराम शहरी आवास योजना हेतु हस्तान्तरित की गयी है। उक्त भूमि नॉन जेड0ए0 में नार्मल स्कूल के नाम दर्ज है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2810/आठ-2-2010-74 मा0कां0यो0/10, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 में दिये गये प्राविधान के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 15-4-2011 को कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के भवनों के निर्माण हेतु भूमि विधि के अनुकूल हस्तान्तरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[दिनांक 27-02-2013 को अता0प्र0सं0-180 द्वारा उत्तरित]

जनपद बुलन्दशहर तहसील सिकन्दराबाद की मै0 जैन ओवरसीज प्रा0 लि0 गांव सांवली में छोड़े जा रहे दूषित जल प्रवाह के विरुद्ध कार्यवाही

47-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 जैन ओवरसीज प्रा0लि0, गांव सांवली, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के द्वारा छोड़ा जा रहा प्रदूषित पानी एन0एच0 91 के किनारे इकट्ठा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी है कि प्रदूषित पानी इकट्ठा होने से वहां रहने वाले नागरिकों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 जैन ओवरसीज गांव सांवली, तहसील-सिकन्दरबाद, जिला बुलन्दशहर राइस मिल उद्योग है। उद्योग द्वारा सेला एवं अरवा चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्र स्थापित हैं एवं मानकों के अनुरूप संचालित हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा सहमति जल वर्ष, 2013 स्वीकृत है।

उद्योग से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का कुछ भाग पुनः प्रयोग किया जाता है तथा शेष भाग सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के चौड़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जिसके कारण कभी-कभी रोड साइड ड्रेन में जल का प्रवाह

अवरुद्ध हो जाता है। बोर्ड द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया है कि शुद्धीकृत उत्प्रवाह को किसी भी अवस्था में रोड के किनारे अथवा परिसर के बाहर एकत्रित न होने दिया जाये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के मै0 जैन ओवरसीज प्रा0 लि0 सिकन्दराबाद द्वारा लगाई गयी चिमनी मानकों के अनुरूप से वायु प्रदूषण की जांच कार्यवाही की मांग

48-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 जैन ओवरसीज प्रा0लि0, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के द्वारा धुएं को हवा में छोड़ने के लिए लगायी गयी चिमनी अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 जैन ओवरसीज गांव सांवली, तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर राइस मिल उद्योग हैं। उद्योग द्वारा सेला एवं अरवा चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया हेतु आवश्यक भाप के उत्पादन हेतु उद्योग में स्थापित ब्वायलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के साथ भू-तल से 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है जो बोर्ड मानकों के अनुरूप हैं उद्योग में स्थापित 600 के0वी0ए0 एवं 350 के0वी0ए0 क्षमता के दो एकास्टिक इन्कोलजर एवं मानकों के अनुरूप चिमनी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के मै0 मौरी यीस्ट लि0 द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी से हो रहे जल प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही

49-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मै0 मौरी यीस्ट लि0, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी से हो रहे जल प्रदूषण तथा भू-गर्भ जल प्रदूषण को रोकने के लिए उक्त मिल के विरूद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मैसर्स मौरी यीस्ट इण्डिया लि0, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा बेकर्स यीस्ट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मोलासेस एवं यूरिया, डी0ए0पी0, फास्फोरिक एसिड, न्यूट्रीटेन्स का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक बहिश्राव

के शुद्धिकरण हेतु व्यवस्था स्थापित है जिसमें इक्वालाइजेशन टैंक, बायो डाइजेस्टर, रिवर्स आसमोसिस प्लान्ट, पक्का लैगून, नेचुरल कूलिंग टावर तथा बायो कम्पोस्टिंग प्लान्ट इकाईयां स्थापित हैं। रिवर्स आसमोसिस प्लान्ट से शोधित जल (परमिएट) को उद्योग में पुनः प्रयोग कर लिया जाता है तथा रिजेक्ट को बायो कम्पोस्टिंग करके आर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है। औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण भू-गर्भ जल में नहीं किया जाता है। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित एवं मानकों के अनुरूप संचालित हैं। उद्योग को बोर्ड द्वारा जल सहमति वर्ष 2012 हेतु स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी रामनगर के भीटी गांव में खाली पड़ी भूमि पर गरीब परिवारों के आवास बनाकर उपलब्ध कराये जाने की मांग

50-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वाराणसी रामनगर के भीटी गांव में खाली पड़ी बंजर भूमि पर मकान बनाकर सड़कों के फुटपाथ पर जिन्दगी बसर कर रहे आदिवासियों गरीब परिवारों को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद वाराणसी के रामनगर के भीटी ग्राम में आवास हेतु भूमि आवंटन/मकान बनाने हेतु बंजर/ग्राम सभा की खाली भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में खनन से प्राप्त राजस्व की जानकारी

51-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में कितने घन मिट्टी व रोड़ी का प्रयोग हुआ ? क्या मिट्टी खनन की परमीशन ली गयी ? खनन से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में 384 लाख घन मीटर मिट्टी एवं 81 लाख घन मीटर रोड़ी का प्रयोग किया गया है।

जी हां।

उक्त परियोजना के लिए खनन से कुल रुपया 32,13,50,698.00 का राजस्व प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम सभा भड़सरखारा में तालाब पर अवैध कब्जा हटवाये जाने की मांग

52-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कुशीनगर के विकास खण्ड-कप्तानगंज के ग्राम सभा भड़सरखारा के आराजी संख्या-285 में स्थित तालाब पर उसी गांव के कतिपय लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा के ग्राम भड़सरखारा में आराजी संख्या-285/00.383 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में पोखरी के खाते में दर्ज है, जो गांव सभा की आबादी के मध्य स्थित है। जिसमें ग्रामवासी लालजी यादव एवं पिन्टू आदि कुल 28 व्यक्तियों द्वारा पक्का मकान, शौचालय, छप्पर, टीन शेड व दीवार आदि अस्थायी रूप से बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 14-12-2012 को पूर्ण रूप से हटवाकर उक्त पोखरी पर प्रधान/अध्यक्ष, भू0प्र0स0 को कब्जा दे दिया गया। वर्तमान समय में उक्त पोखरी पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भिक्षुक गृहों की संख्या एवं भिक्षुकों की संख्या की जानकारी की मांग

53-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में समाज कल्याण विभाग के भिक्षुक गृह स्थापित हैं एवं उनकी संख्या क्या है ? क्या स्थापित भिक्षुक गृहों में भिक्षुकों को रखा जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान समय कितने भिक्षुकों को रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रदेश में जनपद-आगरा, मथुरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा लखनऊ में एक-एक एवं फैजाबाद में दो (महिला/पुरुष) इस प्रकार कुल 08 भिक्षुक गृह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं।

जी हां।

स्थापित भिक्षुक गृहों में से वर्तमान में मात्र जनपद मथुरा तथा वाराणसी में भिक्षुक निरुद्ध किये जा पा रहे हैं। जनपद-आगरा का भिक्षुक गृह का किराये का भवन मा0 लघुवाद न्यायालय के आदेशानुसार बेदखल कर दिया गया है तथा जनपद कानपुर नगर, इलाहाबाद, लखनऊ एवं फैजाबाद (महिला/पुरुष) के भवन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण भिक्षुक निरुद्ध नहीं किये जा पा रहे हैं।

जी हां।

वर्तमान समय में जनपद मथुरा के भिक्षुक गृह में 41 भिक्षुक निरुद्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील बरहज बाजार के ब्लाक भागलपुर के ग्राम नरियांव में चकरोड पर अवैध कब्जा हटवाये जाने की मांग

54-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ब्लाक भागलपुर तहसील बरहज बाजार अन्तर्गत ग्राम नरियांव में चकरोड आराजी नं0-779 पर कतिपय लोगों द्वारा अनधिकृत

रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते से अनाधिकृत रूप से किया गया कब्जा हटवाकर रास्ते को खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद देवरिया के तहसील बरहज के विकास खण्ड भागलपुर के ग्राम-नरियांव के चकमार्ग सं0-779 जो अभिलेख में सेक्टर मार्ग के नाम से दर्ज है, जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान समय में मार्ग के कुछ भाग पर आर0सी0सी0 तथा शेष हिस्से पर खड़न्जा व मिट्टी का कार्य हो चुका है, जिस पर सामान्य आवागमन ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रजापति समाज को कुम्हारी कला के पुनरुत्थान हेतु पट्टे पर भूमि आवंटित किये जाने की मांग

55-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रजापति समाज को कुम्हारी कला के पुनरूत्थान के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, प्रदेश में कुम्हारी कला/व्यवसाय में लगे कुम्हार/प्रजापति समुदाय के परिवार की आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऐसे ताल-पोखर व अन्य स्थल जहां कुम्हारी कार्य हेतु चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो का आवंटन कुम्हारी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों/परिवारों को किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में तहसीलवार चरागाह हेतु आरक्षित भूमि एवं चारा उत्पादन की योजना सम्बन्धी जानकारी

56-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में तहसीलवार कुल कितने हेक्टेयर भूमि गोचर/चरागाह के लिए आरक्षित है ? क्या सरकार उक्त भूमि पर चारा उत्पादन कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

[11.42 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 28-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में स्थाई निर्माण कार्यों हेतु ही व्यय किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की आंवला विधान सभा क्षेत्र में रामनगर स्थित अहिक्षेत्र पांचाल प्रदेश में द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली

नगर निगम में पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु 200 नये डीप बोर इंडिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28 सी के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में अन्तरजनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के कतिपय ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़े जाने एवं उनका विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जल निगम फिरोजाबाद द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग को न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं रामपाल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की है वह सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए उनकी सूचना नहीं ली जा रही है। बारहवीं सूचना श्री यासर शाह की बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर अवैध तरीके से की जा रही पुलाही वसूली के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैती खेड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे मील में किये गये खाद्यान्न घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में जलाशयों के सूख जाने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ के गढ़ मुक्तेशवर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण ईकाई द्वारा कराये गये सीवर कार्य के कारण सड़कों में हुये गड्ढों को बन्द करने हेतु मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी।

1-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, 2-श्री अमर पाल शर्मा, 3-श्री प्रदीप माथुर, 4-श्री विजय बहादुर यादव, 5-डा0 धर्म सिंह सैनी, 6-श्री अली यूसुफ अली, 7-श्री छोटे लाल वर्मा, 8-श्री गुटियारी लाल दुवेश, 9-श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, 10-श्री दीपक पटेल एडवोकेट, 11-श्री मदन गोपाल वर्मा, 12-श्री राधेश्याम सिंह, 13-डा0 पूर्णमासी देहाती, 14-श्री भीम प्रसाद सोनकर, 15-श्री जय प्रकाश अंचल, 16-श्री गोरख पासवान, 17-श्री राज नारायण बुधौलिया, 18-श्रीमती पूजा पाल, 19-श्री अजय कुमार 'लल्लू'।

चूंकि श्री अनूप कुमार गुप्ता उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर अस्वीकार की गयी सूचना में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की सूचना स्वीकार की जाती है। श्री अमर पाल शर्मा की भी सूचना स्वीकार की जातीं हैं।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में स्थाई निर्माण कार्यों हेतु ही व्यय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने उ0 प्र0 सरकार को कुम्भ मेला-2013 के सफल एवं कुशल संचालन हेतु 23-11-2011 से 24-01-2013 तक लगभग 1195 करोड़ रुपये दिये। इससे इलाहाबाद और केवल इलाहाबाद जनपद में सड़क, पानी, विद्युत, आर0ओ0बी0 (रेलवे ओवर ब्रिज), आर0यू0बी0 के चौड़ीकरण, राष्ट्रीय नदी गंगा के किनारे किलाघाट, नारायण आश्रम घाट, दशाश्वमेघ घाट दारागंज आदि पर पक्का स्नान घाट, नाग बासुकी मंदिर दारागंज से सलोरी तक गंगा की कटान रोकने के लिये बांध, तेलियरगंज तथा धूमनगंज में सुगम यातायात हेतु फ्लाई ओवर ब्रिज आदि का स्थायी निर्माण होना है जिससे आने वाले अर्द्धकुम्भ तथा कुम्भ के लिये स्थायी व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार पेयजल तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था की भी स्थायी व्यवस्था करायी जाये।

कुछ परियोजनाएं भारत सरकार एवं रेल विभाग ने स्वीकृत कर उ0 प्र0 शासन को भेजा है। यह सारी योजनाएं कुम्भ क्षेत्र में हैं। ज्ञात हुआ है कि इस आवंटित धनराशि को दूसरी परियोजनाओं में बदलने का प्रयास किया जा रहा है जिससे नागरिकों में भारी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कुम्भ मेला हेतु स्वीकृत बजट को इलाहाबाद जनपद में ही स्थायी निर्माणों हेतु व्यय कराये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आंवला विधान सभा क्षेत्र में राम नगर स्थित अहिक्षेत्र पांचाल प्रदेश में द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

आंवला विधान सभा क्षेत्र में स्थित रामनगर जो महाभारत काल में पांचाल प्रदेश की राजधानी और अहिक्षेत्र नाम से जाना जाता था। आज भी हजारों एकड़ भूमि में यह नगर ऊंचे-ऊंचे टीलों और टापुओं के अस्तित्व में है। यहां महाभारत काल में द्रोपदी स्वयंवर रचा गया था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहां पर द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। भरपूर बजट भी आवंटित कर दिया गया था। परन्तु बसपा सरकार में बजट की राशि रोककर कहीं किसी और मद में खर्च कर दी और थीम पार्क का निर्माण कार्य कुछ शेष रह गया। यह ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए द्रोपदी स्वयंवर थीम पार्क के निर्माण कार्य पूरा कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरेली नगर निगम में पेयजल संकट दूर किये जाने हेतु 200 नये डीप बोर इण्डिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय,

बरेली नगर विधान सभा क्षेत्र में पानी का स्तर अत्यधिक नीचे हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को गर्मियों में पानी उपलब्ध होने में बहुत दिक्कत आती है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने के कारण गम्भीर बीमारियां, डायरिया, गैस्ट्रोएन्ट्राइटिस, पीलिया, टाइफाइड फैलने की आशंका बनी रहती है। शुद्ध पानी का श्रोत ग्राउन्ड वाटर है जो पाइप ओवरहेड टैंक या डीप बोर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प से उपलब्ध होता है। पाइप पेयजल योजना पूरी तरह से बिजली पर आश्रित रहती है। गर्मियों में बिजली बहुत अधिक जाती है इसलिए पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। इण्डिया मार्का डीप बौर हैण्डपम्प खासतौर से स्लम एरिया तथा हाल में जुड़े देहाती एरिया में बहुत कम हैं और जो हैं उनमें से काफी खराब हैं। नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाने एवं खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने के लिये उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता में रोष है। अरबन इन्फ्रा इंस्ट्रक्चर फॉर इस्माल एण्ड मीडिएट टाउन्स योजना के अन्तर्गत बरेली में कार्य बहुत धीमी गति से शुरू हुआ है और इसे पूरा होने से कम से कम पांच साल लगेंगे। पानी की जरूरत तुरन्त होती है ऐसे में 200 नये डीप बोर इण्डिया मार्का नल लगाने एवं रि-बोर कराने की तुरन्त आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28 सी के क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय,

जनपद बहराइच को राजधानी से जोड़ने वाला मार्ग रा0मा0 सं0-28सी यातायात घनत्व की अधिकता के कारण क्षतिग्रस्त रहा है। इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तन कर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। सरकार ने बीच में इस सड़क के निर्माण की घोषणा की थी किन्तु इस घोषणा को पूरा करने के लिये कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है। जबकि जनहित में इसका निर्माण नितान्त आवश्यक है तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का मार्ग है। जनहित में इस मार्ग को चार लेन में बनाया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग चार लेन में बनाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में अन्तरजनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में अन्तर जनपदीय योजना के अन्तर्गत एन0एच0-93 (सी0टी0के0) अलीगढ़ अनूप शहर रोड से (किशनपुर) वाया ग्राम कल्याणपुर ब्लाक जवां होते हुए मैमड़ी तक लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 मार्ग काफी क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा किसानों को अपने गन्ने एवं कृषि उपज को बाजार में ले जाने में काफी कठिनाई होती है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि उक्त मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया जाय।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुनः मरम्मत/निर्माण त्वरित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़े जाने एवं उनका विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[मान्यवर, आजादी के 65 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बांदा जनपद के विकास खण्ड-तिन्दवारी, वि0 ख0-जसपुरा व वि0 खण्ड-बड़ोखर के निम्नलिखित गांव आज भी बिजली व सड़क से वंचित हैं। यह ग्राम निम्नलिखित हैं :-1-ग्राम-मटौंध ग्रामीण के मजरा पटना, झिंगाखोड़, बनियाखोड़, कंधीपुरवा, मनकापुरवा, मुड़ेरी, खहरा तथा ग्राम-चमरहा, ग्राम-मरौली तथा ग्राम-दुरेणी के मजरा दौलतपुर व बंशीपुरवा तथा ग्राम-चहीतारा की प्रजापति बस्ती तथा ग्राम-असरौड़ा के मजरा मरका, ग्राम-जसपुरा के मजरा तरौड़ा तथा ग्राम-गड़रिया के मजरा-तरौड़ा व ग्राम-बेंदा के सभी मजरे तथा ग्राम-अमली कौर के सभी मजरे, ग्राम-पचकौरी तथा ग्राम-माचा के सभी मजरे। इन ग्रामों एवं मजरों को सड़क से जोड़ा जाना तथा इनका विद्युतीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जल निगम फिरोजाबाद द्वारा टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन की धनराशि विद्युत विभाग को न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा टूण्डला के निम्नलिखित ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कराया गया है जिसमें जल निगम द्वारा विद्युत विभाग को केबिल कनेक्शन की धनराशि 39/ प्रति यूनिट भेजी गयी है जबकि मौके पर 10 के0वी0 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है जिसकी लागत अधिक है जिन यूनिटों की धनराशि विद्युत विभाग को कम भेजी गयी है। वह निम्न प्रकार है :-

1-ग्राम मरसेना ब्लाक-टुण्डला

2-नगला अजब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-अम्बेडकर पार्क तारानगर
4-नगला सुन्दर ब्लाक नारकी
5-सुनवाई ब्लाक-नारकी
6-अम्बेडकर पार्क भीकनपुर
7-जाटव बस्ती रैपुरा
8-कश्यप बस्ती मिलक
9-ठार नाथू
10-खेरिया बघेल, बस्ती
11-खेरिया जाटव बस्ती
12-जालिमपुर ब्लाक टूण्डला

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न को देखते हुए योजना का कार्य समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराने की कार्यवाही करने की मांग करता हूं। इस पर मैं सरकार के वक्तव्य की सदन में मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम तुस्सी की गढ़ी एवं रामपाल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाये लेकिन जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ग्राम-तुस्सी की गढ़ी एवं सैया ब्लाक में ग्राम-रामपाल का पुरा के लिए कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें कि ग्राम तुस्सी की गढ़ी चारों ओर से नदी एवं नहर से घिरा हुआ है तथा बरसात के दिनों में यदि किसी महिला को प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल जाना हो तो नहीं जा सकती और उसे घर पर ही प्रसव कराना पड़ेगा। अतः मैं चाहूंगा कि उक्त दोनों गांवों को सरकार की प्राथमिकता के आधार पर मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क एवं पुल का निर्माण कराया जाये।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर में निर्मित पानी की टंकी को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत गांव नगरिया में कैप्टनराज गुप्ता के फार्म हाउस के पास में एक सरकारी पानी की टंकी बनी हुई है जो कई वर्ष से बन्द पड़ी है। निर्मित पानी की टंकी के आस-पास के कई ग्रामों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। ज्ञातव्य है कि प्रभावित क्षेत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। जिसके कारण इन गांवों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जल काफी प्रदूषित है तथा पीने योग्य नहीं है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम में पानी की टंकी को चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित है जो इस प्रकार है :-1-देवरी रोड सेमरी से नगला कली तक, 2-कौलखा से नगला कली तक, 3-देवरी रोड सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड तक सम्पर्क मार्ग सीवर लाइन डालने के कारण बरसात के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़क सम्पर्क मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। सीवर ढक्कन खुले हुए हैं। कभी भी जनहानि हो सकती है। सम्पर्क मार्ग ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क मार्ग का मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर अवैध तरीके से की जा रही पुलाही वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यासर शाह-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बहराइच-लखनऊ मार्ग पर घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु पर आने-जाने वाली गाड़ियों से लगभग 30 वर्षों से पुलाही की वसूली की जा रही है जो गलत है क्योंकि पुलाही लेने की एक समय-सीमा होती है। प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से जबरदस्ती आने-जाने वाले वाहनों को पुलाही लेने का कार्य किया जा रहा है जो सरासर गलत एवं अन्यायपूर्ण है। तत्काल इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैतीखेड़ा में ग्राम प्रधान द्वारा मिड-डे-मील में किये गये खाद्यान्न घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के थाना रामकोट अन्तर्गत ग्राम जैतीखेड़ा के वर्तमान ग्राम प्रधान के पति द्वारा मिड-डे-मील

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का खाद्यान्न रामकोट के आर0सी0 की दुकान पर बेचते हुए पकड़ा गया था। परन्तु अभी तक न तो मुकदमा पंजीकृत हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही की गयी। अभी भी सैकड़ों बोरी सरकारी खाद्यान्न का स्टाक ग्राम प्रधान के घर पर है परन्तु न तो जिले के कोई अधिकारी मौके पर गये और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गयी। तत्काल आढ़ती व प्रधान प्रति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर खाद्यान्न घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में जलाशयों के सूख जाने से किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र-

[मान्यवर,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। जिसके माध्यम से क्षेत्र में स्थित लोवर खजुरी बंधी आदि छोटे-बड़े जलाशयों में पानी जाता है जिससे क्षेत्रीय कृषि भूमि की सिंचाई होती है और क्षेत्रीय किसान सिंचाई हेतु उन्हीं जलाशयों पर ही निर्भर है। परन्तु वर्तमान समय में उक्त सभी जलाशयों में पानी नहीं जा रहा है, सभी जलाशय सूखने की कगार पर हैं उनमें पानी न उपलब्ध होने के कारण किसान अपनी खेतीहर भूमि की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। मा0 सिंचाई मंत्री जी ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सभी जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी दिये थे परन्तु अभी तक क्षेत्रीय जलाशयों में पानी नहीं जा सका है। जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्रीय जलाशयों में यथाशीघ्र पानी उपलब्ध कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा कराये गये सीवर कार्य के कारण सड़कों में हुये गड्ढों को बन्द करने हेतु मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय,

गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद् सीमा क्षेत्र में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई के माध्यम से नगर में सीवरेज डालने, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने का वृहद कार्य चल रहा था लेकिन वार्ड नयाबांस, किशना की मड़ैया ब्रजघाट व नगर में खुदाई करने से गहरे गढ्ढे हो गये वर्षा में पानी भरने से नयाबांस ब्रजघाट आदि में जनता का चलना अत्यन्त कष्टदायक बना है। घटिया गुणवत्ता की सामग्री सीवरेज डालने में प्रयोग की गई है। गड्ढों की मरम्मत व लेपन कार्य अतिशीघ्र कराने हेतु व उच्च स्तरीय जांच हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के चोला चौकी को थाना बनाने एवं चोला चौकी व थाना ककोड़ के बीच लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

जनपद बुलन्दशहर से कटकर जब जनपद गौतमबुद्धनगर का सृजन हुआ तब थानों का परिसीमन हुआ तथा सिकन्दराबाद तहसील में थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर के अन्तर्गत चोला रिपोर्टिंग चौकी बनायी गयी। बाद में कुछ गांव जनपद गौतमबुद्ध नगर से वापस बुलन्दशहर में आ गये लेकिन उस क्षेत्र में पड़ने वाले थाना ककोड़ तथा चोला चौकी में लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप कुछ गांव जैसे दस्तूरा, बीछट, बीधेपुर आदि जो थाना ककोड़ से मात्र 01 कि0मी0 की दूरी पर है वह 15 कि0मी0 दूर चोला चौकी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर में लगते हैं जिससे इन गांवों के निवासियों को प्रशासनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय चोला चौकी के अन्तर्गत लगभग 47 गांव आते हैं जबकि थाना ककोड़ में मात्र लगभग 33 गांव आते हैं। इस त्रुटिपूर्ण परिसीमन के कारण कानून-व्यवस्था में भी प्रशासन को परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि चोला चौकी प्रशासनिक दृष्टि से तहसील तथा परगना सिकन्दराबाद क्षेत्र में पड़ती है। जबकि पुलिस व्यवस्था के अनुसार कोतवाली देहात बुलन्दशहर (तहसील बुलन्दशहर) में लगती है। इस समस्या के समाधान हेतु चोला चौकी को थाना बनाने तथा चोला चौकी व थाना ककोड़ के बीच लगने वाले गांवों का पुनः परिसीमन करने की तुरन्त आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी सेक्टर-7 एवं 8 में प्रस्तावित योजना वर्ष 1989 के अनुरूप आम जन सुविधायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी से0-7 एवं 8 में वर्ष 1989 में प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत आम जन सुविधाएं हेतु 102 एकड़ भूमि पर सरकारी अस्पताल, सरकारी डिग्री कालेज, स्टेडियम, कम्युनिटी सेन्टर, सीनियर सिटीजन क्लब, पोस्ट आफिस, रामलीला मैदान हेतु बनाई गई थी, किन्तु स्थानीय विवाद के कारण अभी तक प्रस्तावित योजना को लागू नहीं किया जा सका। उक्त विवाद समाप्त हो गया है किन्तु अभी तक लम्बित वर्ष 1989 की प्रस्तावित योजना को तत्काल लागू किये जाने हेतु सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की बसुन्धरा कालोनी से0-7 एवं 8 में प्रस्तावित योजना वर्ष 1998 के अनुरूप आम जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[11.46 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की प्रश्न प्रहर में अल्पसूचित तारांकित एवं तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नों हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान सभा सत्र के समय माननीय मंत्रीगण/माननीय विधायकगण के सुरक्षाकर्मियों एवं वाहन चालकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में है।

अल्पसूचित तारांकित एवं तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नों हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, सदन में ऐसा देखा जा रहा है कि जो प्रश्न अल्पसूचित और तारांकित लगे होते हैं उनमें प्रारम्भ में प्रश्नों के लिए किसी को अधिक समय मिल जाता है किसी को कम समय मिलता है। जो प्रश्न अन्त में लगे होते वह सब छूट जाते हैं तो इस तरीके से समानता नहीं रहती है। समानता स्थापित करने के लिए, पारदर्शिता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने जो विभाग लिखा होता है उसके साथ ही समय भी निश्चित लिखा होना चाहिए ताकि उस समय से हम लोग बाधित रहें और उस समय सीमा के अन्तर्गत ही हम प्रश्न पूंछे। इससे सदन में प्रश्न पूछने की पारदर्शिता भी रहेगी और साथ ही साथ समानता भी रहेगी। इसलिए मैं नियम-300 के अन्तर्गत इस औचित्य के प्रश्न पर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, प्रश्नों के महत्व पर और सदस्य उसमें कितनी रूचि रखते हैं, इस आधार पर अनुपूरक होते हैं और इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, जो पूरे प्रदेश से और सभी के विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित हो जाते हैं, जब अनुपूरक के रूप में पूछे जाते हैं। ऐसे में उसकी समय-सीमा निर्धारित करना तो संभव नहीं है। यह विधायकों पर प्रतिबंध हो जायेगा, उनके पूछने का। एक चीज मैं जरूर करूंगा कि मैं दलीय नेताओं से बात करके, यदि एक प्रश्न जो अल्पसूचित है, वह 10 मिनट का है, दो अल्पसूचित रहेंगे तो 20 मिनट चलेगा और प्रश्नों के बारे में अगर सदन सहमत होगा तो समय-सीमा निर्धारित कर दी जायेगी लेकिन अगर महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया तो उसमें क्या होगा, यह एक सवाल है, मैं इस पर बात कर लूंगा।

(श्री राजेश त्रिपाठी, माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

जनपद फैजाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच आख्या अभी तक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री रामचन्द्र यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना तो अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत से संबंधित है, आप ने शिकायत कहां की थी, आप बताइये न।

श्री राम चन्द्र यादव-

मैनें कोई शिकायत नहीं की, मैनें नियम-51 में 16वीं विधान सभा के प्रथम उपवेशन के सत्र में 08 जून को यह सूचना दी थी। आठ महीने बीत गये और इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी सदन में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया और उसको आज तक लागू नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह बताइये कि आपको नियम-51 का उत्तर मिला कि नहीं । वक्तव्य के रूप में या केवल वक्तव्य के रूप में उत्तर मिला कि नहीं।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, वक्तव्य के रूप में जब मुझे उत्तर मिला, तभी तो मैनें आज आपको यह सूचना दी।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये, जब आपको उत्तर मिल गया तो सदन और हम लोगों का काम समाप्त। अब अगर आपको लगे कि यह गलत है तो नियमों के अन्तर्गत आप सूचना दीजिये। चलिये खत्म।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

[11.56] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 28-02-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई, एवं दिनांक 27.02.2013 की ग्राह्यता हेतु लम्बित 7 सूचनायें, कुल 21 सूचनाओं में से प्रथम 2 सूचनाओं को श्लाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्रथम सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के अधिकांश शहरों में जल, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह तो हैं नहीं, यह स्थगित करके चले गये। यह देखें, यह बहुत लम्बी सूचनायें हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आज बजट का उत्तर देंगे । उसी हिसाब से नियम-56 को लें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, 4 तारीख के लिये ।

श्री अध्यक्ष-

तो ठीक है। दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा जी, आपकी सूचना जनपद पीलीभीत में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत खरीद फरोख्त में किये गये घोटालों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दो मिनट में आप अपनी बात कह दें या मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं। इसकी जांच हो जायेगी। आप बैठ जाइये। मैं आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं ।

तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में लगभग 10 वर्षों से भूतपूर्व सैनिक संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आप एक मिनट कह लीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में लगभग विगत 10 वर्षों से भूतपूर्व सैनिक संविदाकर्मी के रूप में सेवारत हैं। यह सभी भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, लखनऊ के हैं और वहां संविदा पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण निगम प्रत्येक कर्मचारी से प्रतिमाह 3 हजार रूपये की कटौती कर रहा है। इन लोगों को 6-6 माह तक वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसके कारण इस महंगाई के जमाने में इन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो रहा है। इन सभी सैनिकों ने काफी समय से सेवा में रहकर देश की रक्षा की है। यह लोग 2003 से संविदाकर्मी के रूप में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में लगातार सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व ही मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त करने पर विचार कर रहा है। इन भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त करने से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में काम कर रहे 10 हजार कर्मचारियों के परिवार कहां जायेंगे, इनको नियमित किया जाए, इनको हटाने पर विचार न किया जाए, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको नियमित कर दिया जाए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, हां।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि इनके यहां उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में 10 वर्ष से भूतपूर्व सैनिक संविदाकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। अब उनको निकाला जा रहा है उनको विनियमित नहीं किया जा रहा है जिससे उनके घर में भुखमरी फैल जायेगी, क्या इसमें आप कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, संविदा कर्मियों का मामला सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि बहुत जगह है और इन सबकी यूनियन भी है, यह सब लोग हाईकोर्ट गये और हाईकोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। संविदा कर्मी संविदा के लिए ही होते हैं कि जब उनकी जरूरत हो तब वह रखे जाएं और जब जरूरत खत्म हो जाए तो उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएं। फिर भी इसे दिखवा लेंगे, जो बेहतर हो सकता है वह किया जायेगा, किसी को बेवजह भूखा मारने की सरकार की नीयत हो ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री बब्बन चौहान की जनपद चन्दौली के ब्लॉक नियामताबाद मुगलसराय के ब्लॉक प्रमुख द्वारा वहां के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में घुसकर उनसे मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं।

अगली सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्या की जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम सभा सोनाई में चकरोड एवं तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ऐरा चीनी मिल में दिनांक 26.02.2013 को गन्ना तौल में घटतौली साबित होने के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री सुदेश शर्मा, श्री दलवीर सिंह, श्री तेजपाल सिंह, श्री भगवती प्रसाद और श्री त्रिलोकी राम की जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर में बन्द पड़ी मोदी कपड़ा मिल के हजारों मजदूरों का बकाया भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर आप कहना चाहें तो कहें।

*श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, इस पर विस्तार से तो मा0 शर्मा जी बतायेंगे लेकिन मैं इस पर इतना कहना चाह रहा हूं कि यह भारतवर्ष की एक ऐसी मिल है, मोदीनगर की एक ऐसी मिल है कि जिसमें बीस हजार कर्मचारी वर्षों से भुखमरी के कगार पर हैं और यह मामला मा0 सुदेश शर्मा के क्षेत्र का है। मैं चाहूंगा कि आप इसे विस्तार से सुन लें और सरकार इस पर कोई निर्णय ले और कोई कार्रवाई करे।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मोदी नगर शहर की बन्द पड़ी कपड़ा मिल जो पिछले 20 वर्षों से बन्द पड़ी हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि मोदी नगर शहर के अन्दर जहां कभी लगभग 20 हजार कर्मचारी काम करता था लेकिन वह मिल पिछले 20 वर्षों से बन्द पड़ी है और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों की बहन-बेटियां उनकी पत्नियां बिन्दी और लिपिस्टिक बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं और वहां का मजदूर रिक्शा चला कर, ठेला लगाकर अपना जीवन-यापन कर रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब आप समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सभा का आयोजन करने के लिए मोदी नगर गये थे तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर यह घोषणा की थी और वायदा किया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम निश्चित रूप से मोदी नगर मिल की समस्या का हल करेंगे। मैं आज आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मोदी नगर कपड़ा मिल की हालत बहुत बद्तर हो चुकी है और इतना ही नहीं वहां का मजदूर बेघर हो चुका है लेकिन उसका हिसाब तक नहीं दिया गया। वहीं मोदी घराने के लोग अपने संस्थानों को चला करके रोजी-रोटी कमा रहे हैं। वहां से धन कमा रहे हैं लेकिन उन मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों हाईकोर्ट से भी मिल मालिकों, मोदियों के खिलाफ रिकवरियां निकाली गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जहां एक किसान के ऊपर दस-बीस हजार रुपये की रिकवरी आ जाती है तो निश्चित रूप से उसको पकड़कर तहसील में, जेल के अंदर डाल दिया जाता है लेकिन उन मोदियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी घोषणायें की हैं उससे निश्चित रूप से लगता है कि उनको मजदूरों की पीड़ा है। जहां रिक्शा चालकों को बैटरी वाले रिक्शे देकर उनकी पीड़ा को समझा है और ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में उनको मजदूरों की पीड़ा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसमें हस्तक्षेप करके, त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर इसका संज्ञान लेने का कष्ट करें। इससे निश्चित रूप से सरकार की छवि बनेगी और पूरे प्रदेश के अन्दर संदेश जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर कम से कम मा0 मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें जिससे त्रिपक्षीय वार्ता हो सके और समस्या का निराकरण किया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी, बैठ जांय। अब सरकार को उत्तर देने दीजिए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मोदी मिल बंद है इनका कहना है कि मोदी मिल बंद हो गयी है और मिल के हजारों मजदूरों का बकाया है, भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा नहीं थी लेकिन क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था और आज के मुख्य मंत्री जी हैं वह दौरे पर रहे होंगें, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया होगा तो हम उस आश्वासन को भी माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा मानते हुए भी इसको दिखवायेंगे। यूं कि 'जबाने खल्क को नक्काराये खुदा समझो।' यह तो उस वक्त समझा ही जा रहा था कि तानाशाह जायेंगे और लोकतंत्र आयेगा। लेकिन एक तजुर्बा यह है कि जहां भी मोदीज की इस तरह की फैक्ट्रियां हैं वह लगभग सभी बंद हो गयी हैं। खुद हमारा रामपुर भी उसका भुक्तभोगी है। मोदी ऑलीविटी, मोदी जिराक्स हुआ और फैक्ट्रियां मान्यवर, पांच-पांच सौ मीटर की जमीन पर एक कमरे के अन्दर लगीं और जमीन ली गयी, ढ़ाई हजार एकड़, तीन हजार एकड़। वह सारी जमीनें उनके पास है, तो फिक्र न करें, माल मौजूद है, मजदूरों का अहित नहीं होने दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री सुदेश शर्मा व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

आठवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान जी की है। श्रीमती कृष्णा पासवान जी हैं ? नहीं हैं। कल मुझसे कहा था, आज हैं ही नहीं।

नवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव जी की है। श्री राम चन्द्र यादव जी, मैं इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं:-

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री राजबली जैसल, श्री उमाशंकर सिंह, श्री अमरपाल शर्मा, श्री सुरेश बंसल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री लोकेश दीक्षित, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री बब्बन चौहान, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री योगन्द्र उपाध्याय, श्री केशव प्रसाद मौर्या, श्री सन्तराम, श्री फेरनलाल अहिरवार, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री जय प्रकाश निषाद, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री दीपक पटेल व श्री ममतेश शाक्य।

अब कल की एक और सूचना रह गयी है, मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी की है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना है।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

रूकिये, अभी कल वाला मैं दो मिनट में निपटा लेता हूं, नया अभी लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 की एक सूचना पर जो सीधे-सीधे किसानों से संबंधित है, उसकी ग्राह्यता पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, कल भी यह सवाल एक प्रश्न के माध्यम से हम लाये थे और हम यह चाहते थे कि इसके ऊपर सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे। जैसी कि सरकार की प्राथमिकता हैं, यह सरकार किसान को प्राथमिकता पर रखती है उसका परिचय सरकार को देना चाहिए। मान्यवर, सरकारी, सहकारी और निजी चीनी मिलें चले हुए पिछले तीन महीने हो गये। मैं ज्यादा तो शाहजहांपुर की जानता हूं और थोड़ी जानता हूं प्रदेश की। पिछले वर्ष का पैसा भी अभी सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, उसमें हमारा तिलहर सहकारी चीनी मिल भी है और जहां तक रौजा चीनी मिल है उसका भी पूरा पैसा भुगतान नहीं किया गया है। जो वर्तमान सत्र है, तीन महीना चलने के बाद भी गिरगिजा शुगर फैक्ट्री जो डालमिया की है, रोजा की जो बिरला की है साथ ही साथ तिलहर की जो सहकारी चीनी मिल है पुवायां चीनी मिल तो बन्द हो गई इसमें किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया कल भी मंत्री जी ने आधा उत्तर दिया था उन्होंने बताया था कि 65 परसेंट का भुगतान सहकारी चीनी मिलों का कर दिया गया उन्होंने रुपया नहीं बताया था केवल इतना बताया था। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जो किसान अपने

रोजमर्रा के खर्चे चाहे वह शादी हो, बीमारी हो बच्चों की पढ़ाई हो सब कुछ इसके ऊपर निर्भर रहता है कि गन्ने का भुगतान हो। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि जो भी गन्ने का भुगतान है वह तत्काल करा दिया जाय साथ ही साथ जैसी कि नियमों में व्यवस्था है कि अगर वह पीरियड 14 दिन का निकल जाय दो हफ्ते का तो निश्चित रूप से व्याज सहित भुगतान कराया जाय। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं और निजी चीनी मिलों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वह तत्काल ब्याज सहित भुगतान कर सकें और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे कि मैं इस पर ध्यान आकृष्ट करा दूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ध्यान आकृष्ट हो गया भुगतान कराए जाने के सम्बंध में कहना है कि सरकार ने भुगतान कराया भी है जो रह गया है उसको भी देखते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह प्रस्ताव अग्राह्य हुआ ।

माननीय माथुर साहब दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने नियम 56 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन बी0टी0सी0 और विशिष्ट बी0टी0सी0 के पांच परसेन्ट अवशेष अभ्यर्थियों के बारे में जिनसे कल पुलिस ने काफी धक्का-मुक्की करी और 88 हजार अभ्यर्थी जो बी0टी0सी0 और विशिष्ट बी0टी0सी0शिक्षा प्राप्त किए हुए थे उसमें से 95 प्रतिशत लोगों की नियुक्ति कर दी गई। पांच प्रतिशत लोगों को जिनकी आयु 40 या 40 वर्ष से ज्यादा की हो गई है जिनको दो-ढाई हजार का मानदेय भी दिया जा चुका है जिनकी अंक तालिकाएं और मूल प्रमाण पत्र डायट के द्वारा जमा भी कर लिए गए और उनको मौका नहीं दिया गया उन्होंने यह समझा कि उनकी नियुक्ति हो जाएगी अब उनके ऊपर टी0ई0टी0परीक्षा लादी जा रही है उनसे कहा जा रहा है कि 2011 की टी0ई0टी0 परीक्षा में वह बैठें तब उनकी नियुक्ति होगी बेसिक शिक्षा मंत्री जी उनको आश्वस्त कर चुके हैं कि आपको नौकरी दी जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह के अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड में थे 2007-08 के राजस्थान में थे हरियाणा में थे उड़ीसा में थे हिमाचल में थे सभी को टी0ई0टी0 से मुक्त कर दिया गया है उनकी नियुक्तियां कर दी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जो नियम 95 प्रतिशत पर लागू हुए थे 2007-08 के लिए वही बचे हुए पांच प्रतिशत जो बी0टी0सी0और विशिष्ट बी0टी0सी0 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनकी नियुक्ति के बारे में सरकार को गम्भीर होना चाहिए देखना चाहिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो पांच प्रतिशत रह गए हैं उनको आप नौकरी दें तो जनमानस का भला होगा और इस मामले में कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय इसकी गंभीरता को ध्यान में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब माथुर जी का मामला है तो कुछ कहना तो है ही। 95 प्रतिशत और 5 प्रतिशत राज्य सरकार ने 95 प्रतिशत को नौकरियां दे दी हैं यह आपने मान लिया असल माई बाप तो आप हैं पांच प्रतिशत पर आप कृपा कर दीजिए। कुछ तो भारत सरकार से भी करा दें।

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। प्रस्तुत सूचना पर श्री माथुर जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

केशव प्रसाद मौर्य जी आपका कल का है जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना के ग्राम सभा सोनाई में चकरोडों तालाबों की भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया की सूचना पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कल सबका नहीं लिया गया था जिनका लिया गया था उन पर हुआ।

अब आज जो है वह माननीय मौर्या जी और चौधरी साहब आप दोनों लोगों ने अलग अलग परसों की घटना पर नियम-56 में दिया है। अब पुराना कैंसिल हो गया, अब नया ले रहे हैं।

(माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आप क्या कहना चाहते हैं हुकुम सिंह जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निरंजन ज्योति ने दिया हुआ है, छोटा सा है। इनके अपने क्षेत्र में एक अति पिछड़े वर्ग का आदमी खलिहान पर पहरा दे रहा था। उसकी निर्मम हत्या की गई। मान्यवर, उसका कसूर केवल इतना था कि हत्या के बाद में वह मांग करने के लिये जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंच गये। गांव वाले पहुंच गये।

श्री अध्यक्ष-

कल का था। कल में इनका था। कल तो बोल पाई नहीं थीं। नहीं आप थीं, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप नहीं थीं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, लल्लू जी का भी कल था।

श्री अध्यक्ष-

अब कल का सबका नहीं। एक मिनट ज्योति जी को कह लेने दें।

साध्वी निरंजन ज्योति-

माननीय अध्यक्ष जी, 22 तारीख रात्रि 11.00 बजे छतइयां निषाद नाम का किसान अपने खेत में सो रहा था।

श्री अध्यक्ष-

किस जिले में।

साध्वी निरंजन ज्योति-

हमीरपुर जनपद विधान सभा अन्तर्गत कुरारा ब्लाक में तारा गांव का किसान था निहायत गरीब आदमी था अज्ञात लोगों ने आकर हमला किया। हमला करते वक्त उस व्यक्ति ने उसको पहचान लिया। थाने ले जाया गया थाने में उसने नाम कबूल दिया। अध्यक्ष जी, उस परिवार में एक मात्र वही व्यक्ति था उसके 9 बच्चे हैं। 6 बेटियां 3 बेटे। पूरा का पूरा परिवार कोई पालने वाला नहीं हैं गांव के लोग एकत्रित होकर जिलाधिकारी के पास सिर्फ इसलिये गये थे वह लोग कि इन अनाथ बच्चों के लिये कोई व्यवस्था हो। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। 6 बच्चियां 3 बच्चे। गांव वालों का सिर्फ इतना कसूर था कि उसकी डेड बाडी को ले करके डी0एम0 आफिस की तरफ जा रहे थे। चाहिए था प्रशासन को, उनको रोकना चाहिए था, उनकी बात सुनना चाहिए था। उनकी बात न सुनकर उन 400-500 निहत्थे लोगों को खदेड़ा गया। स्वंय कप्तान ने लाटी चार्ज किया। जब मैंने फोन किया तो कप्तान ने कहा मैंने लाठी चार्ज नहीं किया। अध्यक्ष जी, उसमें अखबार की कटिंग लगी हुई है, आप चाहेंगें तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। उसमें एस0पी0 और एडिशनल दोनों लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैं आपसे इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी से उन अनाथ बच्चों के लिये, सिर्फ 10 बिसवा खेती है उसके पास। उसका खलिहान भी जला दिया गया। उसके खलिहान में लाई रखी हुई थी वह बटाई की खेती लिये हुए था। उसके खलिहान में आग लगा दी गई और पुलिस के द्वारा उनके ऊपर बर्बरता की गई। माननीय अध्यक्ष जी उस परिवार के लिये सहायता और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करती हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह नई सदस्या हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि समाचार-पत्रों का संज्ञान विधान सभा में आम तौर पर, आम तौर पर नहीं लिया जाता लेकिन जाहिर है समाचार पत्र हमारा एक मजबूत स्तम्भ है, उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। आप जो कह रही हैं उस पर भी यकीन करना चाहिए। इसको दिखवायेंगे, गम्भीरता से दिखवायेंगे।

(श्री अजय कुमार ''लल्लू'' के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट में कह लें अपनी बात। ज्यादा लम्बा भाषण न दें।

*श्री अजय कुमार ''लल्लू''-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री और नेता सदन से कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद कुशीनगर तमकुहीराज विधान सभा में दुदहीं का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देश में या प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना लोगों के जीवन को बचाने के लिये होता है लेकिन वह स्वास्थ्य केन्द्र आज की डेट में स्थिति यह है कि वहां लगातार मौते हो रही हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान गिदीया देवी बैकुन्ठ पुर कोठी, बबिता देवी पडौरन मडुरही, सीमा देवी बास गांव, संगीता यादव बांस गांव बैरिया, रेनू देवी पडौरन मडुरही संवरी देवी बांस गांव धुर पट्टी इतनी मौतें हो चुकी हैं मात्र तीन महीने के अंदर और वहां के सी0एम0ओ0 से निरन्तर वार्ता करने का वाबजूद भी वहां किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि लोगों की जान बच सके।

इतना ही नहीं एक दिन नसबन्दी का दौर चल रहा था। नसबन्दी के दौरान वहां जेनरेटर की कोई सुविधा नहीं है और दिन भर डाक्टर नहीं आए। शाम के समय नसबन्दी की योजना चलाई जा रही थी जब मैंने सी0एम0ओ0 साहब से कहा कि साहब यहां तो जेनरेटर नहीं है लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ हो रहा है रात को लोगों के साथ नसबन्दी होगी तो क्या स्थिति होगी, इस बात को भी सी0एम0ओ0 ने गम्भीरता से नहीं लिया। संक्रामक रोगों से मरने वालों की संख्या दस है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हजारों हजार करोड़ रुपया स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर खर्च कर रही है, ऐसे में इस तरह के मुख्य चिकित्साधिकारी और चिकित्सकों की घोर लापरवाही के कारण, जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

बड़ी विडम्बना है कि कोई जनप्रतिनिधि डाक्टर या सी0एम0ओ0 के साथ बातचीत करता है जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है जब कोई विधायक..

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर बोलें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जब कोई विधायक मुख्य चिकित्साधिकारी या डाक्टरों से कुछ कहता है तो डाक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं और कहते हैं कि विधायक ने मेरे साथ बदसलूकी की और बन्द कर देते हैं हास्पिटल, लेकिन जो उनके साथ इस तरह की बात हुई..

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

भाषण न करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

वह बेचारे क्या किए होंगे, ज्यादा से ज्यादा सी0एम0ओ0 को डांट दिए होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। डायरेक्शन मत दीजिए। आप बैठें, अब लिखा नहीं जाएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य चिकित्साधिकारी और उन डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसमें जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइए। जवाब सरकार देगी या नहीं देगी, आपने बोल दिया है। अब बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें खास बात आपने जो कही, वह यह कही कि भारत सरकार और राज्य सरकार, इसमें दोनों बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और भारत सरकार के खजाने को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश भरता है जितना उत्तर प्रदेश अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई भारत सरकार को देता है उससे बहुत कम उत्तर प्रदेश को वापस होता है। तो इसमें भारत सरकार के उपकार को थोड़ा कम कर दें, हमें आप हमारा ही हिस्सा दे दें। बाकी दिखवा लिया जाएगा।

*श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राह्यता के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। प्रदेश सरकार प्राथमिक विद्यालयों पर और बेसिक शिक्षा पर जितना धन खर्चा कर रही है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। बरेली के अन्दर लगभग 25 ऐसे विद्यालय हैं जिनके अपने भवन भी नहीं हैं। अभी 16 तारीख को जो भयंकर वर्षा हुई तो कई प्राथमिक विद्यालयों की छुट्टी इसलिए कर दी गई कि वहां कहीं भवन न गिर जाए और स्थिति यह है, जैसे बजरिया पूरनमल, उसमें 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, निमारान के अन्दर 7 बच्चे पढ़ रहे हैं जसौली में 56 बच्चे, सरकार चाहती है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद, एक-एक टीचर के ऊपर, प्राइवेट विद्यालयों में इस प्रकार का कार्य चल रहा है। इससे भी ज्यादा अगर आप चाहेंगे तो पेपर में छपा है, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बता रहे हैं कि पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन कभी-कभी यह सही होता है। मान्यवर. वहां किताबें जलाकर आग सेंक रहे हैं कृपा करके बरेली के इन प्राथमिक विद्यालयों के लिए, मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस दुर्दशा पर विचार कीजिए, जो नीति है वह लागू हो।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी मौजूद हैं।

बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मा0 सदस्य ने जो सूचना दी है उसको दिखवा लेंगे लेकिन सरकार बनने के तत्काल बाद ही प्रत्येक जनपद से सूचना मांगी गयी थी कि प्रदेश में कितने विद्यालय जर्जर हैं, कितने बरसात में टपक रहे हैं और कितने विद्यालयों का अर्धनिर्माण है। सूचना पूरी आ गई है, कोई भवन जर्जर नहीं है और जो टपकने वाले थे, उन्हें ठीक करा दिया गया है। जहां तक संख्या की बात है, जब से इस देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई है, तब से निजीकरण की तरफ लोगों का दिमाग भी बढ़ा है और सभी तरफ निजीकरण, निजीकरण चल रहा है। माननीय सदस्य, श्री राजेश त्रिपाठी जी ने एक दिन कहा था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का पब्लिक स्कूलों में एडमिशन करा दिया जाए। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, प्राथमिक शिक्षा ही असली शिक्षा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और जब तक प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, तब तक हायर सेकेन्ड्री और उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक शिक्षा देना कठिन हो जायेगा। इसलिए मैंने उस दिन भी सदन से निवेदन किया था कि यह कोई सरकार या पार्टी की बात नहीं है। प्राथमिक स्कूलों के लिए हम अभिभावकों को प्रेरित करें कि वह अपने बच्चों को भेजें। श्रीमन्, हमारे शिक्षक योग्य हैं, बी0एड0 हैं, एम0ए0, एम0एड0 हैं, बीटीसी हैं, बीपीएड हैं और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वह बिल्कुल योग्य नहीं हैं, कोई बी0ए0 पास है, कोई इण्टर ही पास है, कम पैसे में पढ़ाते हैं, अधिक शुल्क भी लेते हैं। श्रीमन्, हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, खाना देते हैं, किताबें, कापी देते हैं। लेकिन यह कहना कि कापी-किताबें फाड़कर टीचर तापते हैं, यह बात सही नहीं है। कोई टीचर ऐसा नहीं कर सकता है कि कापी-किताब फूंक करके उसको तापे। हम कापी-किताब को सरस्वती माता के रूप में मानते हैं, गिर जाती है तो उसे उठाकर माथे में लगाते हैं, कोई उसे जलाकर ताप नहीं सकता। वह विद्या की जननी है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने माननीय सदस्य को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे अग्राह्य करता हूं।

अब श्रीमती कृष्णा पासवान जी।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। जनपद कानपुर नगर, थाना-चकेरी के कृष्णापुरम् के मकान नं0-एचएस-14, निवासी श्री देवकृष्ण अवस्थी जी की पुत्री का विवाह था और पास के ही गेस्ट हाउस में शादी थी। उनके बेटे वापस हो करके जब आवास पहुंचते हैं तो उनका दरवाजा, चैनल टूटा मिला और लगभग 4 लाख की चोरी हो गयी। मौके पर चकेरी थाने में जा करके देवकृष्ण अवस्थी जी ने अप्लीकेशन दी, एफ0आई0आर0 की। मौके पर ही मोबाइल फोन मिला, चोरों का मोबाइल मिला लेकिन आज तक थाने में कोई कार्यवाई नहीं

हुई। जब मौके पर इतना अच्छा साक्ष्य मिल गया, मोबाइल मिल गया तो खुलासा तो होना ही चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इसमें कार्यवाई हो। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून-व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर बहस लगी है, टाइम फिक्स है, उसी पर बोलिएगा। आपकी घटना का जिक्र आ गया, सरकार के ध्यान में आ गया, अब बैठिए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृष्णा पासवान जी ने चकेरी थाने के जिस मामले को उठाया है, उसे आप दिखवा लीजिएगा।

यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

आज नेता विरोधी दल, श्री मौर्या जी ने और श्री श्यामदेव राय चौधरी जी ने अलग-अलग एक ही इश्यू पर नियम-56 में सूचना दी है। प्रमोद तिवारी जी का अनुरोध था, वह चले गए हैं, उन्होंने स्थगित करा दिया है। मौर्या जी, इस पर आप कुछ कहेंगे ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हम नित्यप्रति अनेकों प्रकार की हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हैं और अभी हाल में ही हम यहां पर इटावा के प्रकरण को उठा रहे थे और आज फिर मैं इटावा का ही प्रकरण उठा रहा हूं। जहां पर 25 तारीख को एक दरोगा की लड़की को पांच लड़के जबरन अपनी हिरासत में लेकर मोबाइल से उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लेकमेल करने का प्रयास किया, दुराचार करने का प्रयास किया। वह जान बचाकर किसी तरह से भागी और नृशंस घटना से क्षुब्द होकर वह आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हुयी। हम इस प्रकरण को यहां पर इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जनपद, लगातार इस तरह की घटनाओं का बढ़ता ग्राफ। चूंकि आपने काननू-व्यवस्था पर चर्चा स्वीकार कर लिया है इसलिए हम विस्तार से नहीं जाना चाहते। लेकिन मान्यवर, अब अपराधियों के हाथ सत्तापक्ष पर भी जा रहे हैं। गाजियाबाद में सपा नेता की हत्या, कल मऊ में एक सपा नेता की हत्या।

श्री अध्यक्ष-

जब कानून-व्यवस्था पर चर्चा होगी तब आप इस पर कहिएगा अभी आप केवल इटावा की घटना पर बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर समय रहते अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग भी इन अपराधियों के चंगुल से नहीं बच सकेंगे। जिस तरीके से कल कानून के रखवाले दरोगा की पुत्री के साथ भी अगर अपराधियों ने हिम्मत किया है, कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का, उसके साथ अश्लील हरकत करने का काम किया है तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय घटना नहीं हो सकती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि ऐसे गंभीर प्रकरणों पर कठोर से कठोर कार्रवाही भी होनी चाहिए जिससे कि अपराधियों के हौसले पस्त हो सकें और समय रहते अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। धन्यवाद।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद घटना है और मानवता को शर्मशार करने वाली है। एक नाबालिग बच्ची पढ़ने जा रही थी। गांव के ही कुछ पांच दरिंदे उसको बगल के मकान के एक कमरे में खींच ले जाते हैं और अपनी हवस का शिकार बनाते हैं उसके साथ सामूहिक दुराचार करते हैं। लड़की वहां से छूटकर घर जाती है और इतना दुखी हो जाती है, डिप्रेशन में जाकर उसने जहर खा लिया कि अब जीना बेकार है और उसके बाद उसके घरवाले उसको सैफई अस्पताल, पी0जी0आई0 ले जाते हैं और वहां पर वह दम तोड़ देती है। पांच दरिंदों के नाम से उस लड़की के घरवालों ने एफ0आई0आर0 करायी हुयी है। अफसोस है कि आज तक वे गिरफ्तार नहीं हो सके। मैं इतना ही बल देना चाहता हूं कि इस घटना से मानवता शर्मशार होती है और कानून और व्यवस्था की बात आती है और भी दुखद है कि बार-बार कानून और व्यवस्था की बात आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसको संवदेनशीलता से लें और यह प्रयास करें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश में न हो तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा। यह घटना हाल ही में घटित है लोक महत्व का है और यह नियम-56 के अंतर्गत आता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन का सभी कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और चौधरी साहब ने जिस मामले को रखा है वह बहुत गंभीर है और खास बात यह कि जो आपने बात कही है कि मानवता शर्मसार होती है और इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार के साथ-साथ समाज की भी कहीं जिम्मेदारी होती है। मैं इसीलिए यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार या पुलिस या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से अपना कांधा झाड़ रहा है, बल्कि कुछ ऐसी घटनायें जिसे या तो खुद अपना जमीर देखता है या आसमान वाला देखता है और वहां पुलिस नहीं होती है। जो गिरावट आई है, उसमें किन-किन की जिम्मेदारी है, यकीनन सरकार की जिम्मेदारी है, समाजसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, खुद मां-बाप की जिम्मेदारी है और घर के माहौल की जिम्मेदारी है। मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता, चूंकि जो मामला उठाया नेता प्रतिपक्ष ने उसका पूरा संज्ञान लेते हुए एक ऐसी बात जो इस घटना के पीछे रही, वह यहां सदन में कहने लायक नहीं है। फिर भी कोई जान दे या किसी की जान ली जाय, किसी भी तरह से उसे सही और वाजिब तो कहा नहीं जा सकता। गम्भीर है, गम्भीरता से लिया जाना है और लिया जा रहा है और जो कमी भी इसमें महसूस की जा रही है, कोशिश करते हैं कि वह कमी न रहे और क्या हमें अच्छा लगता है कि आप सदन में यह हवाला दें कि उसकी हत्या हो गई, फला की हत्या हो गई। सरकार चाहती है ? आपकी सरकार के जमाने में जो हादसे हुए होंगे क्या आपकी सरकार को अच्छा लगा होगा। कहीं न कहीं उसका नुकसान सरकार को पहुंचा होगा, लेकिन सामाजिकतौर पर हम इतने खोखले होते चले जा रहे हैं कि सिर्फ कानून की सख्ती और उसके दण्डे से काम शायद उतना नहीं चलेगा, जितना हमे आप, सबको बैठक कर मिलकर सोचना होगा। देहली से लेकर जो सामूहिक बलात्कार का वाकया हुआ, क्या हुआ उसके बाद, पूरा देश खड़ा हो गया पैरों पर, मैं किसी पर कोई कटाक्ष करते हुए नहीं कह रहा हूं, पूरा देश खड़ा हो गया और लगता था कि इन्कलाब आयेगा इसमें। मांग की गई सजा की और किसी हद तक यह तय भी हुआ, ऐसे गुनहगारों की सजा क्या होनी चाहिए

कि सरहद पर दोष सब उतर गये और अगले दिन से वह किस्सा खत्म हो गया। यह बहुत गम्भीर है, गम्भीरता से ले रही है सरकार और भावुकता से ले रही है सरकार और ऐसी चीजों को रोकने के लिए कानून के साथ-साथ समाज से भी यह दरखास्त करती है कि वह इन चीजों पर नजर रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने मा0 सदस्य को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे अग्राह्य किया जाता है।

[12.30 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब बजट चर्चा प्रारम्भ की जायेगी। जीरो ऑवर यद्यपि 01.20 पर खत्म होता है, लेकिन अब कुछ नहीं है, इसलिए अब जीरो ऑवर का समय चर्चा में लिया जाता है।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, पूरा बजट हमने पढ़ा, इसमें बहुत बढ़-चढ़ करके किसान की और आम आदमी की बात की गई है। आज हम जैसे नौजवान भाइयों का सौभाग्य है, पिछली बार भी मुझे सौभाग्य से इस सदन में आने का मौका मिला, एक तारीफ तो मैं जरूर करूंगा, हमारा सौभाग्य है कि हमें मा0 अखिलेश यादव जी जैसे मुख्य मंत्री मिले। पिछली बार हम मा0 मुख्य मंत्री जी की शक्ल देखने को तरसते थे, पिछली बार कुछ मंत्री बहुत अच्छे थे, लेकिन मुख्य मंत्री ऐसा नहीं था। मैं दूसरी बार इस सदन में आया हूं, इसके लिए मैं जरूर अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हम मुख्य मंत्री से अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या बता सकते हैं। काम होने में जरूर रुकावट है। काम होने में रुकावट इन बैठे नेताओं की वजह से नहीं है, सम्मानित सदस्यों की वजह से नही है, जो अधिकारी उस समय थे, वह आज भी बैठे हैं, आज भी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, बाधायें वह पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें वह पैदा करते हैं। वह किसान, मजदूर का खून चूसने का काम करते हैं । हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की हैसियत से यहां आते हैं। हमारे द्वारा, हमारी संस्तुति पर हमारे क्षेत्र का डेवलपमेण्ट करने के लिए जो निधि दी जाती है, उसमें भी 15 परसेण्ट पैसा काट लिया जाता है । अगर इसमें कुछ असंसदीय हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें सत्यता है, एक दर्द है। मैं उस क्षेत्र से चुन करके आता हूं जहां 90 फीसदी किसान रहता है। किसानों ने जब हमें वोट दिया, हमें यह सोंच समझ करके वोट दिया था चूंकि नौजवान हूं अपेक्षायें ज्यादा थीं, सदन में आ करके उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। सरकार ने बहुत सी योजनायें दीं, मैंनें पिछली बार भी सदन में उठाया था, जब किसान की बात आती है तो वास्तव में मैं मानता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच किसान के प्रति काफी अच्छी है, लेकिन एक दिक्कत है, मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी समस्या को वह नोट करने का काम करें। पश्चिमी उत्तर

† दिनांक 26 फरवरी, 2013 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत ज्यादा बोई जाती है। गन्ने की फसल में एक दिक्कत है, एक बीमारी है, उसे ग्रासीशूट कहा जाता है, उसमें जो हम बीज बोते हैं।

जो हम बीज बोते हैं, जो 767 बीज बोया जाता है। 767 के बीज में यह बीमारी है। कई बार मैंने इसे सदन में उठाया लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं हुआ या तो कोई नया बीज डेवलप किया जाये। मा0 मंत्री जी, नोट कर रहे होंगे, जहां तक मैं समझता हूं। 767 के बीज में या तो कोई नया बीज वहां दिया जाये या इस बीमारी का कोई समाधान होना चाहिये। इससे किसान बहुत दुखी है। किसान की बात हुयी आपने अपने बजट में लिखा है कि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रभावशाली ढंग से पहुंचने का काम होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आपने जुगाड़ को खत्म करने की बात की। मैं भी सम्मानित न्यायालयों का सम्मान करता हूं लेकिन इसमें एक काम किया जा सकता था कि जुगाड़ बन्द करना चाहते हैं, कर दें। जिस तरह से, जिस आधार पर आपने गरीबों के प्रति अपनी उदारता दिखाते हुये रिक्शाओं को चलाने का काम किया है। इंजनयुक्त रिक्शा देने का काम सोचा है उसी आधार पर हम जुगाड़ को भी खत्म करते क्योंकि आज हमारे प्रदेश में परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम दूर के गांव से अगर शहर की तरफ आते हैं तो वहां चूंकि प्राइवेट बसों का सिस्टम खत्म हो गया है।

(मा0 बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा मा0 मुख्य मंत्री के आसन के पास जाकर वार्ता करने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये आप ही के पार्टी के हैं, इनको समझाते क्यों नहीं ?

श्री पंकज कुमार मलिक-

इन्हें तो हम उधर ही मान चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

इधर ही मान चुके हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

जी। अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं। मान्यवर, जुगाड़ का महत्वपूर्ण मामला था। जुगाड़ के बारे में मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं लेकिन इसमें जिस तरह से हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने गरीबों की ही दिक्कतों को दूर करने के लिये रिक्शा चलाने का काम शुरू किया है तो उसी आधार पर जिन रूटों पर जुगाड़ चलाये जाते हैं, उन रूटों पर छोटे परमिट बना करके परमिटयुक्त ऐसे वाहनों को चलाया जा सकता है। इससे दो समस्याओं का समाधान होगा। एक तो परिवहन की व्यवस्था सुधरेगी। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग शहरों में आते हैं, उन्हें आसानी होगी। इसमें सरकार गरीबों के लिये इन रूटों का प्रस्ताव करके गरीबों को परमिटयुक्त, उनकी वह किस्त दें, एक छोटा वाहन जैसे टैम्पो, जीप इस तरह के परमिट कानून को मानते हुये चलाने का काम किया जाये। इससे प्रदेश के एक बहुत बड़े तबके को रोजगार मिलने का काम होगा। एक अनुरोध और मेरा है कि आज प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश में जितने भी कृषि पर आधारित रोजगारपरक रोजगार

हैं, सारे ठप पड़े हैं। चाहे क्रेसर चलते हों, वह बन्द पड़े हैं। फूड प्रोसेसिंग के सारे व्यापार बन्द पड़े हैं तो इसमें भी सरकार को सोचना चाहिये। आज सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य की। मैं पूरे प्रदेश का तो समझ ही सकता हूं और मैं खुद अपने जनपद की बात करता हूं। मेरे जनपद में जहां डॉक्टरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। करीब 14 लाख से ज्यादा की आबादी है वहां 5 रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, एक भी नहीं है, एक्स-रे टेक्नीशियन नहीं है। जहां पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 हैं वहां डॉक्टर बहुत कम जाते हैं। मा0 हुकुम सिंह जी ने भी इस सदन में उठाया था, हमारे दूसरे साथियों ने भी उठाया था। हर जिले की यही बात है लेकिन मेरा जिला चूंकि नया जिला बना है वहां 86 एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों की आवश्यकता है। मुश्किल से वहां बहुत कम डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारी सरकार है, अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिये बहुत चिन्तित हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे जनपद में महिला डॉक्टर हैं ही नहीं। प्राइवेट जाना पड़ेगा हमारी लड़कियों को, बहनों को, महिलाओं को, माताओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंत्री इसे जरूर अपने बजट में शामिल करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अनुप्रिया जी, मैं देख रहा हूं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, कुछ बातें रह गयी हैं मेरे क्षेत्र की, वे तो कह दूं। बेसिक शिक्षा की बात है, बेसिक शिक्षा की बात आपने कही थी कि प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता है, मानता हूं लेकिन जो दो नये जनपद बने हैं वहां टीचरों की बहुत आवश्यकता है। मा0 अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा। अनुरोध है आपसे कि दो बातें और कह लूं। जुड़ जायेगा तो अच्छा रहेगा, हमारे जिले का कुछ भला होगा। एक अजीब विडम्बना है, हम नौजवानों की, युवाओं की बात करते हैं। हम कहते हैं कि खेल को बढ़ावा देना चाहिये। हमारे युवाओं को रोजगार मिलने चाहिये, हम रोजगारपरक उद्योगों की बात करते हैं लेकिन इसमें कहीं उसका उल्लेख नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में मैं कहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां, पूरे प्रदेश में मेहनती लोग हैं लेकिन वहां खेल के प्रति एक विशेष रुचि रहती है। हमारे क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट हर खेल को खेलने का काम करते हैं लेकिन बड़ी दिक्कत है कि मेरठ में थोड़ी सी सुविधा है उसके अलावा कहीं कोई सुविधा नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वहां के युवा खिलाड़ियों के लिये, उनके सम्मान में भी, उन्हें कुछ न कुछ राशि मिलनी चाहिये जो बड़े स्तर पर खेले हैं। दूसरा वहां ट्रेनिंग सेण्टर होने चाहिये। जनपद शामली में वहां पर कोई भी स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, एक बड़ी विडम्बना है, बड़ा दुख होता है। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारे जनपद में मुख्यालय का निर्माण हो, हमारे जनपद में बड़ा अस्पताल हो, साढ़े तीन सौ बेड का अस्पताल हो, हमारे जनपद में स्टेडियम हो, कालेज हो, सेन्ट्रल स्कूल हो, मैंने अनुरोध किया, हर चीज का एक जवाब आ जाता है कि भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि मैं थोड़े ही उपलब्ध कराऊंगा। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते, हम उनकी क्या मदद करेंगे, भूमि उपलब्ध नहीं होती, जवाब आ जाता है कि भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध नहीं है। नया जिला बना है, उसका डेवलपमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन सड़कों के लिए आपने पैसा दिया है, बहुत

अच्छी बात है। वह सड़कें बनेंगी, हमारे जनपद में बाहर से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, जनपद का उद्धार होगा, डेवलपमेंट होगा। एक छोटी सी बात है, लेकिन जिन सड़कों का उसमें उल्लेख किया गया है, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग का उसमें उल्लेख किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब प्राइवेट एजेंसी को वह सड़क दी गयी तो पी0डब्लू0डी0 विभाग ने, यह लिखित में है कि पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा उसे यातायात योग्य, चलने योग्य बनाने की बात कही गई थी, उसका पैसा भी वहां जरूर दिया गया होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज वहां इतने बड़े गड्ढे हैं, मा0 हुकुम सिंह जी बैठे हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी जनपद है। वहां पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं, मा0 अध्यक्ष जी, आप खुद गए थे। आप जिला पंचायत के ओथ दिलाने के लिए गए थे, आप खुद देखिए मेरी पीड़ा, आप समझिए, कितने बड़े-बड़े गड्ढे वहां हैं, सड़क तो है ही नहीं वहां। सड़क है ही नहीं, गड्ढों में ही सड़क है, तो मेरा एक अनुरोध है कि उसकी जांच की जाए, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होने की अति आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया और आदेश दिया कि बैठ जाऊं, उसके लिए आपका धन्यवाद, मैं बैठ भी रहा हूं।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है इस बार जिसमें किसानों, मजलूमों, शोषित, पीड़ित, दलित समाज, महिलाओं और मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों के लिए आपने प्राविधान किया है। हम अपनी बात की शुरूआत करने से पहले अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस सदन के अंदर एक ऐतिहासिक कुंभ की चर्चा की गई और जो ऐतिहासिक कुंभ की व्यवस्था, इस धार्मिक पवित्र त्योहार की व्यवस्था की गई...

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया के मा0 मुख्य मंत्री की सीट के पास खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 पहाड़िया जी आप इसी सीट पर बैठ जाइये, वहां से निर्देश हो गया है कि आप इधर ही के हैं।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक त्योहार, इस महाकुंभ की व्यवस्था, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की, हम उसके लिए अपने अयोध्या, फैजाबाद की तरफ से, जो करोड़ों लोग इलाहाबाद में

कुंभ नहाने गए, चूंकि इलाहाबाद में कुंभ नहाने के बाद लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए आते हैं, सरयू में नहाने के लिए आते हैं, और वहां से करोड़ों लोग अयोध्या में आकर, सरयू नदी में डुबकी लगाकर, भगवान राम के दर्शन करते हैं और वहां पर उन लोगों ने जो बड़ाई की, क्योंकि बुजुर्गों से लेकर, नौजवानों तक ने हमको इस बात को बताने की काम किया कि हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सफाई, इतनी अच्छी सुन्दरता आज तक कभी किसी त्योहार और मेले में नहीं देखा था। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार महाकुंभ की की है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। आदरणीय अपने नगर विकास मंत्री श्री आजम खां साहब, आदरणीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी को भी इस बात की बधाई देना चाहते हैं और हम अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने लोहिया, जय प्रकाश नारायण और मा0 मुलायम सिंह यादव की परम्परा का निर्वाहन करते हुए, आदरणीय आजम खां साहब, को इस मेले का प्रभारी बनाया, इसकी जिम्मेदारी दी, क्योंकि हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी का यह मानना है कि ''हिन्दू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिन्दुस्तान का, जब लहू टपकता गीता का, तो बहता लहू कुरान का'' उस परम्परा का निर्वाहन हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने किया है, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। दूसरी चीज, बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमारे छात्रों, नौजवानों को जो लैपटॉप देने की व्यवस्था, टैबलेट देने की व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था, कन्या विद्या धन देने की व्यवस्था, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अन्तर्गत पैसा देने की व्यवस्था, इन हमारे नौजवानों के भविष्य के निर्माण की जो आधारशिला रखने का काम हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। आज सदन में हम आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, पिछली सरकार थी हमारे नौजवानों के पीठों के ऊपर लाठियां बरसाईं जाती थीं, मुकदमें लिखे जाते थे, जेल भेजने का काम किया जाता था। अगर किसी ने छात्रसंघ की मांग कर ली तो उसके ऊपर गुण्डा एक्ट और रा0सु0का0 लगा दी जाती थी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस एक साल की सरकार में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने छात्र संघ चुनाव को बहाल करके नौनिहालों की राजनीति को दोबारा जिंदा करने का काम किया है। इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या जी अपने बयान में कह रहे थे, कि इतने दंगे ढेर-सारे उत्तर प्रदेश में हो गए। हम केवल अयोध्या दंगे की दो मिनट में बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारे अयोध्या-फैजाबाद में जो दंगे हुए, आज जो उसके आरोपी जेल में बंद हैं। मान्यवर, अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं हैं उनके दल के लोग मौजूद है। श्री शोभित कपूर जो सभासद हैं चौक से, वह बहुजन समाज पार्टी के हैं, भदरसा के पूर्व चेयरमैन वह भी बी0एस0पी0 के हैं। तो यह सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। मान्यवर जो ये सारी बातें हुई हैं वहां पर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हाथ है, चूंकि अयोध्या, फैजाबाद, में यह घटना हुई और प्रशासन व शासन ने कार्यवाही करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें भा0ज0पा0 व ब0स0पा0 के कई लोग जेलों में आज भी निरुद्ध हैं। मान्यवर, इस घटना के बाद आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वहां पहुंचकर जो दुकानें जली थीं उनके लोगों से मिले। उनके जख्मों पर मलहम लगाया और राहत देने का काम किया। मान्यवर, इस देश के इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्य मंत्री ने वहां पहुंचकर, लोगों से मिलने

का काम किया और जिनकी दुकानें जली थीं, उनको चार लाख दस और बीस लाख रुपये देने का काम किया है। उन्होंने लोगों के जख्मों पर मलहम तो लगाया ही साथ ही जो हमारी अयोध्या-फैजाबाद की गंगा जमुना की तहजीब है माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोगों से बात करके उस परम्परा को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, राम की पौड़ी की जो बात है उसके विकास के लिए और सौन्दरीकरण के लिए, सरकार बनने के बाद तुरन्त ही हमारी सरकार ने 50 लाख रुपये दिये हैं, जिससे वहां सफाई का कार्य चल रहा है और पुताई का कार्य चल रहा है। मान्यवर, वहां पर 22 साल तक फैजाबाद में बी0जे0पी0 के विधायक रहे उन्होंने कोई भी सड़क बनवाने का काम नहीं किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने दस करोड़ रुपया दो सौ सड़कों के लिए दिया है और उस पर काम चालू हो गया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अयोध्या को फैजाबाद को एक पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उसके लिए हम आभारी हैं। मान्यवर, भा0ज0पा0 के लोगों ने भगवान राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया है और उसके आधार पर प्रदेश और देश में सत्ता हासिल की, परन्तु अयोध्या और फैजाबाद का कोई विकास नहीं किया। हमारे नेता जी माननीय मुलायम सिंह जी के समय में वहां के विकास के लिए ध्यान दिया गया। वहां जैन हास्पिटल, जैन मंदिर और पार्क विकसित करने का काम किया गया। उसी समय चौदह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के विकास का कार्य भी प्रारम्भ कराया गया। उसी परम्परा का निर्वाह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और इसी के दृष्टिगत् उन्होंने अयोध्या और फैजाबाद को पर्यटन नगरी के रूप मे विकसित करने की घोषणा की है। मेजों की थपथपाइट।

[12.46 बजे] भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय के सम्बन्ध में सदन को सूचना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान राम की पेड़ी का जिक्र किया। मैं आपकी अनुमति से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि भाटपार रानी विधान सभा उपचुनाव में हमारे पार्टी के प्रत्याशी ने 34000 मतों से जीत हासिल की है। मेजों की थपथपाहट।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कई अहम बिन्दुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मान्यवर, मैं एक महिला विधायक होने के नाते सर्वप्रथम जो महिलाओं के सुरक्षा का मामला है उस पर बोलना चाहती हूँ। मान्यवर, आपने महिला हेल्प लाइन की शुरूआत की। 1090 की शुरुआत की। यह समाजवादी पार्टी सरकार का प्रशंसनीय कदम है। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, यह सब चीजें महिलाओं के हाथ में एक ऐसी ताकत के रूप में होती हैं जिससे महिलाएं अपने को सुरक्षित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महसूस करती हैं लेकिन केवल हेल्प लाइन बना देने से ही सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पायेगी। इसके लिए सरकार को कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की भी आवश्यकता है। मान्यवर जैसे कि हर जिले में एक महिला थाना होता है परन्तु वह शहर में स्थित होता है। यदि एस0पी0 ग्रामीण के तहत एक महिला थाना हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थापित कर दिया जाय तो इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। इसी तरह से उन स्थानों पर जहां पर कन्या महा विद्यालय स्थापित हैं, या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर महिलाओं का आवागमन ज्यादा होता है उन स्थानों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। वहां पर महिला कांस्टेबिल की तैनाती की जाय और यदि महिला कांस्टेबिल्स की संख्या कम है, जोकि वास्तव में है तो आप विशेष भर्ती अभियान चलाकर महिला कांस्टेबिल्स की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करिये क्योंकि अगर कोई भी महिला असुरक्षित है या किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करती है तो सबसे पहले वह किसी महिला कांस्टेबिल से या किसी महिला पुलिस अधिकारी से अपनी समस्या को कहने में सुविधा महसूस करती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे इन तमाम सुझावों पर ध्यान दें और इस पर कुछ कार्यवाही अवश्य करें। जहां तक बात कानून व्यवस्था की है इस बजट को मैने पढ़ा है और इसमें पुलिस के आधुनिकीकरण से संबंधित कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी है । इस सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहूंगी कि कुछ गूढ़ समस्याएं हैं जो लम्बे समय से लम्बित हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले मसला है कि पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय नेता जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पुलिस हेडकांस्टेबिल्स को प्रोन्नत करके सब इंस्पेक्टर बनाया था लेकिन आज भी अगर जमीन पर जाकर देखा जाय तो इन हेड कांस्टेबिल्स को जो प्रोन्नत करके सब इंस्पेक्टर्स बनाये गये थे इन्हें जो वेतनमान मिल रहा है वह हेडकांस्टेबिल्स का मिल रहा है, सब इंस्पेक्टर्स का नहीं मिल रहा है यह पूर्णतया अनुचित है। मैं चाहूंगी कि सरकार इस सम्बन्ध में भी सुधार करे। इसके साथ ही पुलिस विभाग की सबसे बड़ी समस्या प्रोन्नति के सम्बन्ध में है जो भी हमारे पुलिस कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, उप निरीक्षक, निरीक्षक या उपाधीक्षक के पद पर तैनात होते हैं सालों तक वह एक ही पद पर रहते हैं और उसी पर कार्य करते-करते सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो जिन पुलिस कर्मियों को हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने की जिम्मेदारी देते हैं मैं समझती हूं कि प्रोन्नति के सम्बन्ध में उनके साथ अन्य कर्मचारियों की भांति सरकार को समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रदेश में जो भी हमारे पुलिस सेवा में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पुलिस कर्मी किसी भी पुलिस पदक, राष्ट्रपति पदक, प्रदेश सरकार के किसी भी सम्मानित पदक से नवाजे जाते हैं उनके लिए भी सरकार से एक सुविधा मांगना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उनको मुफ्त यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा उनको अधिकार पत्र मुहैया कराये जायें और एक बहुत बड़ी समस्या है माननीय अध्यक्ष जी, कि हमारे जो भी पुलिसकर्मी हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी मौकाये वारदात पर बड़ी तेजी से कार्य करें, बदमाशों से गुण्डों से मुकाबला करें लेकिन यह बहुत दुःखद, बहुत खेदजनक है कि उनके पास जो हथियार हैं वह अंग्रेजों के जमाने के हैं। जैसे मस्कट रायफल वगैरा हैं यह बहुत पुराने जमाने की हैं जो मौकाये वारदात पर कभी चलती ही नहीं हैं तो आधुनिकीकरण पर यदि सरकार का इतना ज्यादा ध्यान है तो इस आधुनिकीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू पुलिस को आधुनिक हथियार मुहैया कराने के सम्बन्ध में है यदि इन्हें अच्छे हथियार

दिये जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पुलिसकर्मियों के लिए गलत अपराधिक तत्वों का मुकाबला करना ज्यादा सुविधाजनक होगा।

लघु उद्योग के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में दो जनपद हैं जिला मिर्जापुर और जिला सोनभद्र। यहां किसानों से सम्पर्क के दौरान मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि वहां पर टमाटर की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और 100-200 बीघे में हर किसान टमाटर की खेती करता है और पूरे देश के विभिन्न प्रान्तों में यह टमाटर सप्लाई किया जाता है। यहां तक कि विदेशों तक जाता है, नैपाल तक जाता है तो यदि वहां टोमैटो सौस की फैक्ट्री लघु उद्योग के रूप में विकसित की जाती है तो वहां के हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़ेगी और उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही गन्ना किसानों के सम्बन्ध में मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि बहुत लम्बे समय से हमारे गन्ना किसानों का जो भुगतान लम्बित है और सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में 400 करोड़ की व्यवस्था की है तो मेरा यह अनुरोध है कि जो 400 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गयी है इस धनराशि को जो इस मद में आवंटित की गयी है इसे किसी और मद में इस्तेमाल न किया जाय क्योकि भुगतान में देरी होने की वजह से आज पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड में ऐसी स्थितियां पैदा हो गयी हैं कि किसानों ने एक तरीके से गन्ना बोने से इंकार कर दिया है और यदि यह परिस्थितियां दूसरे क्षेत्रों में बनती रहेंगी और इसी प्रकार से यह समस्या विकराल रूप धारण करेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब चीनी के मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसी कोई समस्या इतना विकराल रूप धारण कर लें, इसके पहले ही सरकार भुगतान के संबंध में तेजी दिखाये और समयानुसार हमारे किसान भाइयों का जो भी लम्बित भुगतान है, वह किया जाये। जहां तक ऋण माफी योजना की बात है, इसमें जब पहला बजट पेश किया गया था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सहकारी बैंकों से 50 हजार तक का कर्ज जिन किसानों ने लिया है, उसको माफ किया जायेगा लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई ऐसे जनपद हैं, जहां पर कोआपरेटिव बैंकों से किसानों की आर0सी0 जारी कर दी गयी है तो यह कैसे हो गया है, किन परिस्थतियों में हो गया है, इसको सरकार अवश्य ध्यान दें क्योंकि इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता और कृषक समाज निश्चित रूप से इस सरकार से जानना चाहेगा ।

जहां तक खेल और युवा कल्याण की बात है, इस पर भी मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि हमारे वाराणसी जनपद में, जहां से मैं विधायक हूं और उसके बगल के मिर्जापुर जनपद में मैं गांव-गांव तक जाकर देख चुकी हूं, वहां गांव-गांव के जो बच्चे हैं, लड़के-लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा वहां पर खेलकूद की प्रतियोगितायें जैसे कबड्डी, हाकी, क्रिकेट सब कुछ होता रहता है, वहां ग्रामीण स्तर पर खेलकूद की बहुत प्रतिभा है वाराणसी और मिर्जापुर में, लेकिन समस्या इतनी है कि वहां पर ऐसी कोई सुविधायें नहीं हैं कि गांव-गांव के स्तर पर खेल की प्रतिभा जो बच्चों के अंदर है, उसको आगे ले जाने के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और बजट को मैनें देखा है उसमें वाराणसी और मिर्जापुर जनपद के लिये खेलकूद के विकास के लिये कोई भी सुविधा या सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की गई है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यदि आप चाहें तो वाराणसी और मिर्जापुर की रिपोर्ट मंगा लें वहां गांव-गांव के स्तर पर खेलकूद होता है, आप इस पर ध्यान दें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं, धन्यवाद ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट के पक्ष में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट अपने आप में सम्पूर्ण दस्तावेज है, सरकार की नीतियों का, सरकार के दर्शन का, डा0 राम मनोहर लोहिया के चिन्तन का, छोटे लोहिया के विचारों का। माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करते हुये प्रदेश के ऊर्जावान मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को प्रदेश की जनता के लिये रखा है और मूल रूप से इसका आधार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार, संविधान के संकल्प के अनुसार, संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुसार है।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह तो मंत्री हैं, आप किसी सदस्य को बुलवाइये ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, इनको भी बोलने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

तो माननीय अध्यक्ष जी, यह ऐसा दस्तावेज नहीं है कि कोई भी विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेता खड़े होकर जो ज्ञानविहीन हैं और इस बजट को कह दिया कि यह झुनझुना है। बच्चों को तो झुनझुना ही दिया जाता है जो नासमझ होता है, वह झुनझुना ही समझता है, लेकिन इस बजट को टू दी पीपुल, फार दी पीपुल, बाई दी पीपुल, लोगों की सरकार, लोगों के लिये और लोगों के द्वारा, ऐसा सोचकर ही हमारा बजट बना है। कोई तथ्य ऐसा नहीं है जो इसमें छूटा हो, आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के हालात क्या हैं। आप सबको मालूम हैं कि 62 वर्ष हो गये हैं, आज भी 80-82 फीसदी लोग निर्धनता में जीवनयापन करते हैं, 17 फीसदी बच्चे जिनका बाल्यकाल भी समाप्त नहीं होता है, वह अपने जीवनकाल में ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधायें नहीं मिलती हैं। आज भी कुपोषण और महामारी से देश और प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग ग्रसित है और लोगों को यथासंभव सुविधायें नहीं मिल रही हैं। मान्यवर, अध्यक्ष जी, आपको पता है कि इस प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग है और प्रदेश में सरकार भी इनकी रही है जो आज आरोप लगाते हैं और आरोप भी ऐसा लगाते हैं, मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि -

''पड़े हैं सैकड़ों तोहमत के धब्बे जिनके दामन पर,
वही उंगली उठाते हैं हमारे चाके गरीबां पर''। ....

इनका क्या मुंह है बोलने का, पूरा पांच वर्ष मिला, हाथ उठाते हैं नल मांगते हैं, हाथ उठाते हैं सड़क मांगते हैं, कागज लेकर हमारे मुख्य मंत्री के पास रोज आते हैं। मान्यवर, इनको शर्म नहीं आती, पांच साल की सरकार थी, किसी को एक टोटी भी नहीं दी, नल की बात करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी उदार हैं, आइये दीजिए, कोई मना नहीं करता है, आइये दीजिए कौन मना करता है। मान्यवर, आज हालात चिन्तन के हैं, तकलीफ के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो खुद जानते हैं, आपका संरक्षण है, सभी विधायकों का काम होना चाहिए, सबको अधिकार है, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, इनकी बात

कैसे सुनी जायेगी, जब इनकी सरकार में इन्हीं की बात नहीं सुनी जाती थी। इन्ही की नेता नहीं सुनती थीं, यह भी मारे-मारे घूमते थे, इनकी हालत तो ऐसी थी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि-

चाबुक घुमाते हैं और झुककर सलाम करते हैं,
ये वो शेर हैं, जो सरकस में काम करते हैं।

ऐसी हालत इनकी है, माननीय अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि आज हालात कहां हैं, 62 वर्षों तक किसका राज देश में रहा। एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी का राज रहा उन्होंने क्या दिया देश को निर्धनता, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अविकसित देश, भ्रष्टाचार में 108वां नम्बर, टॉप की लिस्ट में हमारा नम्बर है और फिर भी शर्म नहीं आती है। इतनी बड़ी पार्टी, ऐसे लोग और मान्यवर, हमारे नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह जी कौन हैं, क्या हैं, इन्हें कब समझ में आयेगा, उनके अन्दर महात्मा गांधी जैसे, मार्टिन लूथर किंग जैसे, नेल्सन मण्डेला जैसे लोगों का चिन्तन और आन्दोलन करने की क्षमता और सरदार पटेल जैसी दृढ़शक्ति हमारे नेता के अन्दर है, सुभाष चन्द्र बोस जैसी आक्रामकता है। यदि हमारे ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा और हमें बेवजह जलील करेगा तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। आप झूठी बातें कह कर, प्रदेश को गुमराह करके, एक-एक मिनट में सदन को छोड़कर भागते हो, क्यों नहीं सुनना चाहते हो क्या गलती की हमने। हमारी बात सुनिये, अपनी सुनाइये, अभी कानून-व्यवस्था की बात करने लगते हैं कि [x x x] है। समाजवादी पार्टी के लोग क्या [x x x] कर रहे हैं। आपकी तो बहुत अच्छी सरकार थी हम कहां कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं थे, प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया कि कितने अच्छे थे। यह रिकार्ड है मेरे पास नेशनल क्राइम ब्यूरो का, 22 जून से लेकर 22 अगस्त, 2007 तक आदेश हुआ था आपकी सरकार का पिछले तीन वर्षों में यदि किसी को सताया गया हो तो आप मुकदमा लिखवा सकते हैं। पता है कि कितने मुकदमें लिखे गये 96 हजार 562 मुकदमें रजिस्टर्ड हुए तीन महीने में और लाखों बेगुनाह लोग इनकी वजह से जेल में गये, यह इनका पाप है इसलिए आज उधर बैठे हुए हैं कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया जिससे लोगों को कुछ मिला हो। 96 हजार मुकदमें तीन महीने में और बेगुनाह लोग जेलों में, मान्यवर, मेरे ऊपर भी इनकी पार्टी के एक चिरकुट से नेता ने राजपाल कर्णवाल ने मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखवाया कि मैंने उसके 12 सौ रुपए छीने, घड़ी अंगूठी छीनी, मान्यवर, इनसे पूछिये जरा कि घड़ी अंगूठी पहनते भी हो कि ऐसे ही कोई छीन लेगा। 12 सौ रुपया मैं इनसे छीनूंगा।

मान्यवर, मेरे खिलाफ मुकदमा देवबन्द थाने में कायम है, ऐसी तुम्हारी सरकार है, बदले की भावना से काम करते हो। हमारा कुछ बिगड़ा तो नहीं, आज यहां हैं, पूरी जनसंख्या के साथ हैं, जैसे भी चाहो लड़ लो, यहां लड़ लो, बाहर लड़ लो, कौन डरता है आपसे, ऐसे घुड़की देते हो। मान्यवर, यह कह रहे थे कि बलात्कार थानों में हो गया, फलानी जगह बलात्कार हो गया, मान्यवर, समाज में विषमताएं हैं, समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी थी लेकिन वह समाज उतना नहीं शिक्षित कर सके। जिन पार्टियों का राज रहा उनकी जिम्मेदारी थी समाज सुसभ्य करने की, सुसंस्कृत करने की उनको वेल एजूकेटेड करने की, जागरूक करने की, नहीं कर पाये, शर्मिन्दा हैं। मान्यवर, हम पोलिटिकल लोग हैं लेकिन आपकी सरकार में कितने मुकदमें हुए थे कभी देखा है गिरेबान में झांक कर, आपकी सरकार में 13-07-2007 से 15-03-2012 तक 7 हजार बलात्कार के मुकदमें हैं। एक

मिनट में पूंछ उठाकर भागते हो, जा रहे हैं बाईकाट कर रहे हैं। यहां बैठकर सुनो न, 7 हजार मुकदमें हैं यह एक रिकार्ड है। जाइये होम मिनिस्ट्री और देखिये इसको कि कैसे बलात्कार हुए। क्या कह रहे थे उस दिन कि हमने विधायकों को जेल भेजा, सांसदों को जेल भेजा, क्या खीर खिलाओगे उन्हें, जब गुण्डे होंगे, बदमाश होंगे तो क्या उन्हें घर बिठाओगे।

जब तुम्हारे सांसद गुण्डे हैं, आपके विधायक बदमाश हैं, विधायक और सांसद अपराधी हैं, बलात्कारी हैं तो उन्हें घर में बिठाकर खीर खिलाओगे, वह जेल नहीं जायेंगे क्या ? और अब कर के दिखायें, हमारी सरकार है। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत हंसते हैं, ऐसा मत सोचिये कि बहुत हंसने वाले हैं, अन्दर से उतने ही कठोर हैं और बड़े-बड़ों का इलाज कर देंगे, इस मुगालते में मत रहियेगा। अभी देख रहे हैं ढर्रा। आपने सुना होगा कि एक फूहड़ बीबी से पाला पड़ गया, घर के हर कोने में जाला पड़ गया। यह सब आपकी देन है, आपकी गन्दगी को, आपके जालों को, आपके ऐसी संस्कृति को जो आपने प्रदेश में बिगाड़ी, जिसमें भ्रष्टाचार की गंगा बही उसको दूर करने में, ठीक करने में हमें दवा और इंजेक्शन बहुत सारी चीजें तलाश करनी पड़ रही हैं कि कैसे जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको ठीक करें। आप लोग बात करते हो विकास की, आपने कहां विकास करी ? सहारनपुर के तीन विधायक बैठे हुए हैं, ईमानदारी के साथ अपने बच्चों की कसम खा करके बतायें कि तीन साल में कितना रुपया दिया ? शून्य बजट। सहारनपुर जिले का तीन वर्षों तक शून्य बजट। राजी हो रहे हैं जय बहुजन समाज पार्टी, राम न रहीम, दुआ न सलाम, जय भीम, जय भीम। (हंसी) नया पंथ चला दिया। (ब0स0पा0 के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहने का प्रयास करते रहने पर शोर/व्यवधान।) सुन लो, अभी पूरी बात आयी नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं मैं कोई विवाद नहीं चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इसमें बुरा मानने की क्या बात है ? आप नहीं कहते हैं।

एक माननीय सदस्य-

मान्यवर, इनकी भाषा ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र में बहुत सारे महापुरुष हुये हैं, उनका आदर होता है, सम्मान होता है, हम भी करते थे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत लोग सम्मान करते हैं। [x x x] (ब0स0पा0 के अनेक माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े हो करके विरोध करने लगे, जिससे शोर उत्पन्न हो गया।) और इनके नाम टेण्डर खुल गया और मूर्तियों का संचालन, लगाना और बनाना शुरू हो गया। सच्ची बात है हमारे कुछ विधायक हैं उन्होंने देखा, मैं भी रहा हूं बहुत दिनों तक बहुजन समाज पार्टी में। एक जगह बहुजन समाज पार्टी ने मूर्ति लगवायी। (ब0स0पा0 के अनेक मा0 सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहते रहे।)

श्री शेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

आप बहुजन समाज पार्टी में थे तो जय भीम नहीं करते थे, जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद नहीं करना चाहिए।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

सुन लीजिए प्लीज। उसका जवाब है। हमारे यहां मूर्ति लगी एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी अरे भाई यह किसकी मूर्ति है, उस बेचारी को नहीं मालुम था तो वहीं खड़े हुए लड़के ने बताया कि यह बाबा साहब डा0 अम्बेड़कर जी की मूर्ति है। तो बुढ़िया कहने लगी कि भाई इसने यह उंगली क्यों खड़ी कर रखी है। बड़ा सवाल पेचीदा, वहीं खड़ा हुआ व्यक्ति एस0सी0 एस0टी0 का मुकदमा झेलकर बाहर आया हुआ था। [x x x] पट्टे ज्यादती से हुए, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर [x x x] के दम पर उन जमीनों को जोता गया और बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया जिनका हक बैठता था, जिनके पक्ष में मा0 न्यायालयों के आदेश थे। नेता बहुत बड़ी हैं। अभी कहा गया कि जिस पत्तल में खाते हो, उसी में छेद करते हो।..

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर विरोध में कुछ कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आसन ग्रहण करिये, अगर उसमें टिप्पणी होगी तो कार्यवाही से निकलवा दूंगा। कोई टिप्पणी नहीं किया है।

(बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

राणा साहब, अब समाप्त करें। माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें। जो भी असंसदीय शब्द होगा उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है।

(इसी मध्य श्री रामवीर उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण के साथ सदन के वेल में आ गए वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाने लगे।)

उपाध्याय जी, मैंने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात होगी उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा। आप लोग अपने-अपने आसन पर जाएं जो भी अपमानजनक बात होगी उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। अब हो गया आपने विरोध दर्ज कर दिया।

(इसी मध्य नेता विरोधी दल भी सदन की वेल में सदस्यों के साथ बैठ गये।)

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

जब कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं। श्री राणा साहब अपने मुकदमें का हवाला दे रहे थे किसी पर मुकदमा लिख गया वह जेल चला गया वे उस मुकदमें का उसका हवाला बता रहे थे। वह अपनी बात थोड़ी बता रहे थे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मौर्या जी, मैंने कहा कि उसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसको निकाल दूंगा कार्यवाही से। वह एक मुकदमे का हवाला दे रहे थे कि एक लड़के ने ऐसे कहा मुकदमा लिख दिया और जेल चला गया। वह कोई अपमानजनक बात नहीं कह रहे थे। वह अपनी तरफ से कुछ कहे भी नहीं थे कि मैंने अपनी तरफ से कहा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष आ गये हैं और वो स्वंय भी धरने पर हैं। आपने कोई भी आपत्तिजनक शब्द यदि है तो उसको निकालने का आदेश दे दिया है। अगर कोई भी आपत्तिजनक शब्द है तो उसे निकालने के लिये आपने आदेश कर दिया अब इसके बाद स्वंय नेता प्रतिपक्ष यहां मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि इस व्यवधान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी अगर है तो सदन की कार्यवाही को चलते रहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने-अपने स्थान पर चले जायं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

क्योंकि इस तरह के तरीकों से लोकतंत्र में यही तरीके हैं कि अगर कोई बात आप समझते हैं कि गलत है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय और वह आपका आदेश हो गया। इसके बाद किसी भी तरह का विरोध होना। इसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही में अनावश्यक व्यवधान डालना। तो कार्यवाही को जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य मेरा निवेदन है कि जब मैंने कह दिया कि कोई ऐसी बात है तो वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा और उसको निकाल देंगें तो फिर उसके लिये बचा क्या है जो इसके लिये धरना दे रहे हैं।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में बैठकर नारे लगाते रहे)

माननीय सदस्यगण, सदन चलने दीजिये। मौर्या जी, आप सदन चलने दीजिये। माननीय सदस्य जब कोई बात बोली जाती है वो किसी के लिये उचित नहीं होता है, तो उसका नियम है कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। जब कार्यवाही से निकाल दिया जाता है तो वह बात अपने आप में खत्म हो जाती है। अब इसमें कोई भी ऐसी बात है तो उसको कार्यवाही से जो भी उन्होंने कहा बाबा साहब के लिये नहीं कहा। एक लड़के की बात कही कि उसने ऐसा कहा तो उस पर मुकदमा लिखा गया जेल गया, उसका हवाला दिया। खुद तो उन्होंने कोई अपमानजनक बात नहीं कही। आप लोग अपनी सीटों पर चलें यह मेरा आपसे आग्रह है।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में बैठकर नारे लगाते रहे। बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाये जाते रहे)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अध्यक्ष जी, न ऐसी मंशा है न नीयत। हम भी सम्मान करते हैं उनका। पूरी बात यह सुनना नहीं चाहते हैं पूरी बात सुनें।

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल में नारे लगाते रहे)

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह माफी मांगें। बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करके पूरे दलितों का अपमान किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब शान्त हो जाइये।

(ब0स0पा0 के मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अरे शान्त हो जाओं ना, सदन व्यवस्थित हो जाए।

उन्होंने यह बताया कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, न मैंने ऐसी कोई बात कही है, और जो बात उन्होंने कही है, वह निकाल दे रहा हूं। उन्होंने एक मुकदमें का हवाला दिया था कि एक लड़के ने कहा, उसको एस0सी0 एक्ट उत्पीड़न में बन्द कर दिया गया। उन्होंने खुद अपनी तरफ से नहीं कहा।

(ब0स0पा0 के मा0 सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या इन्हीं की बपौती है...

श्री अध्यक्ष-

मैं पांच मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 22 मिनट पर 05 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 01 बजकर 27 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 05 मिनट के लिये बढ़ा दिया है। 01 बजकर 32 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 05 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 01 बजकर 37 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।

(01 बजकर 52 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, जब तक मा0 मंत्री जी अपने शब्द वापस नहीं लेते और इस सदन से माफी नहीं मांगते, तब तक बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने इस धरने पर बैठ रहेंगे क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी भी महापुरुष का न हम अपमान करने के पक्षधर हैं और न हम अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो टिप्पणी की आप देखें और खुद उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूं लेकिन ये जो ऐसी बातें जो अपमानजनक हैं या उनके सम्मान के खिलाफ हैं तो मैंने आपसे कहा कि मैं वह सब निकाल दूंगा अगर ऐसी कोई बात है और उन्होंने बार-बार कहा कि मैं तो उनको भी मानता हूं। ये सब बातें आप प्रोसीडिंग में देख लेंगे इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि सदन चलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, वह कार्यवाही से आप निकाल देंगे, आपकी सदशयता है। अपमान न इस पीठ से हुआ है और उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी भी थे, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे। अपमान न मुख्य मंत्री जी की ओर से हुआ, न संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर हुआ। चर्चा में भाग ले रहे एक मा0 मंत्री जी ने बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जिनका नाम लेकर वे पहली बार सदस्य बने थे। उन्होंने ऐसे महापुरुष का नाम लेकर अगर उन्होंने टिप्पणी नहीं की।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी इधर आ जायें फिर बोल लें। फिर आ जाइयेगा यहां, बोलने की हद तक। मान्यवर, केवल इतना, केवल इतना निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट से बोल लें फिर आ जायें यहां।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 राणा जी, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर का ही नाम लेकर पहली बार इस सदन में सदस्य बन करके आये थे और आज वही बाबा साहब डा0 अम्बेडकर उनकी आंख की किरकिरी बन गये हैं और उन्होंने अपमान करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया। वो अपने शब्द हूबहू वापस ले लें और साथ ही साथ उनकी टिप्पणी से बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, उसके लिये क्षमा मांग लें। हम हमेशा सदन चलाने के पक्षधर रहे हैं। आज भी सदन चलाने के पक्षधर हैं। जो भी पीठ से निर्देश होते हैं, हम उनका शत-प्रतिशत अनुपालन करते हैं लेकिन महापुरुषों का मखौल अगर इस तरह से उड़ाया जायेगा तो हम समझते हैं कि हम लोगों का सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिये मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और अगर मा0 मंत्री जी, अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं तो मान्यवर हम समझते हैं कि ये उनका बड़प्पन होगा। इससे उनकी हैसियत घटेगी नहीं और साथ ही साथ मान्यवर, सदन भी अनुशासित तरीके से आगे चल सकेगा। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वह टिप्पणी अन्जाने में नहीं निकली थी, एक सुनियोजित तरीके से वह टिप्पणी निकाली गयी थी। मान्यवर, चूंकि उस वक्त तो मैं था भी नहीं। मेरी अनुपस्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी की गयी और इसीलिये मैंने कार्यवाही का वह हिस्सा आपसे मांगा है, अनुरोध किया है कि वह कार्यवाही में जो शब्द उन्होंने उल्लिखित किया, जिसके चलते ये उत्तेजना आयी, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों को वेल में आना पड़ा कि ऐसी कौन सी परिस्थतियां रहीं हैं तो मान्यवर, इसलिये मैंने अनुरोध किया था उस कार्यवाही के अंश को देखने के लिये और साथ ही साथ मा0 मंत्री जी की इस टिप्पणी पर क्षमा मांगने के लिये और टिप्पणी वापस लेने के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मा0 नेता प्रतिपक्ष बहुत वरिष्ठ हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मेरी मंशा कभी ऐसी नहीं रही। मैंने उस वक्तव्य को इसलिये उद्धृत किया था कि वह बात मेरे सामने घटित हुयी। मैंने इसलिये कहा कि जो हमारे राष्ट्रनायक हैं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे किसी एक पार्टी की, एक दल की, किसी एक निजी संस्था की धरोहर नहीं हैं। वे धरोहर हैं समाज की, वे धरोहर हैं राष्ट्र की, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

(सत्ता पक्ष की ओर मेजों की थपथपाहट)

लेकिन यदि बाजारीकरण किया गया, यदि निजीकरण किया गया। यदि आज बाबा साहब की हजारों, लाखों प्रतिमायें धूल फांक रही हैं और उनके ऊपर गन्दगी चढ़ रही है तो वो इसी पार्टी की देन है और अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात से वापस नहीं हटूंगा। मेरी आप कार्यवाही देख लीजिये।

(वेल में खड़े बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा शोर किये जाने और उससे उत्पन्न व्यवधान के मध्य)

मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही है।

(वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया संसदीय कार्य मंत्री को तो सुन लें।

(बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्यों के लगातार वेल में खड़े होकर नारेबाजी करने से व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य

[2.00] **नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 28 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें :-

पहली सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की कानपुर नगर के जूही हमीरपुर रोड स्थित डा0 सोने लाल पटेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के मुख्य द्वार के अगल-बगल अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद-फिरोजबाद के टूण्डला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु टी0टी0एस0पी0 टंकी के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री अमर पाल शर्मा की जनपद-गाजियाबाद की कतिपय कालोनियों के मुख्य मार्गों पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली अन्तर्गत धनावल शाखा पर पकड़ी माइनर को जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में उच्च चिकित्सालय व ट्रामा सेन्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की प्रदेश में छावनी परिषदों को चुंगी क्षतिपूर्ति को वर्तमान स्थिति पर दिए जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री रविन्द्र भड़ाना की जनपद-मेरठ में मेडिकल कालेज के पीछे गढ़रोड एवं काली नदी के बीच मुख्य मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना श्री अजय कुमार ''लल्लू'' की उत्तर प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रोन्नति पाये शिक्षकों को रीडर/प्रवक्ता का वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विगत वर्ष 2012 में आये भयंकर तूफान के कारण टूटे हुए ट्रांसफार्मर, बिजली के तारों एवं खम्भों को तत्काल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद बाराबंकी के ग्राम कुर्सी के ब्लाक निन्दूरा में मीट कम्पनी एमरून फूड प्रोडक्ट्स द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रीय निवासियों के संक्रमित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

बारहवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अकोला में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,

2-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

3-श्री प्रमोद तिवारी,

4-श्री दलजीत सिंह,

5-श्री संजय कपूर,

6-श्री पूरन प्रकाश,

7-श्री वीरपाल राठी,

8-श्री राजेश अग्रवाल,

9-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

10-श्री फेरनलाल,

11-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

12-श्री गोरख पासवान,

13-श्री रामचन्द्र यादव,

14-श्रीमती पूजा पाल,

15-श्री लोकेश दीक्षित,

16-श्री शमशेर बहादुर शेरू भईया,

17-श्री राधेश्याम जायसवाल,

18-डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,

19-श्री विजय बहादुर यादव

20-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

21-श्री उमेश पाण्डेय,

22-श्री अगयश रामशरन वर्मा,

23-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

24-श्री दिलनवाज खान,

25-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

26-श्री गुलाब चन्द्र सरोज,

27-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

28-श्री प्रदीप माथुर,

29-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,

30-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

31-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

32-श्री प्रदीप चौधरी,

33-श्री जगतम्बा सिंह,

34-श्रीमती रूबी प्रसाद,

35-श्री रामचन्द्र चौधरी,

36-श्री भगवान सिंह कुशवाहा,

37-श्री राजबली जैसल,

38-श्री विजय कुमार दुबे,

39-श्री अनूप सण्डा,

40-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

41-श्री राम मगन,

42-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

43-श्री दीपक पटेल,

44-श्री छोटेलाल वर्मा तथा

45-श्री गुटियारी लाल दुबेश।

(बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

[2.02] नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार मा0 अधिवक्तागण.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[एवं वादकारियों के लिये मैम्बर्स सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सजग हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 2014/35-4-2005, दिनांक 29-11-2005 द्वारा 50 अधिवक्ता चैम्बर निर्माण हेतु रु0 46.15 लाख स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् शासनादेश दिनांक 08-06-2007 द्वारा प्रश्नगत योजना समाप्त कर दी गई। पुनः उक्त योजना को चालू कर दिया गया है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों के अन्तर्गत नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक 4059-60-800-03-0301-24 में टोकेन व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा अधूरे पड़े चैम्बरों के निर्माण हेतु चैम्बरों को पूरा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार, उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि को अनुदान उपलब्ध करा रही है। अधिवक्ता कल्याण न्यासी समिति द्वारा भी अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हेतु लगभग समस्त जनपदों के लिये 42.50 करोड़ की धनराशि जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध कराई गई है। जिसमें से जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के लिये न्यासी समिति द्वारा 16-07-2011 को रु0 2.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।]

जनपद शामली के थानाभवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि ''जनपद शामली के थाना भवन में सहारनपुर दिल्ली राजमार्ग.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के निकट जनता धर्मशाला स्थित है। उक्त धर्मशाला का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों के लिये उपयोग में आता रहा है। समय के साथ-साथ यद्यपि धर्मशाला का भवन वजूद में नहीं है परन्तु जो स्थल शेष बचा है वह सार्वजनिक समारोह के लिये उपयोग में आता है।

उक्त भूमि नगरीय क्षेत्र में होने के कारण बहुत कीमती है। नगर के कुछ दबंग लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। सार्वजनिक उपयोग की इस भूमि पर यदि कब्जा होने से न रोका गया तो जनता एक बहुत बड़ी सुविधा से वंचित हो जायेगी तथा भू-खण्ड के आधिपत्य को लेकर वर्ग संघर्ष भी हो सकता है, जो नगर की शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करेगा। प्रशासनिक अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं।

2-जिलाधिकारी, शामली की आख्या के अनुसार कस्बा थानाभवन में सहारनपुर दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में राजस्व ग्राम थानाभवन पट्टी मसावी की खतौनी खाता संख्या-819 पर श्रेणी-6(3) के अन्तर्गत गाटा संख्या-41 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 67क के क्षेत्रफल 0.2460 हेक्टेयर कुल दो किते कुल क्षेत्रफल 0.2970 हेक्टेयर जनता धर्मशाला के नाम अंकित है। प्रश्नगत दोनों गाटे नगर पंचायत थानाभवन के क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैं। गाटा संख्या-67क क्षेत्रफल 0.2460 हेक्टेयर मौके पर रिक्त हैं,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। अतः इसका सीमांकन करा दिया गया है। गाटा संख्या-41 क्षेत्रफल 0.0510 हेक्टेयर हरबीर सिंह पुत्र बेहूं सिंह निवासी ग्राम खेडागदाई का आवासीय मकान, असलम पुत्र मसीता निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा थानाभवन का आवासीय मकान व तीन दुकानें तथा तालिब पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मौ0 खैल कस्बा थानाभवन की चार दुकानें बनी हैं जो लगभग 30-35 वर्ष पुरानी है। ऐसी स्थिति में गाटा संख्या-41 के उपरोक्त अध्यासियों के अध्यासन का परीक्षण कराकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही कराये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को पृथक से निर्देशित कर दिया गया है।]

प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा दिनांक 22-02-2013 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि ''प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के द्वितीय फेज में बनाये गये आवासों को कार्यदायी संस्था से डूडा को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। जिससे आवंटियों को उनके आवास में कब्जा नहीं मिल पाने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से उक्त अध्यासियों में कब्जा दिलाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था से डूडा को आवासों के हस्तान्तरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मा0 मंत्री जी से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रश्नगत प्रकरण के समस्त जिलाधिकारियों से आवास बन्धु के माध्यम से आख्या प्राप्त की गई, आवास बन्धु द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार निम्नवत् अवगत कराया गया है :-

(1) प्रदेश में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में बनाये गये आवासों को कार्यदायी संस्था से डूडा को स्थानान्तरित करने की कोई नीति नहीं है। मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश विषयक नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-5376/9-5-08-153सा/08, दिनांक 24 जुलाई, 2008 के पैरा-4 के प्राविधानों के अनुसार आवंटन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूची श्रेणीवार बनाई जायेगी। उक्त सूची को ठीक से बनाये जाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का होगा तथा यथासमय उन्हीं के द्वारा लाभार्थियों का आवंटन एवं लीज की कार्यवाही की जायेगी। यदि जिलाधिकारी चाहें तो आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवंटन एवं लीज करने की कार्यवाही हेतु किसी स्थानीय शासकीय संस्था की सहायता ले सकेंगे परन्तु सही प्रकार से आवंटन एवं लीज करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का ही होगा। जिलाधिकारी यदि उचित समझें तो डूडा की सहायता ले सकते हैं।

(2) मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना द्वितीय फेज के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपदों में 42768 भवनों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 42447 भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 34585 भवनों का जिलाधिकारी द्वारा डूडा के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आवंटन किया जा चुका है। 7840 भवनों का कब्जा लाभार्थियों को दिया जा चुका है।

(3) अवशेष भवनों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवंटित किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।]

जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री इन्द्रजीत सरोज, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उल्लेख है कि निर्वाचन क्षेत्र 252-मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने यमुना नदी में जोगापुर पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण हेतु मार्च, 2009 को स्वीकृति प्रदान की थी जिसके निर्माण हेतु रु0 दस करोड़ दो लाख (रु0 10.02 करोड़) वर्ष 2009-10 के बजट में प्राविधान किया गया था तथा रु0 9.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त भी की जा चुकी थी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। वर्तमान में उक्त परियोजना का निर्माण कार्य अवरुद्ध है, जिसके कारण इस क्षेत्र के किसानों की हजारों एकड़ भूमि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असिंचित रह जाती है। परियोजना के अवरुद्ध होने से क्षेत्रीय आम जनता में व्यापक आक्रोश एवं रोष व्याप्त है तथा किसान आन्दोलित हो रहे हैं। किसी भी समय स्थिति भयावह हो सकती है। परियोजना के अवरुद्ध हो जाने से हजारों किसानों को कृषि उपज का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त परियोजना को जनहित में यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

2-इन्द्रजीत सरोज, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद कौशाम्बी में यमुना नदी पर जोगापुर पम्प नहर परियोजना (लागत रु0 10.023 करोड़) नाबार्ड से माह अक्टूबर, 2010 में स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2010-11 में परियोजना कार्य प्रारम्भ किया गया, वर्ष 2010-11 हेतु आवंटित धनराशि रु0 1.9431 करोड़ एवं वर्ष 2011-12 हेतु आवंटित धनराशि रु0 7.5299 करोड़ (कुल आवंटित धनराशि रु0 9,4730 करोड़) का व्यय किया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्माणाधीन जोगापुर पम्प नहर हेतु अवशेष रु0 55.00 लाख का बजट व साख सीमा अवमुक्त किया जा चुका है। जिससे पम्प नहर के अवशेष सिविल व यांत्रिक कार्य करवाये जा रहे हैं। जिससे निरौचा व कनैली रजबाहे में पम्प नहर से पानी देकर स्थानीय कृषकों को सींच सुविधा का लाभ मिल सकेगा। परियोजना पर कार्य अवरुद्ध नहीं है।

जोगापुर पम्प नहर परियोजना हेतु 33 के0वी0 उपकेन्द्र गोप सहसा के समीप जोगापुर पम्प नहर से 1.5 कि0मी0 33 विद्युत लाइन बनाकर विद्युत संयोजन का प्राविधान किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि गोप सहसा उपकेन्द्र से उपलब्ध विद्युत जोगापुर पम्प कैनाल को उपलब्ध कराई जाय।]

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नयम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री राम चन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दिनांक 22-02-13 को दी गई सूचना.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में यह अवगत कराया गया है कि जनपद फैजाबाद/छत्रप्रतिशाहू जी महाराज नगर (अमेठी) के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर सेतु बनाये जाने का कार्य वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किया गया था। कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त विगत 02 वर्षों से सेतु के कार्य की प्रगति शून्य है, जिसके कारण एक ओर आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा दूसरी ओर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेतु के निर्माण की लागत भी बढ़ती जा रही है। निर्माणाधीन सेतु का प्रकरण पांच जिला की जनता से जुड़ा हुआ है, अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है अतः अधूरे सेतु को समयबद्ध पूर्ण कराने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थित यह है कि जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर (अमेठी) में जगदीशपुर-सत्थिन-घोड़वल-कुमारगंज-खण्डासर मार्ग पर सत्थिन घाट पर गोमती नदी सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-1772/23-9-2011-13 नाबार्ड/10 टीसी दि0 29-11-2011 द्वारा नाबार्ड-17 योजनान्तर्गत कुल रु0 685.68 लाख की प्रदान की गई है, जिसमें सेतु भाग रु0 537.70 लाख है। सेतु भाग हेतु अब तक सेतु निगम को कुल रु0 302.85 लाख शासन से प्राप्त हो चुका है। निर्माण कार्य 04/12 में प्रारम्भ किया गया तथा पूर्ण करने का लक्ष्य 12/14 निर्धारित किया गया है। जनवरी, 2013 तक सेतु भाग पर कुल रु0 20.21 लाख व्यय हुआ है एवं भौतिक प्रगति 3 प्रतिशत है। सेतु निर्माण कार्य पुनः शुरू कराया जा रहा है।]

(सदन के फ्लोर पर खड़े बसपा के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में लगातार व्यवधान बना रहा।)

जनपद बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों पर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र बरेली नगर में सड़कों के अत्यधिक जर्जर.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[होने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। प्रमुख रूप से, 1-रेलवे क्रासिंग हवाई अड्डा नैनीताल रोड से पीलीभीत रोड-पीर बहोड़ा को जोड़ने वाली सड़क एवं नाली। 2-इन्द्रानगर शुभम मैटेरनिटी होम से रतन हलवाई की दुकान के सामने से आई0बी0आर0आई0 रोड तक सड़क एवं नाली। 3-इन्दिरानगर गुप्ता पालीक्लीनिक से आई0बी0आर0आई0 रोड तक सड़क एवं नाली। 4-हार्टमैन चौराहे के ग्रेटर आकाश होते हुए सड़क एवं नाली। 5-बेलापीर रामबिहार कालोनी रोड नं0-3 श्री बी0के0 सक्सेना के मकान से राजाराम के मकान के सामने से होते हुए पोली चौराहे तक सड़क एवं

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नाली अत्यधिक खराब है। जनहित में उपरोक्त मार्गों का निर्माण एवं जल निकासी का कार्य कराया जाना आवश्यक है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली द्वारा उक्त नियम-51 की सूचना में उल्लिखित पांच प्रमुख सड़कों के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

1-रेलवे क्रासिंग हवाई अड्डा नैनीताल रोड से पीलीभीत रोड-पीर बहोड़ा को जोड़ने वाली सड़क एवं नाली

उक्त मार्ग एयर फोर्स की सीमा के किनारे-किनारे है। नैनीताल सड़क कंजादासपुर गांव के आगे तक मार्ग निर्मित है जो ठीक है तथा शेष आगे पीलीभीत रोड तक खड़न्जा लगा है, जो कई स्थलों पर अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, नाली भी नहीं है। किन्तु ग्रुप कैप्टन, सी0ए0ओ0, एयर फोर्स स्टेशन बरेली के पत्र के अनुसार एयर फोर्स स्टेशन की सीमा से सन्निकट ग्राम्य में सुरक्षा कारणों से विकास कार्य प्रतिबन्धित किये जाने की बात कही गयी है। इन परिस्थितियों में एयर फोर्स से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त नगर निगम में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगणन बनाकर उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

2-इन्द्रानगर शुभम मैटेनिटी होम से रतन हलवाई की दुकान के सामने से आई0बी0आर0आई0 रोड तक सड़क एवं नाली, 3-इन्दिरानगर गुप्ता पॉलीक्लीनिक से आई0बी0आर0आई0 रोड तक सड़क एवं नाली

सम्बन्धित कार्यों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं। आगणन स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

4-हार्टमैन चौराहे से ग्रेटर आकाश होते हुए सड़क एवं नाली

हार्टमैन चौराहे से ग्रेटर कैलाश कालोनी गेट तक सड़क व नाली का कार्य अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत है। उक्त कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। ग्रेटर कैलाश कालोनी की अन्तरिक सड़कों का निर्माण कराने का दायित्व नगर निगम का नहीं है क्योंकि उक्त कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा विकसित की गयी है, जो नगर निगम को हस्तगत नहीं है।

5-बेलापीर रामबिहार कालोनी रोड नं0 3 श्री बी0के0 सक्सेना के मकान से राजाराम के मकान के सामने से होते हुए पोली चौराहे तक सड़क एवं नाली

उक्त कालोनी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा विकसित की गयी है तथा इसकी आन्तरित सड़कें, नालियां इत्यादि के निर्माण का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर का है क्योंकि उक्त कालोनी नगर निगम के हस्तगत नहीं है।]

जनपद मथुरा की मुख्य सड़क मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद मथुरा में मथुरा से सादाबाद.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[मार्ग पिछले 02 वर्ष से पूर्ण रूप से जर्जर एवं टूटा हुआ है जिसके पुनःनिर्माण/विशेष मरम्मत की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है। वर्तमान समय में मथुरा से अन्य जनपदों जैसे कि मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं आदि को जाने के लिए मथुरा के पुल से बसों एवं अन्य बड़े वाहनों को गुजरना पड़ता है। मथुरा में यमुना पुल की जर्जर स्थिति होने के दृष्टिगत सभी भारी वाहन प्रशासन द्वारा बन्द कर दिये गये हैं। अब यह वाहन जर्जर टूटे पड़े मथुरा सादाबाद मार्ग पर गोकुल बैराज से पास किये जा रहे हैं, जबकि पूरा मथुरा सादाबाद मार्ग चलने लायक नहीं है तथा आम नागरिकों को अन्य जनपदों को जाने में सुबह से शाम हो जाती है एवं हर समय इस जर्जर मार्ग पर जाम लगा रहता है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य की मांग की गयी है।

<u>वक्तव्य</u>

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद मथुरा में मथुरा सादाबाद मार्ग प्रमुख जिला मार्ग है, जिसकी जनपद मथुरा में सीमान्तर्गत लम्बाई 25.00 कि0मी0 है। इस मार्ग पर यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रयुक्त अत्यन्त भारी मशीनरी, ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग लगातार क्षतिग्रस्त होता रहा है। उपलब्ध सीमित संसाधनों से उक्त सम्पूर्ण मार्ग को जून, 2012 तक गड्ढामुक्त रखा गया था। अगस्त, 2012 से मथुरा में यमुना नदी पर क्षतिग्रस्त सेतु से भारी वाहनों को प्रतिबन्धित करने के बाद से इस मार्ग पर यातायात घनत्व बढ़ जाने एवं अतिवृष्टि के कारण यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 150.00 लाख की घोषणा की गयी है, जिसके क्रम में इस मार्ग के विशेष मरम्मत कार्य हेतु रु0 149.94 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।]

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री संजय कपूर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद रामपुर.....

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

[के टाउन एरिया केमरी की आबादी लगभग 50000 है तथा इनके आस-पास काफी दूर तक बालिकाओं के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण बालिकाओं की शिक्षा इण्टरमीडिएट के बाद अधूरी रह जाती है और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह टाउन एरिया अल्पसंख्यक बाहुल्य है तथा इस टाउन एरिया में लगभग 90 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की आबादी है। यह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ अंचल है। यहां पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है, यहां पर इसके लिए उद्यान विभाग की भूमि उपलब्ध है। महाविद्यालय न स्थापित करने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं चिन्ता व्याप्त है। अतः मा0 सदस्य द्वारा इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकताओं के अन्तर्गत 12वीं योजना में भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों में नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) को स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। न्यून सकल दर वाले उक्त 36 जनपदों में जनपद रामपुर भी सम्मिलित है। नये माडल राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना हेतु जनपद रामपुर के असेवित विकास खण्ड सैदनगर के अन्तर्गत 1,000 हे0 निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी से किया गया है। वर्तमान में जनपद रामपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय एवं 04 अनानुदानित महाविद्यालय संचालित हैं। अतः जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं है।]

माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्यों के विवेकाधीन कोष.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[से नगरीय क्षेत्रों में तथा विधान सभावार हैण्डपम्प लगाये जाने की योजना समाप्त कर दिये जाने से प्रदेश के शहरी/ग्रामीण जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। पहले मा0 विधायकों को आवश्यकतानुसार 250 हैण्डपम्प अपने विधान सभा के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कराये जाने का अधिकार होता था किन्तु पूर्ववर्ती सरकार में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इससे जनता में आक्रोश है। वर्तमान सरकार के बनते ही ऐसी आशा थी कि यह सरकार उक्त योजना को पुनः संचालित कर जनता को शुद्ध पेयजल मिले, इस हेतु त्वरित कदम उठायेगी, परन्तु इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस समस्या से प्रत्येक मा0 विधायक को अपने क्षेत्र में जाकर शर्मिन्दा होना पड़ता है। लोग यह कहते हैं कि मान्यवर, यदि शुद्ध पेयजल हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प नहीं लगाये जाते तो लोगों को पेयजल हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कुएं सूखे हुए हैं, लोग खराब हैण्डपम्पों अथवा पानी के स्तर की कमी से सूखे हैण्डपम्प से समुचित पीने का पानी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। गन्दा पानी पीने से लोग विभिन्न बीमारियों से आये दिन ग्रसित हो जा रहे हैं। प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिलों में जो 200-200 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु अनुमोदन किया जा रहा है, वह व्यक्ति विशेष एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के यहां ही हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु किया जा रहा है। इसलिए उक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु मा0 विधायकों के विवेकाधीन दिये जाने वाले 250 हैण्डपम्प विधान सभा क्षेत्र में लगाये जाने की योजना को पुनर्बहाल कर जनता का राहत दी जा सकती है।

2-अवगत कराना है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सम्बन्धी अद्यतन दिशा-निर्देशों में मा0 विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की व्यवस्था निर्धारित नहीं है। प्रदेश में लगभग 24 लाख हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इसके दृष्टिगत मात्र 65 की आबादी पर ही 01 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जबकि 150 की आबादी पर 1 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने का मानक निर्धारित है। इस प्रकार हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के दृष्टिगत प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र संतृप्त है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बस्तियों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः किन्हीं कारणों से अनाच्छादित एवं असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प का अधिष्ठापन 150 की आबादी का मानक रखते हुए कराया जा रहा है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हैण्डपम्प उसी स्थल पर लगाया जायेगा, जहां से 75 मीटर की परिधि में कोई अन्य हैण्डपम्प अधिष्ठापित न हो।

3-वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 75012 नये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं 41050 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने का लक्ष्य है। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि हैण्डपम्पों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिष्ठापन निर्धारित मानक के अनुरूप जनपदों के प्रभारी माननीय मंत्रीगण द्वारा अनुमोदित सूची के अनुरूप कराये जायेंगे।

4-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के दृष्टिगत पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु पाइप पेयजल योजना के माध्यम से समस्त ग्रामों को आच्छादित किये जाने पर बल दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रदेश में 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल योजनाओं से पेयजल की सुविधा दिये जाने की योजना प्रस्तावित है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

5-उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथासंभव कार्यवाही कर रही है और लोक महत्व के इस कार्यक्रम के प्रति राज्य सरकार सजग एवं प्रतिबद्ध है।]

जनपद मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0 प्र0 शासन के आदेश दिनांक 06-10-2012 द्वारा.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निर्धारित तिथि दिनांक 29-01-2013 एवं दिनांक 30-01-2013 को जिला सहकारी बैंक लि0, मीरजापुर का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है।

चेतगंज सहकारी संघ लि0, चेतगंज का अंशधन जमा न होने के कारण समिति का नाम अनन्तिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है।

औद्योगिक सहकारी समिति लि0 पचेवरा, सरैया एवं तिल्ठी का अन्तिम मतदाता सूची के नाम काटे जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त आपत्ति के क्रम में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक 16-01-2013 द्वारा उपरोक्त समितियों में निर्वाचन नहीं होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी, के आधार पर अन्तिम मतदाता सूची में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाम शामिल नहीं किया गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टाउन हाल उपभोक्ता सहकारी समिति, पुरानी डुमरौली सहकारी समिति एवं शिवपुर सूकर पालन सहकारी समिति लि0, मीरजापुर के अनन्तिम मतदाता सूची में प्रकाशित प्रतिनिधियों के नाम के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त आपत्ति के क्रम में अन्तिम मतदाता सूची में प्रतिनिधियों के नाम परिवर्तित किये गये हैं एवं नारघाट उपभोक्ता सहकारी समिति के प्रतिनिधियों के नाम उपलब्ध न होने के कारण अनन्तिम मतदाता सूची में अंकित नहीं था। निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त आपत्ति के क्रम में अन्तिम मतदाता सूची में प्रतिनिधियों के नाम सम्मिलित किये गये हैं।]

जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगाजी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22-2-13 को दी गई सूचना में.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह अवगत कराया गया है कि जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत लेहदरी घाट में गंगा नदी पर जनपद कौशाम्बी एवं प्रतापगढ़ को जोड़ने के लिए वर्ष 2004 में सेतु निगम द्वारा प्रारम्भ किये गये पुल का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण जनपद प्रतापगढ़, कौशाम्बी तथा सिराथू विधान सभा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। पुल निर्माण की गति धीमी होने के कारण कौशाम्बी से प्रतापगढ़ आने-जाने के लिये 100 कि0मी0 से अधिक की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है जिसके कारण जनता को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः पुल का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कराये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि जनपद प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी के मध्य यात्रीघाट एवं मानिकपुर घाट के बीच गंगा नदी पर सेतु के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2835/वा0वि0आ0 (1)/23-14-06, दिनांक 10-8-2006 द्वारा रु0 2384.35 लाख प्रदान की गई थी, जिसमें सेतु अंश रु0 2217.59 लाख तथा पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु रु0 166.76 लाख था। माह जनवरी, 2013 तक सेतु की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है। दरों में वृद्धि के कारण सेतु की पुनरीक्षित आगणन परीक्षणाधीन है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा टूण्डला के विभिन्न.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आख्या :-

विधान सभा टूण्डला के ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा श्री राकेश बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 22-2-2013 पर वक्तव्य दिनांक 28-2-2013 के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :-

1	रामपुर कटेलिया, फीडर हजरतपुर, ठेकेदार-आर0के0 यादव।	यह ग्राम पूर्व से ही ऊर्जीकृत है। परिवर्तक की क्षमतावृद्धि 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 किये जाने एवं एल0टी0 लाइन के विस्तार का कार्य ग्रामवासियों द्वारा संयोजन न लिये जाने के कारण आगे नहीं किया गया है।
2	जौधरी, फीडर हजरतपुर, ठेकेदार-सुरेश अग्रवाल।	यह ग्राम पूर्व से ऊर्जीकृत है। अन्य विद्युतीकरण कार्य किसी योजना में सम्मिलित नहीं है।
3	बेलनगंज, फीडर रजावली ठेकेदार-अनिल चौहान।	इस ग्राम का ऊर्जीकरण परिवर्तक लगाकर कर दिया गया है।
4	गोथुवा, फीडर रजावली ठेकेदार-आर0 के0 यादव।	इस ग्राम का ऊर्जीकरण परिवर्तक लगाकर कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5	नया बॉस फीडर जेल, ठेकेदार-सुरेश अग्रवाल।	यह ग्राम ऊर्जीकृत है।
6	नगला धनी, फीडर जेल, ठेकेदार-सुरेश अग्रवाल।	यह ग्राम ऊर्जीकृत है।
7	नगला जरिया, फीडर जेल, ठेकेदार-सुरेश अग्रवाल।	यह ग्राम ऊर्जीकृत है।
8	चनौरा, फीडर जेल, ठेकेदार-आर0 के0 यादव।	यह ग्राम ऊर्जीकृत है।
9	नगला राजपत, फीडर बजेरा, ठेकेदार-बेताल सिंह।	ग्राम का सही नाम राजपति है। ग्राम के विद्युतीकरण हेतु आंशिक सामग्री भण्डार से प्राप्त हो गयी है। ग्रामवासियों ने कनेक्शन हेतु अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। संयोजन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कार्य को दो माह में करा दिया जायेगा।
10	ठार हरवंश फीडर बजेरा, ठेकेदार-बेताल सिंह।	ग्राम के विद्युतीकरण हेतु आंशिक सामग्री भण्डार से प्राप्त हो गयी है। ग्रामवासियों ने कनेक्शन हेतु अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। संयोजन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कार्य को दो माह में करा दिया जायेगा।
11	ठार लोकमन, फीडर बजेरा, ठेकेदार-बेताल सिंह।	ग्राम के विद्युतीकरण हेतु आंशिक सामग्री भण्डार से प्राप्त हो गयी है। ग्रामवासियों ने कनेक्शन हेतु अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है। संयोजन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर कार्य को दो माह में करा दिया जायेगा।
12	बड़ा कुआं, ठेकेदार-बेताल सिंह।	ग्राम का ऊर्जीकरण करा दिया गया है।

ग्रामवासियों द्वारा आवेदन एवं नियमानुसार संयोजन हेतु धनराशि जमा करने पर विद्युतीकरण का शेष कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।]

जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही के किसानों को गन्ना बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्चा अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 03-12-2012 से पेराई संचालित.....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[हो रही है। जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत स्थापित यूनाईटेड शुगर कम्पनी सेवरही में गन्ना किसान आंख मूदकर गन्ना दिया जा रहा है। हालत यह है कि दो महीने 21 दिन फैक्ट्री चलने के उपरान्त किसान गन्ना भुगतान के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है मात्र दिनांक 3-01-2012 तक का ही भुगतान किया गया है। किसान गन्ना पर्ची के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। पर्ची कुछ खास लोगों को दी जा रही है। शासनादेश के अन्तर्गत गन्ना लेने के 15 दिन के अन्दर किसानों को उनके गन्ने का भुगतान मिल द्वारा न किये जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर ब्याज सहित भुगतान किये जाने का कानून है परन्तु सरकार यह नहीं कर रही है। किसानों को अच्छी प्रजाति पैदा करने के लिए फैक्ट्री की ओर से मुफ्त खाद/प्रेसमड दी जानी चाहिए परन्तु चीनी मिल प्रशासन द्वारा कृषकों से अधिक धन उगाही करके खाद/प्रेसमड दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत स्थापित दि यूनाईटेड शुगर कम्पनी, सेवरही द्वारा पेराई सत्र, 2012-13 में दिनांक 03-12-2012 से पेराई कार्य प्रारम्भ किया गया। चीनी मिल द्वारा दिनांक 21-01-2013 तक की गई आपूर्ति पर देय गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में चीनी मिल सेवरही द्वारा दिनांक 21-02-2013 की स्थिति के अनुसार 14 दिन पूर्व अवधि तक का देय गन्ना मूल्य रु0 9504.94 लाख के सापेक्ष रु0 6872.66 लाख का भुगतान किया जा चुका है। चीनी मिल द्वारा गन्ना कृषकों को आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान नियमानुसार 15 दिन के अन्दर न करने पर सम्बन्धित समितियों द्वारा प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान हेतु बिल तैयार कर चीनी मिल को भेजे जा रहे हैं।

विभागीय आपूर्ति नीति के अनुसार गन्ना कृषकों को पर्ची निर्गमन/वितरण नियमानुसार किया जा रहा है। किसानों को अच्छी प्रजाति पैदा करने के लिए चीनी मिल द्वारा किसानों को प्रेसमड/खाद अनुदान के साथ उपलब्ध करायी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि विभाग में लागू गन्ना सूचना प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक चीनी मिल की वेबसाइट बनायी गई है जिस पर कृषकों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं की अद्यतन स्थिति प्रदर्शित होती रहती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को उनके मोबाइल पर पर्ची निर्गमन, भुगतान आदि के सम्बन्ध में त्वरित सूचना दी जा रही है। साथ ही गन्ना कृषकों के लिए तौल में शुद्धता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से इस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों के कुल क्रय केन्द्रों के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटे स्थापित कर संचालित कराये जा रहे हैं।]

(सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। दिनांक 04-03-2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 03 मिनट पर सोमवार दिनांक 4 मार्च, 2013 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 28 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 33 विधान सभा (68)-06-06-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।